रजिस्ट्री सं. डीएल—33001/2002 REGISTERED No. DL—33001/2002

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 18, 2002 (वैशाख 28, 1924)
No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 18, 2002 (VAISAKHA 28, 1924)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]
[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

विश्व व्यापार केन्द्र-1, कफ परेड, कोलाबा

मुंबई-400 005, दिनांक 29 अप्रैल 2002

बैंपविवि. सं. बीसी. 94/12.01.001/2001-02--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) (अधिनियम) की धारा 42 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 22 अक्तूबर 2001 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि सं. बीसी. 33/12.01.001/2001-02 के अधिक्रमण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों द्वारा रखे जाने हेतु अपेक्षित औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) जून 15, 2002 से प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े से 5.0 प्रतिशत होगा। तथापि, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कुल मांग और देयताओं पर रखे जाने हेतु अपेक्षित प्रभावी आरक्षित नकदी निधि अनुपात 3.0 प्रतिशत से कम नहीं होगा, जैसा कि उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित है।

एस. एल. परमार
कार्यपालक निदेशक

केन्द्रीय कार्यालय
सरकारी और बैंक लेखा विभाग
मुंबई

दिनांक

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं. एफ.(8) 70/बी 5 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के नियम 18 के अनुसरण मार्च 2002 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्द्वारा विज्ञापित की जाती है , जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है । नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल मुख्य लेखाकार, भारतीय रिज़र्व बैंक केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग , मुंबई को संसूचित करें ।
सूची दो भागों में विभाजित की गई है । भाग क में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई है और भाग ख में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है ।

सूची " क "

भायखला (मुंबई) सर्कल

10% राहत पत्र 1995

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.
बीसी-4775 (जीपीएच)	रू 4,00,000/-	कुंजलता रोहतगी कंचन नाथ रोहतगी	2.11.1996	कुंजलता रोहतगी कंचन नाथ रोहतगी	दिनांक 21.11.2001 का गुमशुदा नोट आदेश सं.06.25.53

सूची ख

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.
कुछ नहीं					

(ए.जी.पाठक)
कृते मुख्य महा प्रबंधक
17-4-2002

भारतीय स्टेट बैंक
केन्द्रीय कार्यालय मुंबई - 400 021 - 07 मई, 2002

सूचना

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक का शेयरधारक रजिस्टर वर्ष 2001-2002 के लाभांश का भुगतान, यदि कोई है, करने के लिए, मंगलवार 16 जुलाई, 2002 से बुधवार 31 जुलाई, 2002 तक की अवधि के लिए, शेयरों के अंतरण हेतु बन्द रहेगा

(जानकी बल्लभ)
अध्यक्ष

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
कार्मिक विभाग,
प्रधान कार्यालय,
नई दिल्ली । **18 अप्रैल, 2002**

संख्या: 3939 - बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में आगे और संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :-

1(1) ये विनियम ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2002 कहलाएंगे ।

(2) इन विनियमों में अन्यथा स्पष्टतया उपलब्ध को छोड़कर, ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2 ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में

(क) विनियम 2 में,

(i) उप-विनियम (ढ) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"(ढ) "कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो बैंक की सेवा में नियोजित है, चाहे स्थायी आधार पर पूर्णकालिक या वेतनमान पर स्थायी आधार पर अंशकालिक कर्मकार के रूप में हो या ऐसा अधिकारी जो इन विनियमों को चुनता है और इनसे शासित होता है लेकिन इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं होगा जो संविदात्मक आधार पर या दैनिक वेतन के आधार पर या समेकित वेतन के आधार पर नियुक्त किया गया हो;"

(ii) उप-विनियम (ण) में, खण्ड (ग) के लिए निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे , अर्थात्:

"(ग) पुत्र या अविवाहित पुत्री या विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जिसने पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, तथा कानूनी रूप से गोद लिया गया पुत्र या पुत्री ।

"(घ) कर्मचारी के जीवित रहते हुए उस पर पूर्णतया आश्रित माता-पिता, बशर्ते कि मृत कर्मचारी ने अपने पीछे न तो विधवा/विधुर या बच्चा छोड़ा हो ।"

(iii) उप विनियम (ध) के लिए निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे , अर्थात् :-

(घ) वेतन के अंतर्गत है -

'क) जो कर्मकार 1 जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात, लेकिन 1 नवम्बर, 1992 के पूर्व, या तो सवोनिवृत्त हो गया था या उसकी मृत्यु हो गयी थी, और जो अधिकारी 1 जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात, लेकिन 1 जुलाई, 1993 के पूर्व , या तो सेवानिवृत्त हो गया था या उसकी मृत्यु हो गयी थी, के मामलों में,-

i) मूल वेतन तथा अवरोध वेतनवृद्धियां, यदि हों, और

ii) भविष्य निधि में अंशदान करने तथा महंगाई भत्ते के भुगतान के प्रयोजन हेतु गणना में लिए गए सभी भत्ते

(ख) जो कर्मकार 1 नवम्बर, 1992 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हो गया था, या जिसकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो गयी थी, और जो अधिकारी 1 जुलाई, 1993 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया था या जिसकी मृत्यु हो गयी थी, के मामले में ,-

i) मूल वेतन तथा अवरोध वेतनवृद्धियां, यदि हों, और

ii) भविष्य निधि में अंशदान करने तथा महंगाई भत्ते के भुगतान के प्रयोजन हेतु गणना में लिए गए सभी भत्ते

iii) नियत वैयकितक भत्ते का वेतनवृद्धि घटक ।"

(ग) जो कर्मचारी 1 अप्रैल, 1998 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया था या जिसकी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गयी थी, के मामले में -

(i) मूल वेतन तथा अवरोध वेतनवृद्धियां, यदि हों, और

(ii) भविष्य निधि में अंशदान करने तथा महंगाई भत्ते के भुगतान के प्रयोजन हेतु गणना में लिए गए सभी भत्ते ; और

(iii) नियत वैयक्तिक भत्ते का वेतनवृद्धि घटक ; और

(iv) महंगाई भत्ता उस पर श्रृंखला 1960 = 100 में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सूचकांक 1616 अंकों पर उपर्युक्त परिकलित पर ।

स्पष्टीकरण

इस खण्ड के प्रयोजन के लिए मूल वेतन, वेतन के अन्य घटकों और नियत वैयक्तिक वेतन का अर्थ मूल वेतन होगा, वेतनमान के अनुसार कर्मचारी द्वारा आहरित वेतन के अन्य घटक तथा नियत वैयक्तिक भत्ता, 1.11.1997 के पूर्व (कर्मकारों के मामले में) तथा 1.4.1998 के पूर्व (अधिकारियों के मामले में) लागू और देय वेतन के अन्य घटकों की दरों पर;

(ख) विनियम 3 में,

(i) उप-विनियम (1) में , खण्ड (ग) में, ".....बैंक को उपर्युक्त रकम" शब्दों के पश्चात् "या 1 अप्रैल, 1995 तक, जो भी पहले हो" शब्द जोड़े जाएंगे ;

(ii) उप-विनियम (7), में खण्ड (ख) में "..... बैंक को उपर्युक्त रकम" शब्दों के पश्चात् "या 1 अप्रैल, 1995 तक, जो भी पहले हो" शब्द जोड़े जाएंगे ;

(iii) उप-विनियम (9) के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात

"(10) उप-विनियम (2), (5), (6) और (8) में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई कर्मचारी 1 नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् लेकिन 1 अप्रैल, 1995 को या उसके पूर्व सेवानिवृत्त हो गया था/उसकी मृत्यु हो गयी थी या यदि किसी कर्मचारी की बैंक की सेवा में रहते हुए, 1 नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् लेकिन 1 अप्रैल, 1995 को या उसके पूर्व, मृत्यु हो गई थी तो ऐसा कर्मचारी या मृत कर्मचारी का परिवार, यथास्थिति, उपर्युक्त उप-विनियमों में उल्लिखित अवधि के भीतर भविष्य निधि में "बैंक के अंशदान की संपूर्ण राशि तथा उस पर उपचित ब्याज और भविष्खाते के नि टान की तारीख से बैंक को उपर्युक्त राशि वापस करने की तारीख तक 1 अप्रैल, 1995 तक, जो भी पहले हो, उक्त रकम पर छः प्रतिशत की वार्षिक दर से अतिरिक्त साधारण ब्याज के साथ वापस करेगा ।"

(ग) विनियम 12 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(12) निधि का निवेश : निधि में अंशदान की गई या प्राप्त या उस तारीख के पश्चात निधि पर ब्याज या अन्यथा के रूप में उपचित संपूर्ण राशि, भारत में डाक घर बचत बैंक खाते या किसी अनुसूचित बैंक के चालू खाते या बचत बैंक खाते में जमा की जा सकेगी या पेंशन विनियम के अनुसार पेंशन लाभ का भुगतान करने हेतु उपयोग में लाई जा सकेगी । जो रकम इस प्रकार जमा नहीं की गई है या जिसका उपयोग नहीं किया गया है उसका आयकर नियम, 1962 के नियम 67 के उप-नियम (2) में उल्लिखित अनुसार निवेश किया जाएगा ।"

(घ) विनियम 18 में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्

"परंतु, इस विनियम के उपबंध किसी कर्मचारी को पेंशन हेतु पात्र बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम सेवा निर्धारित करने हेतु लागू नहीं होंगे1

(ङ) विनियम 27 में, उप-विनियम (2) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात, :-

"(2) जो अंशकालिक कर्मचारी प्रारंभ में न्यूनतम वेतनमान पर नियुक्त किया गया था/है और बाद में उसका नियतन, पूर्ण वेतनमानों सहित, उच्चतम वेतनमान में किया गया था/जाता है, के मामले में, पेंशन राशि की गणना के प्रयोजन से अर्हता सेवा की अवधि का निर्धारण परिशिष्ट- IV के अनुसार किया जाएगा ।

(3) जो अंशकालिक कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति तक उसी वेतनमान में जारी रहते हैं, के मामले में पेंशन राशि की गणना करने के प्रयोजन से, पूर्ण वास्तविक सेवा को अर्हता सेवा माना जाएगा 1 ऐसे मामलों में, सेवानिवृत्ति के समय वेतनमान पर आहरित वास्तविक वेतन को औसत परिलब्धियों के प्रयोजन हेतु गिनती में लिया जाएगा ।

टिप्पणी :

वास्तविक सेवा/अर्हता सेवा की गणना सेवानिवृत्ति की तारीख से या 01.09.1978 से, जो भी बाद में हो, की जाएगी ।"

(च) विनियम 32 में, शब्द "और" खण्ड (क) के अंत में जोड़ा जाएगा :

(छ) विनियम 33 में, उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1) ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1982 या पंचाटों/समझौतों के अनुसार 1 नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् दंड के रूप में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारी को, ऐसा दंड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से उच्च प्राधिकारी द्वारा, दो तिहाई से कम नहीं और यदि वह उस तारीख को अधिवार्षिता पर ऐसी पेंशन का पात्र होता तो उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख को उसे स्वीकार्य पूर्ण पेंशन से अधिक नहीं, की दर से पेंशन मंजूर की जाए।"

(ज) विनियम 34 में, उप-विनियम (2) के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(2) विनियम 3 के उप-विनियम (7) में निहित उपबंधों द्वारा शासित मृत कर्मचारी का परिवार पेंशन या परिवार पेंशन, यथास्थिति के लिए 1 नवम्बर, 1993 से पात्र होगा ।"

(झ) विनियम 35 में उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1) मूल पेंशन तथा अतिरिक्त पेंशन, जहां भी लागू हो, परिशिष्ट-1 में दिए गए फार्मूले के अनुसार अद्यतन बनाई जाएगी ।"

(ञ.) विनियम 36 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(36) **न्यूनतम पेंशन** - न्यूनतम पेंशन की राशि निम्नानुसार होगी -

(क) जहां कर्मचारी (कर्मकारों के मामले में) 1 नवम्बर, 1992 के पूर्व या (अधिकारियों के मामले में) 1 जुलाई, 1993 के पूर्व सेवानिवृत्त हो गया था, वहां कर्मचारी के मामले में, अंशकालिक कर्मचारी को छोड़कर, रुपए तीन सौ पचहत्तर प्रतिमाह और

1 नवम्बर, 1992 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए अंशकालिक कर्मचारी के मामले में वेतनमान की दर के संबंध में उसकी आनुपातिक राशि;

(ख) जब कर्मचारी (कर्मकारों के मामले में) 1 नवम्बर, 1992 को या उसके पश्चात् या (अधिकारियों के मामले में) 1 जुलाई, 1993 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया था, वहां कर्मचारी के मामले में, अंशकालिक कर्मचारी को छोड़कर रुपए सात सौ बीस प्रतिमाह और 1 नवम्बर, 1992 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए अंशकालिक कर्मचारी के मामले में वेतनमान की दर के संबंध में उसकी आनुपातिक राशि;

(ग) जहां कर्मचारी 1 अप्रैल, 1998 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया था, वहां कर्मचारी के मामले में , अंशकालिक कर्मचारी को छोड़कर रुपए एक हजार पन्द्रह प्रति माह और जहां अंशकालिक कर्मचारी 1 अप्रैल, 1998 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हुआ है, वहां एक-तिमाही वेतन पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी के मामले में रुपए तीन सौ उनतालीस प्रतिमाह, आधा वेतन पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी के मामले में रुपए पांच सौ आठ प्रतिमाह तथा तीन चौथाई वेतन पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी के मामले में रुपए सात सो बासठ प्रतिमाह"

(ट) विनियम 39 में, -

(i) उप -विनियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु, जो कर्मचारी 1 जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात् बैंक की सेवा में थे तथा 31 अक्तूबर, 1987 को या उसके पूर्व सेवा में रहते हुए उनकी मृत्यु हो गयी थी या 31 अक्तूबर, 1987 को या उसके पूर्व सेवानिवृत्त हो गए थे परन्तु उनकी मृत्यु बाद में हुई थी, ऐसे मृतक कर्मचारी का परिवार पेंशन का पात्र होगा, जिसकी रकम परिशिष्ट V के अनुसार निर्धारित की जाएगी ।"

(ii) उप-विनियम (3) में, खण्ड (क) में, उप-खण्ड (ii) में, शब्द, कोष्ठक, शब्द "या खण्ड (ख) निकाले जाएंगे ;

(iii) उप-विनियम (3) में, खण्ड (क) में, उप-खण्ड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक शामिल किया जाएगा, अर्थात् :

परन्तु, इस खण्ड के अंतर्गत निर्धारित परिवार पेंशन की राशि किसी भी दशा में बैंक से सेवानिवृत्त पर अनुमोदित पेंशन से अधिक नहीं होगी । यदि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर उसे अनुमोदित पेंशन साधारण दर पर परिवार पेंशन की राशि से कम है तो परिवार को साधारण दरों पर परिवार पेंशन की अनुमति दी जाएगी ।

स्पष्टीकरण : इस उप-खण्ड के प्रयोजन हेतु "सेवानिवृत्ति पर प्राधिकृत पेंशन" में पेंशन का वह अंश शामिल है जो सेवानिवृत्त कर्मचारी ने मृत्यु के पूर्व संराशीकृत किया होता ।"

(ठ) विनियम 40 में,

(i) उप-विनियम (1) में, खण्ड (ख) और (ग) के लिए, निम्नलिखित खण्ड तथा परन्तुक प्रतिस्थापित किए जाएंगे , अर्थात्:

"(ख) पुत्र या पुत्री (विधवा/तलाकशुदा सहित) के मामले में जब तक वह पच्चीस वर्ष का/की नहीं हो जाता/जाती या उसके विवाह/पुनर्विवाह तक, जो भी पहले हो :

परन्तु, जब पात्र पुत्र/पुत्री सरकारी/निजी क्षेत्र/स्व-नियोजन आदि में नियोजन से 2550/- रु. प्रतिमाह से अधिक रकम प्राप्त करना शुरू कर देता/देती है तो पुत्रों/पुत्रियों (विधवा/तलाकशुदा सहित) को देय पेंशन बंद कर दी जाएगी/स्वीकार्य नहीं होगी ।

परन्तु, यदि किसी कर्मचारी का पुत्र या पुत्री किसी मानसिक विकार या अशक्तता से ग्रस्त है या शारीरिक रूप से इस प्रकार अपंग या विकलांग है कि वह पच्चीस वर्ष का/की होने पर भी जीविका निर्वाह के लिए कमा नहीं सकता/सकती तो ऐसे पुत्र या पुत्री को निम्नलिखित शर्तों के अधीन आजीवन परिवार पेंशन का भुगतान किया जाएगा :-

(i) यदि ऐसा पुत्र या पुत्री, कर्मचारी के दो या दो से अधिक बच्चों में से है तो प्रारंभ में परिवार पेंशन उप-विनियम (1) के खण्ड (ड.) में निर्धारित अनुसार अवयस्क बच्चे को देय होगी और वह तक तक देय होगी जब तक कि अंतिम अवयस्क बच्चा पच्चीस वर्ष का नहीं हो जाता और उसके पश्चात परिवार पेंशन मानसिक विकार या अशक्तता से ग्रस्त या शारीरिक रूप से अपंग या विकलांग पुत्र या पुत्री के पक्ष में पुनः आरंभ की जाएगी और उसे आजीवन देय होगी;

(ii) यदि मानसिक विकार या अशक्तता से ग्रस्त या शारीरिक रूप से अपंग या विकलांग बच्चे एक से अधिक हैं तो परिवार पेंशन उनके जन्म के क्रम से दी जाएगी और उसमें सबसे कम उम्र के पुत्र या पुत्री को परिवार पेंशन तभी मिलेगी जब उससे बड़े/बड़ी की पात्रता समाप्त हो जाएगी :

परन्तु, जहां परिवार पेंशन ऐसे जुड़वा बच्चों को देय है वहां यह उप-विनियम (1) के खण्ड (च) में निर्दिष्ट तरीके से दी जाएगी :

(iii) ऐसे पुत्र या पुत्री को परिवार पेंशन अभिभावक के जरिए प्रदान की जाएगी मानो वह अवयस्क था/थी, सिवाय शारीरिक रूप से अपंग या विकलांग पुत्र या पुत्री के होने, जो परिपक्वता आयु पर पहुंच चुके हों ।

(iv) ऐसे किसी पुत्र या पुत्री को आजीवन परिवार पेंशन देने की अनुमति देने के पूर्व, सक्षम प्राधिकारी इस बात की तुष्टि करेगा कि विकलांगता इस प्रकार की है कि वह उसकी आजीविका के लिए आय प्राप्त करने में बाधा बनती है और इसे बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र द्वाराप्रमाणित करना होगा जिसमें, यथासंभव, बच्चे की सही-सही मानसिक एवं शारीरिक स्थिति दी गई हो;

(v) ऐसे पुत्र या पुत्री के अभिभावक के रूप में परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति या अभिभावक के माध्यम से परिवार पेंशन प्राप्त न करने वाले पुत्र या पुत्री को बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी का प्रत्येक तीन वर्ष में इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह मानसिक विकार या अशक्तता से लगातार ग्रस्त है तथा शारीरिक रूप से अपंग या विकलांग है ।

स्पष्टीकरण -

इस विनियम में निर्दिष्ट आयु सीमा से अधिक आयु के विकलांग बच्चे को परिवार पेंशन निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाएगी अर्थात् -

(i) पुत्री इस उप-विनियम के अधीन परिवार पेंशन के लिए उस तारीख से अपात्र हो जाएगी जिस तारीख को वह विवाह करती है;

(ii) यदि ऐसा पुत्र या पुत्री अपनी आजीविका का आरंभ कर देता /देती है तो ऐसे पुत्र या पुत्री को परिवार पेंशन बंद कर दी जाएगी । ऐसे मामलों में, अभिभावक या पुत्र या पुत्री का यह कर्त्तव्य होगा कि वह हर महीने बैंक को इस आशय को प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि -

(अ) उसने अपनी आजीविका प्रारंभ नहीं की है;

(आ) पुत्री के मामले में यह कि अभी तक वह अविवाहित है;

"(ग) माता-पिता के मामले में, यदि सरकारी/निजी क्षेत्र/स्व-नियोजन आदि में नियोजन से माता-पिता में से किसी एक की आय या माता-पिता दोनों की कुल आय रुपए 2550/- रुपए माह से अधिक हो जाती है तो देय परिवार पेंशन बंद कर दी जाएगी/स्वीकार्य नहीं होगी ।"

(ii) उप-विनियम (4) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

"(4) जहां पति और पत्नी दोनों बैंक कर्मचारी हैं तथा इस विनियम के प्रावधनों द्वारा शासित होते हैं, और उनमें से किसी एक की सेवाकाल के दौरान या सेवानिवृत्ति के पश्चात मृत्यु हो जाती है तो मृत कर्मचारी के मामले में परिवार पेंशन जीवित पति या पत्नी को दी जाएगी और पति या पत्नी की मृत्यु हो जाने पर, मृत अभिभावकों के मामले में जीवित बच्चे या बच्चों को दो परिवार पेंशन मंजूर की जाएगी जो निम्नलिखित तक सीमित रहेगी अर्थात् -

(क) यदि जीवित बच्चा या बच्चे विनियम 39 के उप-विनियम (3) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) तथा खण्ड (ख) के उप-खण्ड (i) में उल्लिखित दरों पर दो परिवार पेंशन पाने का पात्र है/हैं तो दोनों पेंशन की दर निम्नलिखित तक सीमित रहेगी -

(i) 1 नवम्बर, 1992 के पूर्व (कर्मकारों के मामले में) या 1 जुलाई, 1993 के पूर्व (अधिकारियों के मामले में) सेवा में रहते हुए जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए थे या जिनकी मृत्यु हो गयी थी , के मामले में रुपए दो हजार पांच सौ केवल प्रतिमाह ;

(ii) 1 नवम्बर, 1992 को या उसके पश्चात (कर्मकारों के मामले में) या 1 जुलाई, 1993 को या उसके पश्चात (अधिकारियों के मामले में) सेवा में रहते हुए जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए थे या जिनकी मृत्यु हो गई थी, के मामले में रुपए चार हजार आठ सौ केवल प्रतिमाह ; और

(iii) केवल उन कर्मचारियों, अधिकारियों तथा कर्मकारों, दोनों के मामले में, जो 1 अप्रैल, 1998 को या उसके पश्चात् सेवानिवृतत हो गए थे या जिनकी मृत्यु हो गई थी, रुपए छः हजार सात सौ छप्पन केवल प्रतिमाह ।

(ख) यदि विनियम 39 के उप-विनियम (3) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) या खण्ड (ख) के उप-खण्ड (i)में उल्लिखित दरों पर देय एक परिवार पेंशन बंद हो जाती है और उसके बदले विनियम 39 के उप-विनियम (1) में उल्लिखित दर पर परिवार पेंशन देय हो जाती है तो दोनों पेंशन की रकम भी निम्नलिखित तक सीमित रहेगी -

(i) जो कर्मचारी 1 नवम्बर, 1992 के पूर्व (कर्मकारों के मामले में) या 1 जुलाई, 1993 के पूर्व (अधिकारियों के मामले में) सेवा में रहते हुए सेवानिवत्त हो गए थे या जिनकी मृत्यु हो गयी थी, के मामले में रुपए दो हजार पांच सौ केवल प्रतिमाह ।

(ii) जो कर्मचारी 1 नवम्बर, 1992 को या उसके पश्चात (कर्मकारों के मामले में) या 1 जुलाई, 1993 को उसके पश्चात (अधिकारियों के मामले में) सेवानिवृत्त हो गए थे या जिनकी मृत्यु हो गयी थी, के मामले में रुपए चार हजार आठ सौ केवल प्रतिमाह और

(iii) केवल उन कर्मचारियों, अधिकारियों तथा कर्मकारों दोनों , के मामले में जो 1 अप्रैल 1998 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हो गए थे या जिनकी मृत्यु हो गयी थी, रुपए छः हजार सात सौ छप्पन प्रतिमाह ।

(ग) यदि दोनों परिवार पेंशन विनियम 39 के उप-विनियम (1) में उल्लिखित दर पर देय हैं तो दोनों परिवार पेंशन की राशि निम्नलिखित तक सीमित रहेगी -

(i) जो कर्मचारी 1 नवम्बर, 1992 के पूर्व (कर्मकारों के मामले में) या 1 जुलाई, 1993 के पूर्व (अधिकारियों के मामले में) सेवा के दौरान सेवानिवृत्त हो गए थे या जिनकी मृत्यु हो गयी थी, के मामले में, रुपए एक हजार दो सौ पचास रुपए प्रतिमाह ।

(ii) जो कर्मचारी 1 नवम्बर, 1992 को या उसके पश्चात (कर्मकारों के मामले में) या 1 जुलाई, 1993 को या उसके पश्चात (अधिकारियों के मामले में) सेवानिवृत्त हो गए थे या जिनकी मृत्यु हो गयी थी, के मामले में रुपए दो हजार पांच सौ प्रतिमाह

(iii) केवल उन कर्मचारियों, अधिकारियों तथा कर्मकारों दोनों , के मामले में जो 1 अप्रैल 1998 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हो गए थे या जिनकी मृत्यु हो गयी थी, रुपए तीन हजार तीन सौ अठहत्तर प्रतिमाह ।

(iii) उप-विनियम (5) में, खण्ड (ग) के परंतुक के लिए, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् -

परंतु, ऐसे या बच्चों या विधवा या विधवाओं को देय परिवार पेंशन के अंश या अंशों को भुगतान बंद हो जाने पर ऐसा/ऐसे अंश समाप्त नहीं होगा/होंगे, बल्कि अन्य विधवा या विधवाओं को और/या अन्यथा पात्र अन्य बच्चा या बच्चे को समान अंशों में देय होगा या यदि केवल एक विधवा या बच्चा है तो ऐसी विधवा या बच्चे का पूरा अंश देय होगा ।"

(iv) उप-विनियम (5) में खण्ड (ग) के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा अर्थात्

"(गक) जहां मृत कर्मचारी या पेंशनभोगी के पीछे एक विधवा बची हो किन्तु वह तलाकशुदा पत्नी या पत्नियों से पात्र बच्चा या बच्चे छोड़ गया हो तो, ऐसा/ऐसे पात्र बच्चा या बच्चे परिवार पेंशन का वह अंश पाने का/के हकदार होगा/होंगे जो कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के समय उसकी /उनकी माता को मिलता, यदि उसका तलाक न हुआ होता ।

परन्तु, ऐसे बच्चे या बच्चा या विधवा या विधवाओं को देय परिवार पेंशन के अंश या अंशों के देय होने पर, ऐसा या ऐसे अंश व्यपगत नहीं होंगे अपितु अन्य विधवा या विधवाओं और/या अन्य बच्चा या बच्चों, जो अन्यथा पात्र हों, को समान अंशों में देय होगा/होंगे, यदि एक ही विधवा या बच्चा है, तो ऐसी विधवा या बच्चे को पूर्ण रूप से देय होगा/होंगे ।

(ङ) विनियम 41 में,

(क) उप-विनियम 4 में, टिप्पणियों के लिए , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

टिप्पणी -

उपर्युक्त तालिका पेंशनभोगी के अगले जन्म दिन पर उसकी आयु के संदर्भ में क्रय वर्षों की संख्या के रूप में व्यक्त पेंशन का संराशीकृत दर्शाती है । अठावन वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के मामले में संराशीकृत मूल्य 10.46 क्रय वर्ष है और, इसलिए यह यह सेवानिवृत्ति से एक वर्ष के भीतर अपनी पेंशन से सौ रुपए संराशीकृत करता है तो उसे एकमुश्त देय राशि होगी रुपए 100 x 10.46 x 12/- = 12,552/-रुपए

(ख) प्रतिस्थापित टिप्पणी के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात् :-

(5) जिस कर्मचारी ने पेंशन के स्वीकार्य अंश को संराशीकृत किया था, वह संराशीकरण की तारीख से पन्द्रह वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् फिर से चालू पेंशन के संराशीकृत अंश को पाने का पात्र होगा ।

(6) जो आवेदक अधिवर्षिता पेंशन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन, समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन, अनिवार्य सेवा-निवृत्ति पेंशन , अवैध पेंशन या अनुकंपा भत्ता हेतु अधिकृत है, वह इन विनियमों के अधीन अपनी पेंशन के अंश को संराशीकृत करने हेतु पात्र होगा ।

(7) यदि पेंशनभोगी अधिवार्षिता पेंशन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन या समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन हेतु पात्र हैं जो सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर संराशीकरण हेतु आवेदन देने पर, चिकित्सा जांच अनिवार्य नहीं होगी । परन्तु, यदि ऐसा पेंशनभोगी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् पेंशन के संराशीकरण हेतु आवेदन करता है तो इसकी अनुमति चिकित्सा जांच के अधीन दी जाएगी :

परन्तु, जिस आवेदक को विनियम 46 के अनुसार अनंतिम पेंशन प्राप्त हो रही है और जिसके लिए विभागीय या न्यायायिक कार्यवाही पूर्ण होने पर पेंशन प्राधिकृत की गई है, इस उप-विनियम में उल्लिखित एक वर्ष की अवधि, विभागीय या न्यायिक कार्यवाही के पूर्ण हो जाने के परिणामस्वरूप आदेश जारी होने की तारीख गिनी जाएगी ।

(8) ऐसा आवेदक -

(i) जो इन विनियमों के विनियम 30 के अंतर्गत अवैध पेंशन पर सेवानिवृत्त होता है; या

(ii) जिसे इन विनियमों के विनियम 31 के अंतर्गत अनुकंपा भत्ता प्राप्त हो रहा है; या

(iii) जिसे बैंक द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है और वह विनियम 33 के अंतर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन के पात्र है ;

वह बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वस्थ घोषित किए जाने के बाद उप-विनियम (1) में उल्लिखित सीमा के अधीन अपनी पेंशन के अंश को संराशीकृत करने का पात्र होगा ।

(9) पेंशन का संराशीकरण तब निरपेक्ष हो जाएगा जब -

(क) अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी, सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद की अगली तारीख पर, सेवानिवृत्ति की तारीख के पूर्व पेंशन के संराशीकरण हेतु आवेदन करता है :

परन्तु विनियम 29 के उप-विनियम (3) द्वारा शासित कर्मचारी तीन महीने का नोटिस समाप्त होने के पूर्व अपनी पेंशन के अंश के संराशीकरण हेतु आवेदन नहीं करेगा और पेंशन का संराशीकरण विनियम 29 के उप-विनियम (1) में उल्लिखित नोटिस अवधि के समाप्त होने पर निरपेक्ष (पूर्ण) हो जाएगा :

(ख) अधिवर्षिता पर या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर या समयपूर्व सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी, यदि सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात परंतु सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पूरा होने के पूर्व पेंशन के संराशीकरण हेतु आवेदन करता है तो संराशीकरण हेतु आवेदन सक्षम प्राधिकारी को जिस तारीख को प्राप्त होता है;

(ग) अधिवर्षिता पर या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर या समयपूर्व सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी, यदि पेंशन के संराशीकरण हेतु सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के पश्चात आवेदन करता है तो बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रदान करने की तारीख पर;

(घ) जो कर्मचारी 1 नवम्बर, 1993 के पूर्व सेवानिवृत्त हो गया था और इन विनियमों द्वारा शासित होने का विकल्प चुनता है , 1 नवम्बर, 1993 को, जहां आवेदन विनियम 3 के उप-विनियम (2) के खण्ड (ख) में उल्लिखित अवधि के भीतर किया गया है ;

(ड.) जो कर्मचारी 1 नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात बैंक की सेवा में था परन्तु जो अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन को इन विनियमों के प्रकाशन के पूर्व सेवानिवृत्त हो गया था, जहां आवेदन विनियम 3 के उप-विनियम (2) के खण्ड (ख) में उल्लिखित अविध के भीतर किया गया हो;

(च) जो कर्मचारी 1 नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हो गया था परन्तु अधिसूचित तारीख के पूर्व उसकी मृत्यु हो गयी थी, उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन पर, जहां मृतक कर्मचारी के परिवार द्वारा संराशीकरण का आवेदन विनियम 3 के उप-विनियम (5) के खण्ड (क) में उल्लिखित अवधि के भीतर किया गया है;

(छ) जिस कर्मचारी को विनियम 30 के अधीन अवैध पेंशन या विनियम 31 के अधीन अनुकंपा भत्ता या विनियम 33 के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन स्वीकार्य है संराशीकरण बैंक द्वाराअनुमोदन चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए चिकित्सा प्रमाण्पत्र की तारीख को निरपेक्ष हो जाएगा ।

( ) विनियम 48 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"48 बैंक को हुई आर्थिक हानि की वसूली -

(1) यदि पेंशनभोगी अपनी सेवा अवधि के दौरान किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में घोर अवचार या अपेक्षा या अपराधिक न्यासभंग या जालसाजी या कपटपूर्ण कार्य का दोषी पाया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी पेंशन या उसका अंश रोक सकता है या आहरित कर सकता है, चाहे स्थायी रूप से या निर्धारित अवधि के लिए, और बैंक को हुई किसी भी आर्थिक हानि के पूरे या अंश को पेंशन से वसूल करने का ओदश दे सकता है :

परन्तु , कोई अंतिम आदेश जारी करने के पूर्व बोर्ड से परामर्श किया जाएगा :

परन्तु , कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात, विभागीय कार्यवाही , यदि कर्मचारी के सेवा में रहते हुए आरंभ की गई है, इन विनियमों के अधीन कार्यवाही समझी जाएगी तथा जिस प्राधिकारी द्वारा वह आरंभ की गई थी वह उसी प्रकार से जारी रखी जाएगी तथा समाप्त की जाएगी मानों कर्मचारी सेवा में हैं ।

(2) यदि कर्मचारी के सेवा में रहते हुए विभागीय जांच कार्यवाही आरंभ नहीं की गई थी, तो ऐसे संस्थापना के चार वर्ष के पूर्व हेतु किसी भी घटना के मामले में कोई विभागीय कार्यवाही आरंभ नहीं की जाएगी :

परन्तु, इस प्रकार आरंभ की गई अनुशासनिक कार्यवाही, कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान अनुशासनिक कार्यवाही के लिए लागू प्रक्रिया के अनुसार होगी ।

(3) जहां सक्षम प्राधिकारी पेंशन से आर्थिक हानि की वसूली का आदेश देता है वहां वसूली सामान्यतया कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख को स्वीकार्य पेंशन के एक तिहाई से अधिक की दर पर नहीं की जाएगी।

परन्तु , जहां पेंशन का अंश रोका गया है या आहरित किया गया है, वहां पेंशनभोगी द्वारा आहरित पेंशन राशि इन विनियमों के अधीन देय न्यूनतम पेंशन से कम नहीं होगी ।"

( ) परिशिष्ट -1 के लिए, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

परिशिष्ट-1
(विनियम 35 देखें)

1 01.01.1986 से 31.10.1987 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारी के मामले में, मूल पेंशन तथा अतिरिक्त पेंशन को अद्यतन बनाने का फॉर्मूला निम्नलिखित अनुसार होगा :-

(1) अ (क)	पेंशन के लिए गणना योग्य औसत परिलब्धियों के पहले रुपए 1000/- का 50 प्रतिशत	.....रुपए
(ख)	अगले रुपए 500/- का 45 प्रतिशत	.....रुपए
(ग)	रुपए 1500/- से अधिक पेंशन के लिए गणना योग्य औसत परिलब्धियों का 40 प्रतिशत	.....रुपए
	(क+ख+ग) का योग	.....रुपए (अ)
आ	सेवानिवृत्ति के पूर्व सेवा के अंतिम 10 महीने की औसत मासिक परिलब्धियों का 50 प्रतिशत	.....रुपए (आ)

इ	नीचे दी गई तालिका के अनुसार, उपर्युक्त (अ) पर परिकलित मूल पेंशन पर, श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सूचकांक 600 पर महंगाई राहत	.....रुपए (इ)
ई	कुल मूल पेंशन = (आ)+(इ)X अर्हता सेवा के वर्षों की संख्या (अधिकतम 33 वर्ष) / 33	.....रुपए (ई)
उ.	1.11.1993 को मूल पेंशन (अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित)	.....रुपए (उ)

(2) सेवानिवृत्ति के समय आहरित विशेष भत्ते के अनुरूप , दिनांक 10 अप्रैल, 1989 के द्विपक्षीय समझौते या अधिकारी सेवा विनियम, यथास्थिति, के अनुसार भविष्य निधि में अंशदान करने हेतु गिनी जाने वाली रकम की सीमा तक विशेष भत्ते अतिरिक्त पेंशन के प्रयोजन हेतु गिने जाएंगे ।

तालिका

01.01.1986 से 31.10.1987 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 600 पर तैयार की गई महंगाई राहत की दरें :-

(क)	अधीनस्थ वर्ग के कर्मचारी	उपर्युक्त अ पर परिकलित पेंशन का 60.40%
(ख)	756/-रुपए प्रतिमाह पेंशन आहरित करने वाले लिपिकीय वर्ग के कर्मचारी	उपर्युक्त अ पर परिकलित पेंशन का 67%

(ग) 757/-रुपए और उससे अधिक प्रतिमाह पेंशन आहरित करने वाले लिपिकीय वर्ग के कर्मचारी महंगाई राहत के लिए निम्नलिखित अनुसार पात्र होंगे :-

प्रतिमाह आहरित मूल पेंशन की राशि (रुपए)	स्वीकार्य महंगाई राहत राशि (रुपए)
757 - 796	508.00
797 - 804	534.00
805 - 824	540.00
835 - 844	553.00
845 - 864	567.00
865 - 884	580.00
885 - 904	593.00
905 - 924	607.00
925 - 944	620.00
945 - 964	634.00
965 - 984	647.00
985 - 1004	660.00
1005 - 1024	674.00
1025 - 1044	687.00
1045 - 1064	701.00
1065 - 1084	714.00
1085 और अधिक	727.00

(घ) अधिकारी वर्ग के कर्मचारी महंगाई राहत के लिए निम्नानुसार पात्र होंगे :-

(i)	765/-रुपए प्रतिमाह मूल पेंशन आहरित करने वाले	उपर्युक्त अ पर परिकलित पेंशन राशि का 66% अधिकतम 500/-रुपए
(ii)	766/-रुपए से 1165/-रुपए प्रतिमाह मूल पेंशन आहरित करने वाले	500/-रुपए
(iii)	1166/-रुपए और उससे अधिक प्रतिमाह पेंशन आहरित करने वाले	उपर्युक्त अ पर परिकलित पेंशन राशि का 42.90% अधिकतम 715/-

2 1 नवम्बर, 1992 को या उसके पश्चात, परन्तु 1 सितम्बर, 1993 के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा 1 जुलाई, 1993 को या उसके पश्चात् परन्तु 1 मई, 1994 के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी के मामले में, मूल पेंशन को अद्यतन बनाने का फॉर्मूला निम्नलिखित अनुसार होगा :-

(1) अर्हता सेवा के अंतिम 10 महीनों के दौरान महीने/महीनों के लिए पुराने वेतनमान के अनुसार आहरित वेतन का योग — रुपए _____

(2) उपर्युक्त (1) पर परिकलित वेतन के प्रत्येक महीने के लिए, वास्तविक रूप से आहरित महंगाई भत्ते या 1148 अंकों पर महंगाई भत्ते, जो भी कम हो, का योग — रुपए _____

(3) उपर्युक्त 1 के अनुसार आहरित वेतन का योग तथा (+) उपर्युक्त (2) के अनुसार आहरित महंगाई भत्ते का योग — रुपए _____

(4) जिस महीने में कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ, उस महीने को शामिल करते हुए, अर्हता सेवा के अंतिम 10 महीने /महिनों के लिए संशोधित वेतनमान के अनुसार आहरित वेतन का योग — रुपए _____

(5) कॉलम (3) व (4) का योग — रुपए _____

(6) पेंशन के प्रयोजन हेतु औसत परिलब्धियां अर्थात् उपर्युक्त (5) के अनुसार योग / 10 — रुपए _____

(7) अद्यतन मूल पेंशन — रुपए _____

उपर्युक्त (6) का 50 प्रतिशत X अर्हता सेवा के वर्षों की संख्या / (अधिकतम 33 वर्ष) / 33

8 मूल पेंशन (अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित) — रुपए.....

3 सेवानिवृत्ति के समय वास्तविक रूप से आहरित विशेष भत्तों के अनुरूप, अतिरिक्त पेंशन के संराशीकरण के प्रयोजन से 1 नवम्बर, 1992 को या उसके पश्चात, परन्तु 1 नवम्बर, 1994 के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मकारों तथा 1 जुलाई, 1993 को या उसके पश्चात, परन्तु 1 नवम्बर, 1994 के पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारियों के मामले में, दिनांक 14 फरवरी, 1995 के द्विपक्षीय समझौते या अधिकारी

सेवा विनियम, यथास्थिति , के अनुसार विशेष भत्तों की राशि की गणना 1 नवम्बर , 1994 से की जाएगी ।

परन्तु, 1 नवम्बर, 1992 या सेवानिवृत्ति की तारीख से, जो भी बाद में हो, 31 अक्तूबर, 1994 तक की अवधि के लिए, संशोधन पूर्व दरों पर भविष्य निधि की गणना हेतु राशि अतिरिक्त पेंशन के संराशीकरण के प्रयोजन हेतु गिनी जाएगी ।

4 सेवानिवृत्ति के समय वास्तवित रूप से आहरित संशोधन पूर्व विशेष भत्ते के अनुरूप 1 नवम्बर, 1994 को यो उसके पश्चात सेवानिवृत्त तथा सेवानिवृत्ति के पूर्व सेवा के अंतिम 10 महीनों के दौरान संशोधन- पूर्व तथा संशोधित दरो दोनों पर विशेष भत्ता आहरित कर चुके कर्मचारियों के मामले में, 14 फरवरी, 1995 के द्विपक्षीय समझौते या अधिकारी सेवा विनियम, यथास्थिति, के [illegible] विशेष भत्ते की राशि अतिरिक्त पेंशन के संराशीकरण के प्रयोजन हेतु गिनी जाएगी ।

टिप्पणी

1 नवम्बर, 1994 को या उसके पश्चात् आहरित संशोधित विशेष भत्ते का राशि मूल पेंशन के संराशीकरण हेतु गिनी जाएगी ।

जो अधीनस्थ कर्मचारी 1 नवम्बर, 1992 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हुए थे तथा संशोधन पूर्व विशेष भत्ता आहरित किया था और वे कर्मचारी भी जो 1 नवम्बर, 1994 को या उसके पश्चात, सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा सेवानिवृति के पूर्व सेवा के अंतिम दस महीनों के दौरान संशोधन-पूर्व तथा संशोधित दोनों विशेष भत्ते आहरित कर चुके हैं के मामले में संशोधन पूर्व दरों पर वास्तविक रूप से आहरित विशेष भत्ते की राशि मूल पेंशन के संराशीकरण के प्रयोजन हेतु गिनी जाएगी और श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के तिमाही औसत में 600 के ऊपर प्रत्येक 4 अंकों की वृद्धि या गिरावट के लिए महंगाई राहत आहरित करेंगे ।

( ) परिशिष्ट-II के लिए, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

परिशिष्ट - II
(विनियम 37 देखें)

मूल पेंशन पर महंगाई राहत निम्नलिखित अनुसार होगी :-

(1) अधीनस्थ श्रेणी के जो कर्मचारी 1 जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात, लेकिन 1 नवम्बर, 1992 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे तथा आंधकारी श्रेणी के जो कर्मचारी 1 जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात् परन्तु 1 जुलाई, 1993 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, के मामले में, महंगाई भत्ता श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 600 अंकों के ऊपर, यथास्थिति , प्रत्येक 4 अंकों की वृद्धि पर देय होगा तथा प्रत्येक गिरावट पर वसूली योग्य होगा । उपर्युक्त प्रत्येक चार अंकों की प्रत्येक महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या गिरावट नीचे दिए गए अनुसार परिकलित की जाएगी :-

मूल पेंशन का प्रतिमाह मान 1	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर 2
(i) 1250/-रुपए तक	0.67%
(ii) 1251/-रुपए से 2000/-रुपए	1250/-रुपए का 0.67 प्रतिशत तथा (+) 1250/-रुपए से अधिक मूल पेंशन का 0.55 प्रतिशत
(iii) 2001/-रुपए से 2130/-रुपए	1250/-रुपए का 0.67 प्रतिशत तथा (+) 2000/-रुपए और 1250/-रुपए के बीच के अंतर का 0.55 प्रतिशत तथा 2000/-रुपए से अधिक मूल पेंशन का 0.33 प्रतिशत
(iv) 2130/-रुपए से अधिक	1250/-रुपए का 0.67 प्रतिशत तथा (+) 2000/-रुपए और 1250/-रुपए के बीच के अंतर का 0.55 प्रतिशत तथा (+) 2130/-रुपए और 2000/-रुपए के बीच के अंतर का 0.33 प्रतिशत तथा (+) 2130/- से अधिक पेंशन का 0.17 प्रतिशत

(2) जो कर्मचारी, 1 नवम्बर, 1992 को या उसके पश्चात, सेवानिवृत्त हुए हैं या जो अधिकारी 1 जुलाई, 1993 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें महंगाई राहत, श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1148 से अधिक प्रत्येक 4 अंकों की, यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिए देय होगी तथा प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी । उपर्युक्त प्रत्येक चार अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या गिरावट नीचे दिए गए प्रकार से परिकलित की जाएगी :-

मूल पेंशन का प्रतिमाह मान 1	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर 2
(i) 2400/-रुपए तक	0.35%
(ii) 2401/-रुपए से 3850/-रुपए	2400/-रुपए का 0.35 प्रतिशत तथा (+) 2400/-रुपए से अधिक मूल पेंशन का 0.29 प्रतिशत
(iii) 3851/-रुपए से 4100/-रुपए	2400/-रुपए का 0.35 प्रतिशत तथा (+) 3850/-रुपए और 2400/-रुपए के बीच के अंतर का 0.29 प्रतिशत तथा (+) 3850/-रुपए से अधिक मूल पेंशन का 0.17 प्रतिशत
(iv) 4100/-रुपए से अधिक	2400/-रुपए का 0.35 प्रतिशत तथा (+) 3850/-रुपए और 2400/-रुपए के बीच के अंतर का 0.29 प्रतिशत तथा (+) 4100/-रुपए और 3850/-रुपए के बीच के अंतर का 0.17 प्रतिशत तथा (+) 4100/- से अधिक पेंशन का 0.09 प्रतिशत

(3) जो कर्मचारी, 1 अप्रैल, 1998 को या उसके पश्चात, सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें महंगाई राहत, श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1616 से अधिक प्रत्येक 4 अंकों की, यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिए देय होगी तथा प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी । उपर्युक्त प्रत्येक चार अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या गिरावट नीचे दिए गए प्रकार से परिकलित की जाएगी :-

मूल पेंशन का वेतन प्रतिमाह मान	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(i) 3380/-रुपए तक	0.25%
(ii) 3381/-रुपए से 5420/-रुपए	3380/-रुपए का 0.25 प्रतिशत तथा (+) 3380/-रुपए से अधिक मूल पेंशन का 0.21 प्रतिशत
(iii) 5421/-रुपए से 5770/-रुपए	3380/-रुपए का 0.25 प्रतिशत तथा (+) 5420/-रुपए और 3380/-रुपए के बीच के अंतर का 0.21 प्रतिशत तथा (+) 5420/-रुपए से अधिक मूल पेंशन का 0.12 प्रतिशत
(iv) 5770/-रुपए से अधिक	3380/-रुपए का 0.25 प्रतिशत तथा (+) 5420/-रुपए और 3380/-रुपए के बीच के अंतर का 0.21 प्रतिशत तथा (+) 5770/-रुपए और 5420/-रुपए के बीच के अंतर का 0.12 प्रतिशत तथा (+) 5770/- से अधिक मूल पेंशन का 0.06 प्रतिशत

(4) महंगाई भत्ता पिछले वर्ष के अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर के महीनों में प्रकाशित सूचकांकों के तिमाही औसत पर पहली फरवरी से आरंभ और 31 जुलाई को समाप्त होने वाली छमाही के लिए और उसी वर्ष अप्रैल, मई और जून के महीनों में प्रकाशित सूचकांकों के तिमाही औसत पर 1 अगस्त से आरंभ और 31 जनवरी को समाप्त होने वाली छमाही के लिए देय होगा ।

(5) परिवार पेंशन, अवैध पेंशन और अनुकम्पा भत्ते के मामले में, महंगाई राहत ऊपर उल्लिखित दरों के अनुसार देय होगी ।

(6) पूर्ण मूल पेंशन पर महंगाई राहत की अनुमति संराशीकरण के बाद भी दी जाएगी ।

(7) महंगाई राहत अतिरिक्त पेंशन पर देय नहीं है ।

(8) जिस पेंशनभोगी की मूल पेंशन न्यूनतम पेंशन से कम है परन्तु मूल पेंशन तथा अतिरिक्त पेंशन का योग न्यूनतम पेंशन से अधिक है वह न्यूनतम पेंशन को लागू महंगाई राहत आहरित कर सकेगा ।

(घ) परिशिष्टि-III के लिए, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया गया जाएग, अर्थात् :-

परिशिष्टि - III
(विनियम 39 देखें)

परिवार पेंशन की साधारण दरें इस प्रकार होंगी :-

(क) अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर, अन्य कर्मचारियों के मामले में, जहां कर्मचारी कर्मकार श्रेणी में था और 1.11.1992 के पूर्व सेवानिवृत्त हुआ था, या जहां कर्मचारी अधिकारी वर्ग में था और 1.7.1993 के पूर्व सेवानिवृत्त हुआ था ।

वेतन प्रतिमाह	मासिक परिवार पेंशन की राशि
1500/-रुपए तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है परन्तु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी । मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग 375/-रुपए प्रतिमाह से कम नहीं होगा ।
1501 से 3000/-रुपए	वेतन का 20 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 20 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है परन्तु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी । मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग 450/-रुपए प्रतिमाह से कम नहीं होगा ।
3000/-रुपए से अधिक	वेतन का 15 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 15 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है परन्तु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी । मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग 600/-रुपए प्रतिमाह से कम तथा 1250 रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा ।

(ख) कर्मचारियों के मामले में अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर, जहां कर्मचारी कर्मकार श्रेणी में था और 1.11.1992 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत हुआ था या जहां कर्मचारी अधिकारी वर्ग में था और 1.7.1993 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुआ था ।

वेतनमान प्रतिमाह	मासिक परिवार पेंशन की राशि
2870/-रुपए तक	"वेतन" का 30 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है परन्तु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी । मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग 720/-रुपए प्रतिमाह से कम नहीं होगा ।
2871/- से 5740/-रुपए	वेतन का 20 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 20 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है परन्तु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी । मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग 860/-रुपए प्रतिमाह से कम नहीं होगा ।
5740 रुपए से अधिक	वेतन का 15 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 15 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है परन्तु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी । मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग 1150/-रुपए प्रतिमाह से कम तथा 2400/- रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा ।

(ग) 1.4.1998 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले अंशकलिक कर्मचारियों को छोड़कर , कर्मचारियों (अधिकारी तथा कर्मकार दोनों) के मामलें में :-

वेतनमान प्रतिमाह	मासिक परिवार पेंशन की राशि
4040/-रुपए तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है परन्तु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी । मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग 1015/-रुपए प्रतिमाह से कम नहीं होगा ।
4040/- से 8080/- रुपए	वेतन का 20 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 20 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है परन्तु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी । मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग 1212/-रुपए प्रतिमाह से कम नहीं होगा ।
8080/-रुपए से अधिक	वेतन का 15 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 15 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है परन्तु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी । मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग 1616/-रुपए प्रतिमाह से कम तथा 3378/- रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा ।

टिप्पणी :

(1) महंगाई भत्ता अतिरिक्त परिवार पेंशन पर देय नहीं होगा ।

(2) उपर्युक्त अनुसार परिवार पेंशन की गणना के प्रयोजन से वेतनमान , विनियम 2 के उप खंड (न) में निर्धारित "वेतन" तथा विनियम 35 के उप-विनियम (3) की व्याख्या में निर्धारित भत्तों का योग होगा ।

(3) अंशकालिक कर्मचारी के मामले में, परिवार पेंशन की न्यूतनम तथा अधिकतम राशि, कर्मचारी द्वारा आहरित वेतन की दर के अनुपात में होगी ।

(4) यदि मूल परिवार पेंशन तथा अतिरिक्त पेंशन का कुल योग न्यूनतम पेंशन से कम होता है तो पेंशनभोगी को न्यूनतम पेंशन दी जाए और ऐसी परिवार पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान किया जाए । लेकिन, न्यूनतम परिवार पेंशन के अतिरित परिवार पेंशन नहीं दी जाएगी ।

(ङ) परिशिष्ट-IV के लिए, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

परिशिष्ट - IV
(विनियम 27 देखें)

एक सप्ताह में स्थायी अंशकालिक आधार पर वेतन पर की गई वास्तविक सेवा	पेंशन राशि की गणना हेतु स्थायी अंशकालिक आधार पर सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए की गई तदनुरूपी अर्हता सेवा की अवधि
छः घंटे या अधिक परन्तु 13 घंटे तक	वर्ष का एक तिहाई
13 घंटे से अधिक 19 घंटे तक	वर्ष का आधा
19 घंटे से अधिक परन्तु 29 घंटे तक	वर्ष का एक चौथाई
29 घंटे से अधिक	एक वर्ष

(च) परिशिष्ट-IV के पश्चात, निम्नलिखित परिशिष्ट जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

परिशिष्ट - V
(विनियम 39 देखें)

जो कर्मचारी 1 जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात् बैंक की सेवा में थे और सेवा में रहते हुए 31 अक्तूबर, 1987 को या उसके पूर्व उनकी मृत्यु हो गयी थी या 31 अक्तूबर, 1987 को या उसके पूर्व सेवानिवृत्त हो गए थे, के मामले में मूल परिवार पेंशन या अतिरिक्त परिवार पेंशन के परिकलन के लिए फॉर्मूला निम्नलिखित होगा :-

(1) मूल परिवार पेंशन

(अ) मृत्यु/सेवानिवृत्ति के समय मृतक कर्मचारी द्वारा आहरित वेतन .....रुपए

(आ) नीचे दी गई तालिका के अनुसार साधारण दर पर मूल परिवार पेंशन .....रुपए

(इ) उपर्युक्त (आ) पर परिकलित मूल परिवार पेंशन संबंधी परिशिष्ट-1 में दी गई तालिका 1 के अनुसार श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सूचकांक 600 पर महंगाई राहत .....रुपए

(ई) अद्यतन मूल परिवार पेंशन अर्थात् (आ) + (इ) .....रुपए

(उ) उपर्युक्त (ई) के अनुसार अद्यतन मूल परिवार पेंशन (अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित) .....रुपए

(ऊ) उपर्युक्त (ई) के (अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित है), यथास्थिति, मूल परिवार पेंशन का डेढ़ गुना या अद्यतन मूल परिवार पेंशन का दुगुना .....रुपए

(2) अतिरिक्त परिवार पेंशन

सेवानिवृत्ति/मृत्यु के पूर्व आहरित विशेष भत्ते के अनुरूप दिनांक 10.4.1989 के द्विपक्षीय समझौते/अधिकारी सेवा विनियमों के अनुसार भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए राशि की गणना की सीमा तक विशेष भत्ते को अतिरिक्त परिवार पेंशन के प्रयोजन हेतु गिना जाएगा ।

टिप्पणी :

(1) महंगाई राहत अतिरिक्त परिवार पेंशर पर देय नहीं है ।

(2) यदि अद्यतन मूल परिवार पेंशन और अद्यतन अतिरिक्त परिवार पेंशन का कुल योग 375/-रुपए से कम होता है तो पेंशनभोगी को 375/-रुपए तथा उस पर महंगाई भत्ता दिया जा सकता है लेकिन ऐसी स्थिति में अद्यतन अतिरिक्त परिवार पेंशन देय नहीं होगी ।

तालिका

वेतन सीमा	परिवार पेंशन की राशि
664/-रुपए से कम	"वेतन" का 30 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन होगी तथा + भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं होगी, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी जो न्यूनतम 100/- रुपए तथा अधिकतम 166/-रुपए होगी ।
664 और अधिक परन्तु 1992 से कम	"वेतन" का 15 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन होगी तथा + भत्तों का 15%, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं होगी, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी जो न्यूनतम 166/-रुपए तथा अधिकतम 266/-रुपए होगी ।
1992 और उससे अधिक	"वेतन" का 12 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन होगी तथा + भत्तों का 12%, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं होगी, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी जो न्यूनतम 266/-रुपए तथा अधिकतम 415/-रुपए होगी ।

टी. एम. भसीन

(टी.एम. भसीन)

उप महाप्रबन्धक (कार्मिक)

पाद टिप्पणी :

मूल विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण) में 29.09.1995 को अधिसूचित किये गये थे और तत्पश्चात् ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में संशोधन सरकारी राजपत्र में निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार प्रकाशित किए गये थे :-

क्रम सं0	अधिसूचना संख्या	दिनांक
1.	3923	17.04.1999
2.	3937	26.01.2002

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक: 20.3.2002

संख्या:यू-16/53/मीटीएमआर/कर्ना./99-चिकि.2 कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियाँ प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डाक्टर को मामलों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को उप चिकित्सा आयुक्त (दक्षिण क्षेत्र) बैंगलोर द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :-

डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
एम विजय	कार्यग्रहण करने की तिथि से	मैसूर

स० सिंह
(डा० श्रीमती) एस. सिंह
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक : 27-3-02

संख्याः यू-16/53/1/99-चि.2(गुजरात): कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण)विनियम,1950 के विनियम-105 के अधीन निगम की शक्तियाँ महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 25.4.95 बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1993 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा बड़ौदा केन्द्र व क्षेत्रीय उप चिकित्सा आयुक्त(उत्तर-पश्चिम जोन) द्वारा नियत किए गए क्षेत्रों के लिए,बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच करने और मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें और प्रमाण-पत्र प्रदान करने के प्रयोजन के लिए मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए डाक्टर(श्रीमती) के.एस.रजपूत की सेवाएं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निदेशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती हूँ ।

स० सिंह

(डा.(श्रीमती)एस.सिंह)
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक:
17.4.2002

संख्या: एन-15/13/6/2/2001-यो.एंव.वि.

(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 अप्रैल, 2002 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात:-

"जिला एरनाकुलम के कणयन्नूर तालुक में कुंबलम के अधीन आने वाले क्षेत्र" ।

(आर.सी. शर्मा)
संयुक्त निदेशक (यो.एंव.वि.)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (मुख्यालय)
हुडको विशाला, 14, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–66 22 APR 2002

सं. सा.का. 2/1952/डीएलआई/एक्जम/89/पीटी.1/907 मैसर्स सुन्द्राराजा मिल्स लि०, मेइनरोड, कराइकाल–609603 कोड सं० ...एन/पीसी/66

को क.भ.नि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 (2क) जिसका उक्त अधिनियम में उल्लेख किया गया है, के अंतर्गत विस्तार/छूट प्रदान की है।

तथा जबकि नियोक्ता ने मास्टर पालिसी का 1.12.2000 तक नवीनीकरण कराया है तथा सांविधिक कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना (ई.डी.एल.आई.) के कार्यान्वयन को वापिस किया जाता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मै, के.भ.नि.आ. 30.11.2000 से उपरोक्त छूट का रद्द करता हूँ।

(त्रिलोक चन्द)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. सा.का. 2/1959/डीएलआई/एक्जम/89/पीटी.1/909 मैसर्स जे. एण्ड एच दिगोसेज प्रा. लि०, 14, कामराज एवेन्यू, पहली गली, अदियार, चेन्नई–600020 कोड सं० टीएन/26784

को क.भ.नि. और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 (2क) जिसका उक्त अधिनियम में उल्लेख किया गया है, के अंतर्गत विस्तार/छूट प्रदान की है।

तथा जबकि नियोक्ता ने मास्टर पालिसी का 31.10.2001 तक नवीनीकरण कराया है तथा सांविधिक कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना (ई.डी.एल.आई.) के कार्यान्वयन को वापिस किया जाता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मै, के.भ.नि.आ. 30.9.2000 से उपरोक्त छूट का रद्द करता हूँ।

(त्रिलोक चन्द)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

22 APR 2002

सं. सा.का. 2/1959/डीएलआई/एक्जम/89/पीटी.1/911. मैसर्स. रायपथ बेनिफिट फन्ड निधि लि०, गोकुल भवन, न. 6 वेस्ट कोट मार्ग, रायपथ, चेन्नई-600014 कोड सं० टीएन/23842 को क. भ. नि. और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17(2क) जिसका उक्त अधिनियम में उल्लेख किया गया है, के अंतर्गत विस्तार/छूट प्रदान की है ।

तथा जबकि नियोक्ता ने मास्टर पालिसी का 23.6.2000 तक नवीनीकरण कराया है तथा सांविधिक कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना (ई. डी. एल. आई.) के कार्यान्वयन को वापिस किया जाता है ।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मैं, के. भ. नि. आ. 31.3.2000 से उपरोक्त छूट का रद्द करता हूँ ।

(त्रिलोक चन्द)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. सा.का. 2/1959/डीएलआई/एक्जम/89/पीटी.1/913 मैसर्स. इंडिगो टेक्नालाजिस (आई) प्रा. लि०, कोड सं० टीएन/36392 को क. भ. नि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17(2क) जिसका उक्त अधिनियम में उल्लेख किया गया है, के अंतर्गत विस्तार/छूट प्रदान की है ।

तथा जबकि नियोक्ता ने मास्टर पालिसी का तक नवीनीकरण कराया है तथा सांविधिक कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना (ई. डी. एल. आई.) के कार्यान्वयन को वापिस किया जाता है ।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मैं, के. भ. नि. आ. 31.7.99 से उपरोक्त छूट का रद्द करता हूँ ।

(त्रिलोक चन्द)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)

दक्षिण क्षेत्रीय समिति

आदेश

फा.सं.केएल/एचआईएन/एसआरओ/एनसीटीई/2000-2001/6990 दिनांक :12.07.2001

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के खंड 14(3)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दक्षिण क्षेत्रीय समिति **दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, बी.एड कॉलेज, नीलेश्वरम, कसरगौड़- 671 314 को एकवर्षीय बी.एड पाठ्यक्रम** जिसमें अधिकतम 60 उम्मीदवार होंगे, के लिए शैक्षिक सत्र 2001-2002 से मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते संस्था द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएं :

1. पहले से नियुक्त शिक्षकों में जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन सभी से अपेक्षित है कि वे शैक्षिक सत्र 2001-2002 के आरंभ होने से पहले मानकों में निर्धारण के अनुसार योग्यता प्राप्त कर लें।
2. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण संबंधी अन्य अधिसंरचनात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप हो।
3. अनुमोदित पाठ्यक्रम में केवल पाठ्यक्रम के नियमों में निर्धारित अर्हता प्राप्त आवेदकों तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुरूप दाखिला दिया जाएगा।
4. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत शुल्क संबंधी नियमों के प्रभावी होने तक छात्रों से शिक्षा शुल्क और अन्य शुल्क संगत विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लिए जाएंगे।
5. व्यावहारिक कार्य / गतिविधियों सहित पाठ्यक्रमों निष्पादन की व्यवस्था पाठ्यक्रम हेतु मानदंडों और मानकों तथा मान्यता होनेवाले परीक्षा संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए।
6. शिक्षण अभ्यास समेत शिक्षण दिवसों की संख्या पाठ्यक्रम के वास्ते राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों में निर्धारित संख्या से कम नहीं होना चाहिए।
7. संस्था द्वारा स्थायी निधि और सुरक्षित कोष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप बनाकर रखा जाए।
8. **संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन मानदंडों का पालन करती रहेगी तथा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रेषित करेगी। कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य ब्यौरों के साथ-साथ उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन की स्थिति का उल्लेख करेगी।**

यदि **दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, बी.एड कॉलेज,नीलेश्वरम, कसरगौड़ - 671 314** राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए या जारी किए गए नियमों, विनियमों और आदेशों अथवा उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने में असफल रहेगा तो क्षेत्रीय समिति द्वारा राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के खंड 17 (1) के प्रावधानों के अधीन मान्यता वापिस ली जा सकती है।

आदेशानुसार,

एम वासुदेव

{ एम. वासुदेव }

क्षेत्रीय निदेशक

आदेश

फा.एस.आर.ओ./एनसीटीई / बी.एड. / न्यू / 04/ एस आर ओ/ एनसीटीई / 2001-2002/7048 दिनांक :18.07.2001

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के खंड 14(3)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दक्षिण क्षेत्रीय समिति **इमैकुलेट कॉलेज ऑफ एडुकेशन फॉर वीमेन, पक्कमुडयनपेट, पांडिचेरी - 605 008 को एकवर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम** के लिए शैक्षिक सत्र 2001-2002 से 120 उम्मीदवारों [इसमें 2001-2002 से 60 उम्मीदवारों की अतिरिक्त संख्या शामिल है] मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते संस्था द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएं :

1. पहले से नियुक्त शिक्षकों में जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन सभी से अपेक्षित है कि वे शैक्षिक सत्र 2001-2002 के आरंभ होने से पहले मानकों में निर्धारण के अनुसार योग्यता प्राप्त कर लें।
2. संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शिक्षकों और अन्य सहायक स्टाफ की योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप हो तथा उनके वेतन आदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / केंद्र सरकार / राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा निर्धारित ढांचे में तय किया जाए।
3. शिक्षक और शिक्षार्थी का अनुपात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप रखा जाए।

संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण संबंधी अन्य अधिसंरचनात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप हो।

5. अनुमोदित पाठ्यक्रम में तत्संबंधी नियमों के अनुरूप केवल अर्हता प्राप्त आवेदकों को संगत विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार दाखिला दिया जाएगा।
6. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत शुल्क संबंधी नियमों के प्रभावी होने तक छात्रों से शिक्षा शुल्क संगत विश्वविद्यालय / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लिए जाएंगे।
7. व्यावहारिक कार्य / गतिविधियों सहित पाठ्यक्रम निष्पादन की व्यवस्था पाठ्यक्रम हेतु मानदंडों और मानकों तथा मान्यता प्रदान करने वाले संगत विश्वविद्यालय /परीक्षा संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए।

शिक्षण अभ्यास समेत शिक्षण दिवसों की संख्या पाठ्यक्रम के वास्ते राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों में निर्धारित संख्या से कम नहीं होना चाहिए।

9. यदि संस्था मान्यता प्राप्त नहीं है तो उसके द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप स्थायी निधि और सुरक्षित कोष की व्यवस्था रखी जाए।
10. **संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन मानदंडों का पालन करती रहेगी तथा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रेषित करेगी। कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य ब्यौरों के साथ-साथ उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन की स्थिति का उल्लेख करेगी।**

यदि **इमैकुलेट कॉलेज ऑफ एडुकेशन फॉर वीमेन, पक्कमुडयनपेट, पांडिचेरी - 605 008** राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए या जारी किए गए नियमों, विनियमों और आदेशों अथवा उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने में असफल रहेगा तो क्षेत्रीय समिति द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के खंड 17(1) के प्रावधानों के अधीन मान्यता वापिस ली जा सकती है।

आदेशानुसार,

(एम. वासुदेव)

{ एम. वासुदेव }

क्षेत्रीय निदेशक

आदेश

फा.सं.पी ओ एन / न्यू / ई एल ई / 04/ एस आर ओ/ एनसीटीई / 2001-2002/7049 दिनांक :18.07.2001

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के खंड 14(3)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दक्षिण क्षेत्रीय समिति **इमैकुलेट शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, पेल्लाइचेरुवासल, कारैकल, नेरुगारु - 609630 करैकल जिला, पांडिचेरी को द्विवर्षीय प्राथमिक पाठ्यक्रम जिसमें वार्षिक रूप से अधिकतम 100 छात्र** [इसमें 2001-2002 से अतिरिक्त 50 छात्र / छात्राओं की संख्या शामिल है] होंगे, के लिए शैक्षिक सत्र 2001-2002 से मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते संस्था द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएं :

1. पहले से नियुक्त शिक्षकों में जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन सभी से अपेक्षित है कि वे शैक्षिक सत्र 2001-2002 के आरंभ होने से पहले मानकों में निर्धारण के अनुसार योग्यता प्राप्त कर लें।
2. संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शिक्षकों और अन्य सहायक स्टाफ की योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप हो तथा उनके वेतन आदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / केंद्र सरकार / राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा निर्धारित ढांचे में तय किया जाए।
3. शिक्षक और शिक्षार्थी का अनुपात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप रखा जाए।
4. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण संबंधी अन्य अधिसंरचनात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप हो।
5. अनुमोदित पाठ्यक्रम में तत्संबंधी नियमों के अनुरूप केवल अर्हता प्राप्त आवेदकों को संगत विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार दाखिला दिया जाएगा।
6. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत शुल्क संबंधी नियमों के प्रभावी होने तक छात्रों से शिक्षा शुल्क संगत विश्वविद्यालय / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लिए जाएंगे।
7. व्यावहारिक कार्य / गतिविधियों सहित पाठ्यक्रम निष्पादन की व्यवस्था पाठ्यक्रम हेतु मानदंडों और मानकों तथा मान्यता प्रदान करने वाले संगत विश्वविद्यालय /परीक्षा संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए।
8. शिक्षण अभ्यास समेत शिक्षण दिवसों की संख्या पाठ्यक्रम के वास्ते राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों में निर्धारित संख्या से कम नहीं होना चाहिए।
9. यदि संस्था सहायता प्राप्त नहीं है तो उसके द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप स्थायी निधि और सुरक्षित कोष की व्यवस्था रखी जाए।
10. **संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन मानदंडों का पालन करती रहेगी तथा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रेषित करेगी। कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य ब्यौरों के साथ-साथ उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन की स्थिति का उल्लेख करेगी।**

यदि **इमैकुलेट शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, पेल्लाइचेरुवासल, कारैकल, नेरुगारु - 609630 करैकल जिला, पांडिचेरी** राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए या जारी किए गए नियमों, विनियमों और आदेशों अथवा उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने में असफल रहेगा तो क्षेत्रीय समिति द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के खंड 17 (1) के प्रावधानों के अधीन मान्यता वापिस ली जा सकती है।

आदेशानुसार,

{ एम. वासुदेव }

क्षेत्रीय निदेशक

आदेश

फा.सं.टी एन / एस ई सी / एस आर ओ/ एनसीटीई / 2001-2002/7235 दिनांक :26.07.2001

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के खंड 14(3)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दक्षिण क्षेत्रीय समिति **डा० शिवंती अदितनार एम.पी.एड कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तिरुचेन्दुर - 628 215 वी.ओ.सी.जिला, तमिलनाडु को एम.पी.एड के द्विवर्षीय पाठ्यक्रम जिसमें अधिकतम 40 छात्र होंगे**, के लिए शैक्षिक सत्र के लिए **2001-2002** से मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते संस्था द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएं :

1. पहले से नियुक्त शिक्षकों में जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन सभी से अपेक्षित है कि वे शैक्षिक सत्र 2001-2002 के आरंभ होने से पहले मानकों में निर्धारण के अनुसार योग्यता प्राप्त कर लें।
2. शिक्षक और शिक्षार्थी का अनुपात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप रखा जाए।
3. पुस्तकालय सहायक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुसार नियुक्त किए जाएं।
4. संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण संबंधी अन्य अधिसंरचनात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप हो।
5. अनुमोदित पाठ्यक्रम में तत्संबंधी नियमों के अनुरूप केवल अर्हता प्राप्त आवेदकों को संगत विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार दाखिला दिया जाएगा।
6. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत शुल्क संबंधी नियमों के प्रभावी होने तक छात्रों से शिक्षा शुल्क और अन्य शुल्क संगत विश्वविद्यालय / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लिए जाएंगे।
7. व्यावहारिक कार्य / गतिविधियों सहित पाठ्यक्रम निष्पादन की व्यवस्था पाठ्यक्रम हेतु मानदंडों और मानकों तथा मान्यता प्रदान करने वाले संगत विश्वविद्यालय /परीक्षा संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप रखी जाएगी।
8. शिक्षण अभ्यास समेत शिक्षण दिवसों की संख्या पाठ्यक्रम के वास्ते राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों में निर्धारित संख्या से कम नहीं होगी।
9. यदि संस्था सहायता प्राप्त नहीं है तो उसके द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप स्थायी निधि और सुरक्षित कोष की व्यवस्था रखी जाएगी।
10. **संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन मानदंडों का पालन करती रहेगी तथा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रेषित करेगी। कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य ब्यौरों के साथ-साथ उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन की स्थिति का उल्लेख करेगी।**

यदि **डॉ० शिवंती अदितनार एम.पी.एड कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तिरुचेन्दुर - 628 215, वी.ओ.सी.जिला, तमिलनाडु** राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए या जारी किए गए नियमों, विनियमों और आदेशों अथवा उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने में असफल रहेगा तो क्षेत्रीय समिति द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के खंड 17 {1} के प्रावधानों के अधीन मान्यता वापिस ली जा सकती है।

आदेशानुसार,

एम वासुदेव

{ एम. वासुदेव }

क्षेत्रीय निदेशक

आदेश

फा.सं.केआर/ईएलई/43/एसआरओ/एनसीटीई/2000-2001/7770 दिनांक :07.09.2001

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के खंड 14(3)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दक्षिण क्षेत्रीय समिति **सुवर्णा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, पी.बी.नं. 14, ऊर्गम - 563 210 के.जी.एफ. कोलार जिला, कर्नाटक को दो वर्षीय प्राथमिक** पाठ्यक्रम जिसमें अधिकतम 60 उम्मीदवार होंगे, के लिए शैक्षिक सत्र 2001-2002 से मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते संस्था द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएं :

1. पहले से नियुक्त शिक्षकों में जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन सभी से अपेक्षित है कि वे शैक्षिक सत्र2001-2002 के आरंभ होने से पहले मानकों में निर्धारण के अनुसार योग्यता प्राप्त कर लें।
2. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण संबंधी अन्य अधिसंरचनात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप हो।
3. अनुमोदित पाठ्यक्रम में केवल पाठ्यक्रम के नियमों में निर्धारित अर्हता प्राप्त आवेदकों तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुरूप दाखिला दिया जाएगा।
4. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत शुल्क संबंधी नियमों के प्रभावी होने तक छात्रों से शिक्षा शुल्क और अन्य शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लिए जाएंगे।
5. व्यावहारिक कार्य / गतिविधियों सहित पाठ्यक्रमों निष्पादन की व्यवस्था पाठ्यक्रम हेतु मानदंडों और मानकों तथा मान्यता होनेवाले परीक्षा संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए।
6. शिक्षण अभ्यास समेत शिक्षण दिवसों की संख्या पाठ्यक्रम के वास्ते राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों में निर्धारित संख्या से कम नहीं होना चाहिए।
7. संस्था द्वारा स्थायी निधि और सुरक्षित कोष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप बनाकर रखा जाए।
8. **संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन मानदंडों का पालन करती रहेगी तथा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रेषित करेगी। कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य ब्यौरों के साथ-साथ उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन की स्थिति का उल्लेख करेगी।**

यदि **सुवर्णा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, पी.बी.नं. 4,ऊर्गम - 563 210 , के.जी.एफ, कोलार जिला, कर्नाटक** राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए या जारी किए गए नियमों, विनियमों और आदेशों अथवा उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने में असफल रहेगा तो क्षेत्रीय समिति द्वारा राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के खंड 17 {1} के प्रावधानों के अधीन मान्यता वापिस ली जा सकती है।

आदेशानुसार,

एम वासुदेव

{ एम. वासुदेव }

क्षेत्रीय निदेशक

आदेश

फा.सं.केआर/ईएलई/119/एसआरओ/एनसीटीई/2000-2001/7771 दिनांक :07.09.2001

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के खंड 14(3)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दक्षिण क्षेत्रीय समिति **राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान,मालावल्ली - 571 430, मांड्या जिला, कर्नाटक को दो वर्षीय प्राथमिक** पाठ्यक्रम जिसमें अधिकतम 41 उम्मीदवार होंगे, के लिए शैक्षिक सत्र 2001-2002 से मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते संस्था द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएं :

1. पहले से नियुक्त शिक्षकों में जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन सभी से अपेक्षित है कि वे शैक्षिक सत्र2001-2002 के आरंभ होने से पहले मानकों में निर्धारण के अनुसार योग्यता प्राप्त कर लें।
2. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण संबंधी अन्य अधिसंरचनात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप हो।
3. अनुमोदित पाठ्यक्रम में केवल पाठ्यक्रम के नियमों में निर्धारित अर्हता प्राप्त आवेदकों तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुरूप दाखिला दिया जाएगा।
4. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत शुल्क संबंधी नियमों के प्रभावी होने तक छात्रों से शिक्षा शुल्क और अन्य शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लिए जाएंगे।
5. व्यावहारिक कार्य / गतिविधियों सहित पाठ्यक्रमों निष्पादन की व्यवस्था पाठ्यक्रम हेतु मानदंडों और मानकों तथा मान्यता होनेवाले परीक्षा संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए।
6. शिक्षण अभ्यास समेत शिक्षण दिवसों की संख्या पाठ्यक्रम के वास्ते राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों में निर्धारित संख्या से कम नहीं होना चाहिए।
7. संस्था द्वारा स्थायी निधि और सुरक्षित कोष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप बनाकर रखा जाए।
8. **संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन मानदंडों का पालन करती रहेगी तथा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रेषित करेगी। कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य ब्यौरों के साथ-साथ उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन की स्थिति का उल्लेख करेगी।**

यदि **राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, मालावल्ली - 571 430, मांड्या जिला, कर्नाटक** राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए या जारी किए गए नियमों, विनियमों और आदेशों अथवा उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने में असफल रहेगा तो क्षेत्रीय समिति द्वारा राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के खंड 17 {1} के प्रावधानों के अधीन मान्यता वापिस ली जा सकती है।

आदेशानुसार,

एम वासुदेव

{ एम. वासुदेव }

क्षेत्रीय निदेशक

आदेश

फा.सं.केआर/ईएलई/38/एसआरओ/एनसीटीई/2000-2001/7772 दिनांक 07.09.2001

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के खंड 14(3)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दक्षिण क्षेत्रीय समिति **श्रेयस शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, श्रीनिवासपुरा - 563 135, कोलार जिला, कर्नाटक को दो वर्षीय प्राथमिक पाठ्यक्रम** जिसमें अधिकतम 90 उम्मीदवार होंगे, के लिए शैक्षिक सत्र 2001-2002 से मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते संस्था द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएं

1. पहले से नियुक्त शिक्षकों में जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन सभी से अपेक्षित है कि वे शैक्षिक सत्र 2001-2002 के आरंभ होने से पहले मानकों में निर्धारण के अनुसार योग्यता प्राप्त कर लें।
2. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण संबंधी अन्य अधिसंरचनात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप हो।
3. अनुमोदित पाठ्यक्रम में केवल पाठ्यक्रम के नियमों में निर्धारित अर्हता प्राप्त आवेदकों तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुरूप दाखिला दिया जाएगा।
4. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत शुल्क संबंधी नियमों के प्रभावी होने तक छात्रों से शिक्षा शुल्क और अन्य शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लिए जाएंगे।
5. व्यावहारिक कार्य / गतिविधियों सहित पाठ्यक्रमों निष्पादन की व्यवस्था पाठ्यक्रम हेतु मानदंडों और मानकों तथा मान्यता होनेवाले परीक्षा संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए।
6. शिक्षण अभ्यास समेत शिक्षण दिवसों की संख्या पाठ्यक्रम के वास्ते राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों में निर्धारित संख्या से कम नहीं होना चाहिए।
7. संस्था द्वारा स्थायी निधि और सुरक्षित कोष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप बनाकर रखा जाए।
8. **संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन मानदंडों का पालन करती रहेगी तथा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रेषित करेगी। कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य ब्यौरों के साथ-साथ उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन की स्थिति का उल्लेख करेगी।**

यदि **श्रेयस शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, श्रीनिवासपुरा - 563 135, कोलार जिला,कर्नाटक** राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए या जारी किए गए नियमों, विनियमों और आदेशों अथवा उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने में असफल रहेगा तो क्षेत्रीय समिति द्वारा राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के खंड 17 (1) के प्रावधानों के अधीन मान्यता वापिस ली जा सकती है।

आदेशानुसार,
(एम. वासुदेव)
क्षेत्रीय निदेशक

फा.सं.केआर/सीपीईडी/42/एसआर ओ/एनसीटीई/2000-2001/7775 दिनांक : 07.09.2001

आदेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के खंड 14(3) (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दक्षिण क्षेत्रीय समिति **एस.वी.वी.संघ के कालेज ऑफ फिजिकल एडुकेशन, धावलागी-586 116, बीजापुर जिला, कर्नाटक** को सी.पी.एड के एकवर्षीय पाठ्यक्रम जिसमें वार्षिक रूप से अधिकतम 40 छात्र होंगे, के लिए शैक्षिक सत्र 2001-2002 से मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते संस्था द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएं --

1. **प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि कर्नाटक राज्य द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र केवल आंध्र प्रदेश में ही रोजगार के लिए वैध होगा और साथ ही पाठ्यक्रम संबंधी अवधि और नामांकन की प्रक्रिया वही है जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के प्रख्यापित होने से पूर्व कर्नाटक राज्य में चल रही थी। संस्था को मात्र 2005 तक एकवर्षीय पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति है। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संबंधी मानदंडों के अनुरूप यह पाठ्यक्रम भी दो वर्षों का होगा।**

2. संस्था में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुसार योग्य पांच शिक्षक और प्राचार्य के साथ मूलभूत न्यूनतम स्टाफ अवश्य होने चाहिए।

3. पहले से नियुक्त शिक्षकों से अपेक्षित है कि यदि वे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप अपेक्षित योग्यता नहीं रखते, तो वे शैक्षिक सत्र 2002-2003 के आरंभ होने से पूर्व मानदंडों के अनुरूप योग्यता हासिल कर लें।

4. संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण संबंधी अन्य अधिसंरचनात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप हो।

5. अनुमोदित पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम के नियमों में निर्धारित अर्हता प्राप्त आवेदकों को राज्य सरकार द्वारा नियत विधि के अनुरूप दाखिला दिया जाएगा।

6 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत शुल्क संबंधी नियमों के प्रभावी होने तक छात्रों से शिक्षा शुल्क और अन्य शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लिए जाएंगे।

7. व्यावहारिक कार्य/गतिविधियों सहित पाठ्यचर्या निष्पादन की व्यवस्था पाठ्यक्रम हेतु मानदंडों और मानकों तथा परीक्षा संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप सुनिश्चित की जाए।

8. शिक्षण अभ्यास समेत शिक्षण दिवसों की संख्या पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के मानदंडों में निर्धारित संख्या से कम न होनी चाहिए।

9. यदि संस्था सहायता प्राप्त नहीं है तो उसके द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप स्थायी निधि एवं सुरक्षित कोष की व्यवस्था बनाकर रखी जाए।

संस्था द्वारा राज्य सरकार के उपर्युक्त विनियमों के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों तथा जहां आवश्यक हो, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों का पालन किया जाएगा तथा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में इस क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट और कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य ब्यौरों के साथ-साथ उपर्युक्त शर्तों के बारे में अनुपालन की स्थिति बताई जाएगी।

यदि **एस वी.वी.संघ के कॉलेज ऑफ फिजिकल एडुकेशन, धावलागी - 586 116, बीजापुर जिला, कर्नाटक** द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए या जारी किए गए नियमों, विनियमों और आदेशों अथवा उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं किया जाता तो क्षेत्रीय समिति द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के खंड 17 (1) के प्रावधानों के अधीन मान्यता वापिस ली जा सकती है।

आदेशानुसार,

एस वासुदेव

(एस.वासुदेव)

क्षेत्रीय निदेशक

आदेश

फा.सं.केआर/ईएलई/59/एसआरओ/एनसीटीई/2000-2001/7797 दिनांक :10.09.2001

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के खंड 14(3)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दक्षिण क्षेत्रीय समिति **मराठी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, वैसीन इंस्टीट्यूट रोड, दूसरा रेलवे गेट के निकट, तिलकवाड़ी , बेलगांव - 590 006, कर्नाटक को दो वर्षीय प्राथमिक** पाठ्यक्रम जिसमें अधिकतम 60 उम्मीदवार होंगे, के लिए शैक्षिक सत्र 2001-2002 से मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते संस्था द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएं :

1. पहले से नियुक्त शिक्षकों में जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन सभी से अपेक्षित है कि वे शैक्षिक सत्र 2001-2002 के आरंभ होने से पहले मानकों में निर्धारण के अनुसार योग्यता प्राप्त कर लें।
2. संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण संबंधी अन्य अवसंरचनात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप हो।
3. अनुमोदित पाठ्यक्रम में केवल पाठ्यक्रम के नियमों में निर्धारित अर्हता प्राप्त आवेदकों तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियम के अनुरूप दाखिला दिया जाएगा।
4. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत शुल्क संबंधी नियमों के प्रभावी होने तक छात्रों से शिक्षा शुल्क और अन्य शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लिए जाएंगे।
5. व्यावहारिक कार्य / गतिविधियों सहित पाठ्यक्रमों निष्पादन की व्यवस्था पाठ्यक्रम हेतु मानदंडों और मानकों तथा मान्यता होनेवाले परीक्षा संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए।
6. शिक्षण अभ्यास समेत शिक्षण दिवसों की संख्या पाठ्यक्रम के वास्ते राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों में निर्धारित संख्या से कम नहीं होना चाहिए।
7. संस्था द्वारा स्थायी निधि और सुरक्षित कोष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप बनाकर रखा जाए।
8. **संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन मानदंडों का पालन करती रहेगी तथा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट पेश करेगी। कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य ब्यौरों के साथ-साथ उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन की स्थिति का उल्लेख करेगी।**

यदि **मराठी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, वैसीन इंस्टीट्यूट रोड़, दूसरा रेलवे गेट के निकट, तिलकवाड़ी, बेलगांव - 590 006, कर्नाटक** राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए या जारी किए गए नियमों, विनियमों और आदेशों अथवा उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने में असफल रहेगा तो क्षेत्रीय समिति द्वारा राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के खंड 17 (1) के प्रावधानों के अधीन मान्यता वापिस ली जा सकती है।

आदेशानुसार,

एम वासुदेव

{ एम. वासुदेव }

क्षेत्रीय निदेशक

फा.सं./एपी/न्यू/डी.एड/07/एसआरओ/एनसीटीई/2000-2001/7843 दिनांक : 13.09.2001

आदेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के खंड 14(3)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दक्षिण क्षेत्रीय समिति मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, प्लाट नं.67-68 कृष्णवन कालोनी, टोलीचौकी, हैदराबाद - 500 008, आंध्र प्रदेश को प्राथमिक [डी.एड] हिंदी माध्यम पाठ्यक्रम के लिए एक साल की अवधि जिसमें वार्षिक रूप से अधिकतम 75 उम्मीदवार होंगे, के लिए शैक्षिक सत्र 2001-2002 से मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते संस्था द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएं :

1. स्टाफ के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंड का अनुपालन दिसंबर,2001 से पहले किया जाए।

2. भवन के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंड का अनुपालन दिसंबर,2001 से पहले किया जाए।

3. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण संबंधी अन्य अधिसंरचनात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप हो।

4. अनुमोदित पाठ्यक्रम में केवल पाठ्यक्रम के नियमों में निर्धारित अर्हता प्राप्त आवेदकों तथा संगत विश्वविद्यालयों/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुरूप दाखिला दिया जाएगा।
5. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत शुल्क संबंधी नियमों के प्रभावी होने तक छात्रों से शिक्षा शुल्क और अन्य शुल्क संगत विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लिए जाएंगे।
6. व्यावहारिक कार्य/गतिविधियों सहित पाठ्यक्रमों निष्पादन की व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम हेतु मानदंडों और मानकों तथा संगत विश्वविद्यालय/परीक्षा संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए।

7. शिक्षण अभ्यास समेत शिक्षण दिवसों का प्रावधान ऐसे पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों में निर्धारित संख्या से कम नहीं होना चाहिए।

8. यदि संस्थान सहायता - प्राप्त नहीं है तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप स्थायी निधि एवं सुरक्षित कोष की व्यवस्था बनाकर रखेगा।

9. संस्थान, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन मानदंडों का पालन करता रहेगा तथा प्रत्येक अकादमिक वर्ष के अंत में वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट क्षेत्रीय समिति को प्रेषित करेगा। कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य ब्यौरों के साथ-साथ उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन की स्थिति का उल्लेख किया जाएगा।

यदि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, प्लाट नं. 67-68 बृंदावन कालोनी, टोलीचौकी, हैदराबाद- 500008, आंध्रप्रदेश राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए या जारी किए गए नियमों, विनियमों और आदेशों अथवा उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने में असफल रहेगा तो क्षेत्रीय समिति द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के खंड 17 {1) के प्रावधानों के अधीन मान्यता वापिस ली जा सकती है।

आदेशानुसार,

एम वासुदेव

{ एम.वासुदेव }

क्षेत्रीय निदेशक

फा.सं.एपी/बी.एड/न्यू/08/एसआरओ/एनसीटीई/2001-2002/7844 दिनांक : 13.09.2001

आदेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के खंड 14(3)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दक्षिण क्षेत्रीय समिति दूर शिक्षा विभाग, श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालयम, तिरुपति - 517 502, आंध्र प्रदेश को बी.एड { दूर शिक्षा } पाठ्यक्रम के लिए एक साल की अवधि जिसमें वार्षिक रूप से अधिकतम 500 उम्मीदवार होंगे, के लिए शैक्षिक सत्र 2001-2002 से मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते संस्था द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएं :

1. संस्थान में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप दो और योग्य प्रोफेसर नियुक्त किए जाएं।
2. अध्यापक और अध्यार्थी का अनुपात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंड के पैरा 2.1 के अनुसार बनाए रखा जाए।
3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंड के अनुरूप अपेक्षित योग्यता नहीं रखनेवाले पहले से नियुक्त सभी अध्यापकों द्वारा दो वर्षों की अवधि के अंदर मानदंड के अनुरूप योग्यता प्राप्त कर ली जाए।
4. शैक्षिक सत्र 2001-2002 से आगे शिक्षण अभ्यास समेत शिक्षण दिवसों की संख्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंड में निर्धारित संख्या से कम न हो।
5. संस्थान अपने मुख्य केंद्र में अन्य सहयोगी स्टाफ के अलावा 10 संकाय सदस्यों के साथ काम करेगा जिनकी योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप होगी और उनका वेतन आदि यूजीसी/केंद्र सरकार/राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित ढ़ांचे में तय किया जाएगा।
6. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण संबंधी अन्य अधिसंरचनात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप हो।
7. अनुमोदित पाठ्यक्रम में केवल पाठ्यक्रम के नियमों में निर्धारित अर्हता प्राप्त आवेदकों तथा संगत विश्वविद्यालयों/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुरूप दाखिला दिया जाएगा।
8. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत शुल्क संबंधी नियमों के प्रभावी होने तक छात्रों से शिक्षा शुल्क संगत विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लिए जाएंगे।
9. व्यावसायिक कार्य/गतिविधियों सहित पाठ्यचर्या निष्पादन की व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम हेतु मानदंडों और मानकों तथा संगत विश्वविद्यालय/परीक्षा संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए।
10. यदि संस्थान सहायता प्राप्त नहीं है तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप स्थायी निधि एवं सुरक्षित कोष की व्यवस्था बनाकर रखेगा ।

11. संस्थान, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन मानदंडों का पालन करता रहेगा तथा प्रत्येक अकादमिक वर्ष के अंत में वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट क्षेत्रीय समिति को प्रेषित करेगा। कार्य निषपादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य ब्यौरों के साथ-साथ उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन की स्थिति का उल्लेख किया जाएगा।

12. विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण सत्र के आरंभ होने से पहले अपनी तरफ से स्वयं ही मार्ग निर्देशन सामग्री तैयार की जाए ।

यदि दूर शिक्षा विभाग, श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालयम, तिरुपति - 517502, आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए या जारी किए गए नियमों, विनियमों और आदेशों अथवा उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने में असफल रहेगा तो क्षेत्रीय समिति द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के खंड 17(1) के प्रावधानों के अधीन मान्यता वापिस ली जा सकती है।

आदेशानुसार,

{ एम.वासुदेव }
क्षेत्रीय निदेशक

फा.सं./एसआरओ/एनसीटीई/2001-2002/भाषा /7880 दिनांक : 17.09.2001

आदेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 14(3)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दक्षिण क्षेत्रीय समिति हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतामपेटा रोड,पालाकोंडा - 532440 श्रीकाकुलम जिला, आंध्र प्रदेश को हिंदी शिक्षक पाठ्यक्रम के लिए एक साल की अवधि जिसमें वार्षिक रूप से अधिकतम 60 ... , के लिए शैक्षिक सत्र 2001-2002 से मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते संस्था द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएं

1. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण संबंधी अन्य अधिसंरचनात्मक व्यवस्था राज्य सरकार के मानदंडों के अनुरूप हों।

2. अनुमोदित पाठ्यक्रम में केवल पाठ्यक्रम के नियमों में निर्धारित अर्हता प्राप्त मानदंडों तथा राज्य सरकार / परीक्षा संगठन द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार दाखिला दिया जाएगा।

3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत शुल्क संबंधी नियमों के प्रभावी होने तक छात्रों से शिक्षा शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लिए जाएंगे।

4. व्यावसायिक कार्य/गतिविधियों सहित पाठ्यचर्या ... की व्यवस्था पाठ्यक्रम हेतु मानदंडों और मानकों तथा मान्यता देनेवाले परीक्षा संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए।

5. शिक्षण अभ्यास समेत शिक्षण दिवसों की संख्या भाषा शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के वास्ते राज्य सरकार के मानदंड में निर्धारित संख्या से कम न होनी चाहिए।

6. यदि संस्थान सहायता प्राप्त नहीं है तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडो के अनुरूप स्थायी निधि एवं सुरक्षित कोष की व्यवस्था बनाकर रखेगा।

7. संस्थान, राज्य सरकार / परीक्षा संगठन द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन मानदंडों का पालन करता रहेगा तथा वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट क्षेत्रीय समिति को प्रेषित करेगा। कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य ब्यौरों के साथ-साथ उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन की स्थिति का उल्लेख करेगा और रिपोर्ट 31 दिसंबर, 2001 तक प्रस्तुत कर देगा।

फिलहाल प्रदान की जा रही यह मान्यता भाषा शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ... में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अपने मानदंडों, जो अभी निर्धारित किए जाने हैं ... समीक्षा के अधीन है।

(... वासुदेव)

क्षेत्रीय निदेशक

फा.सं.एसआरओ/एनसीटीआई/2001-2002/हिंदी पंडित/7881 दिनांक : 17.09.2001

आदेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के खंड 14(3)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दक्षिण क्षेत्रीय समिति, **ज्योति हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, हैदराबाद रोड, नालगोंडा - 508 001 को हिंदी पंडित** पाठ्यक्रम के लिए एक साल की अवधि जिसमें वार्षिक रूप से अधिकतम 60 उम्मीदवार होंगे, के लिए शैक्षिक सत्र **2001-2002** से मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते संस्था द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएं :

1. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण संबंधी अन्य अधिसंरचनात्मक व्यवस्था राज्य सरकार के मानदंडों के अनुरूप हो।

2. अनुमोदित पाठ्यक्रम में केवल पाठ्यक्रम के नियमों में निर्धारित अर्हता प्राप्त आवेदकों तथा राज्य सरकार/परीक्षा संगठन द्वारा निर्धारित विधि के अनुरूप दाखिला दिया जाएगा।

3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत शुल्क संबंधी नियमों के प्रभावी होने तक छात्रों से शिक्षा शुल्क और अन्य शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लिए जाएंगे।

4 व्यावहारिक कार्य/गतिविधियों सहित पाठ्यक्रमों निष्पादन की व्यवस्था पाठ्यक्रम हेतु मानदंडों और मानकों तथा मान्यता देनेवाले परीक्षा संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए।

5. शिक्षण अभ्यास समेत शिक्षण दिवसों का प्रावधान ऐसे पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों में निर्धारित संख्या से कम नहीं होना चाहिए।

6. यदि संस्था सहायता - प्राप्त नहीं है तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप स्थायी निधि एवं सुरक्षित कोष की व्यवस्था बनाकर रखेगा।

7. **संस्थान, राज्य सरकार/ परीक्षा संगठन द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन मानदंडों का पालन करता रहेगा तथा वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट क्षेत्रीय समिति को प्रेषित करेगा। कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य ब्यौरों के साथ-साथ उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन की स्थिति का उल्लेख करेगा और रिपोर्ट 31 दिसंबर, 2001 तक प्रस्तुत कर देगा।**

फिलहाल प्रदान की जा रही यह मान्यता भाषा शिक्षक, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अपने मानदंडों, जो अभी निर्धारित किए जाने हैं, के अंतर्गत समीक्षा के अधीन है।

आदेशानुसार,

एम वासुदेव

{ एम.वासुदेव }
क्षेत्रीय निदेशक

फा.सं.एपी/टीपी/ एसआरओ/एनसीटीई/2001-2002/7889 दिनांक : 18.09.2001

आदेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के खंड 14(3)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दक्षिण क्षेत्रीय समिति, **एस.वी.तेलुगु पंडित प्रशिक्षण कालेज, सूर्यापेटा -508213 नालगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश** को तेलुगु पंडित पाठ्यक्रम के लिए एक साल की अवधि जिसमें वार्षिक रूप से अधिकतम 50 उम्मीदवार होंगे, के लिए शैक्षिक सत्र **2001-2002** से मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते संस्था द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएं :

1. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण संबंधी अन्य अधिसंरचनात्मक व्यवस्था राज्य सरकार के मानदंडों के अनुरूप हो।

2. अनुमोदित पाठ्यक्रम में केवल पाठ्यक्रम के नियमों में निर्धारित अर्हता प्राप्त आवेदकों तथा राज्य सरकार/परीक्षा संगठन द्वारा निर्धारित विधि के अनुरूप दाखिला दिया जाएगा।

3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत शुल्क संबंधी नियमों के प्रभावी होने तक छात्रों से शिक्षा शुल्क और अन्य शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लिए जाएंगे।

4 व्यावहारिक कार्य/गतिविधियों सहित पाठ्यक्रमों निष्पादन की व्यवस्था पाठ्यक्रम हेतु मानदंडों और मानकों तथा मान्यता देनेवाले परीक्षा संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए।

5. शिक्षण अभ्यास समेत शिक्षण दिवसों का प्रावधान ऐसे पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों में निर्धारित संख्या से कम नहीं होना चाहिए।

6. यदि संस्था सहायता - प्राप्त नहीं है तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप स्थायी निधि एवं सुरक्षित कोष की व्यवस्था बनाकर रखेगा।

7. **संस्थान, राज्य सरकार/ परीक्षा संगठन द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन मानदंडों का पालन करता रहेगा तथा वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट क्षेत्रीय समिति को प्रेषित करेगा। कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य ब्यौरों के साथ-साथ उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन की स्थिति का उल्लेख करेगा और रिपोर्ट 31 दिसंबर, 2001 तक प्रस्तुत कर देगा।**

फिलहाल प्रदान की जा रही यह मान्यता भाषा शिक्षक, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अपने मानदंडों, जो अभी निर्धारित किए जाने हैं, के अंतर्गत समीक्षा के अधीन है।

आदेशानुसार,

एम वासुदेव

{ एम.वासुदेव }
क्षेत्रीय निदेशक

फा.सं.केएल/पी पी /17 / एसआरओ/एनसीटीई/2000-2001/8042 दिनांक : 27.09.2001

आदेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के खंड 14(3) (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दक्षिण क्षेत्रीय समिति **हैस प्री- प्राइमरी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, अलायमोंन, कोल्लम - 691320,** केरल को, प्री-प्राइमरी के एकवर्षीय पाठ्यक्रम जिसमें अधिकतम 30 छात्र होंगे, के लिए शैक्षिक सत्र 2001-2002 से मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते संस्था द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएं --

1. **प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि केरल राज्य द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र केवल केरल में ही रोजगार के लिए वैध होगा ओर साथ ही पाठ्यक्रम संबंधी अवधि और नामांकन की प्रक्रिया वही है जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के कार्यान्वित होने से पूर्व केरल राज्य में चल रही थी। संस्था को मात्र 2005 तक एकवर्षीय पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति है। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संबंधी मानदंडों के अनुरूप यह पाठ्यक्रम भी दो वर्षों का होगा।**

2. संस्था में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पैरा 5.1 के अनुसार सुरक्षित निधि जमा करवाई जाए।

3. पहले से नियुक्त शिक्षकों से अपेक्षित है कि यदि वे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप अपेक्षित योग्यता नहीं रखते, तो वे शैक्षिक सत्र 2002-2003 के आरंभ होने से पूर्व मानदंडों के अनुरूप योग्यता हासिल कर लें।

4. संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण संबंधी अन्य अधिसंरचनात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप हो।

5. अनुमोदित पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम के नियमों में निर्धारित अर्हता प्राप्त आवेदकों को ही राज्य सरकार द्वारा नियत विधि के अनुरूप दाखिला दिया जाएगा।

6. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत शुल्क संबंधी नियमों के प्रभावी होने तक छात्रों से शिक्षा शुल्क और अन्य शुल्क यथास्थिति संगत विश्वविद्यालय / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लिए जाएंगे।

7. व्यावहारिक कार्य/गतिविधियों सहित पाठ्यचर्या निष्पादन की व्यवस्था पाठ्यक्रम के मानदंडों और मानकों तथा स्थिति के अनुसार संगत विश्वविद्यालय / परीक्षा संगठन , की अपेक्षाओं के अनुरूप सुनिश्चित की जाए।

8. शिक्षण अभ्यास समेत शिक्षण दिवसों की संख्या पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के मानदंडों में निर्धारित संख्या से कम न होनी चाहिए।

9. यदि संस्था सहायता प्राप्त नहीं है तो उसके द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप स्थायी निधि एवं सुरक्षित कोष की व्यवस्था बनाकर रखी जाए।

10. **संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन मानदंडों का पालन करती रहेगी तथा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रेषित करेगी। कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य ब्यौरों के साथ-साथ उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन की स्थिति का उल्लेख करेगी।**

यदि **हैस प्री - प्राइमरी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, अलायमोंन, कोल्लम - 691320, केरल** को, **प्री-प्राइमरी केरल** द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए या जारी किए गए नियमों, विनियमों और आदेशों अथवा उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं किया जाता तो क्षेत्रीय समिति द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के खंड 17 (1) के प्रावधानों के अधीन मान्यता वापिस ली जा सकती है।

आदेशानुसार,

एस वासुदेव

(एस.वासुदेव)
क्षेत्रीय निदेशक

फा.सं.वेएल/पी पी /न्यू / एसआरओ/एनसीटीई/2000-2001/8338 दिनांक : 22.10.2001

आदेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के खंड 14(3) (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दक्षिण क्षेत्रीय समिति **सी.एच.मोहम्मद कोया मेमोरियल प्री-प्राइमरी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चौथा तल, म्युनिसिपल बिल्डिंग, कुरुप्पम रोड जंक्सन, राउंड साउथ, त्रिशूर - 680 001, केरल** के एकवर्षीय प्री-प्राइमरी पाठ्यक्रम जिसमें अधिकतम 30 छात्र होंगे, के लिए शैक्षिक सत्र 2001-2002 से मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते संस्था द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएं --

1. प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि केरल राज्य द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र केवल केरल में ही रोजगार के लिए वैध होगा और साथ ही पाठ्यक्रम संबंधी अवधि और नामांकन की प्रक्रिया वही है जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के प्रख्यापित होने से पूर्व केरल राज्य में चल रही थी। संस्था को मात्र 2005 तक एकवर्षीय पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति है। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संबंधी मानदंडों के अनुरूप यह पाठ्यक्रम भी दो वर्षों का होगा।

2. पहले से नियुक्त शिक्षकों से अपेक्षित है कि यदि वे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप अपेक्षित योग्यता नहीं रखते, तो वे शैक्षिक सत्र 2002-2003 के आरंभ होने से पूर्व मानदंडों के अनुरूप योग्यता हासिल कर लें।

3. संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण संबंधी अन्य अधिसंरचनात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप हो।

4. अनुमोदित पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम के नियमों में निर्धारित अर्हता प्राप्त आवेदकों को ही राज्य सरकार द्वारा नियत विधि के अनुरूप दाखिला दिया जाएगा।

5. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत शुल्क संबंधी नियमों के प्रभावी होने तक छात्रों से शिक्षा शुल्क और अन्य शुल्क यथास्थिति संगत विश्वविद्यालय / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लिए जाएंगे।

6. व्यावहारिक कार्य/गतिविधियों सहित पाठ्यचर्या निष्पादन की व्यवस्था पाठ्यक्रम के मानदंडों और मानकों तथा स्थिति के अनुसार संगत विश्वविद्यालय / परीक्षा संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप सुनिश्चित की जाए।

7. शिक्षण अभ्यास समेत शिक्षण दिवसों की संख्या पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के मानदंडों में निर्धारित संख्या से कम न होनी चाहिए।

8. यदि संस्था सहायता प्राप्त नहीं है तो उसके द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप स्थायी निधि एवं सुरक्षित कोष की व्यवस्था बनाकर रखी जाए।

9. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन मानदंडों का पालन करती रहेगी तथा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रेषित करेगी। कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य ब्यौरों के साथ-साथ उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन की स्थिति का उल्लेख करेगी।

यदि **सी.एच.मोहम्मद कोया मेमोरिएल प्री-प्राइमरी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चौथा तल, म्युनिसिपल बिल्डिंग, कुरुप्पम रोड जंक्सन, राउंड साउथ, त्रिशूर - 680 001, केरल** द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए या जारी किए गए नियमों, विनियमों और आदेशों अथवा उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं किया जाता तो क्षेत्रीय समिति द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के खंड 17 (1) के प्रावधानों के अधीन मान्यता वापिस ली जा सकती है।

आदेशानुसार,

एस वासुदेव

(एस.वासुदेव)
क्षेत्रीय निदेशक

फा.सं.टीएएन / एचईसी / एस आर ओ/ एनसीटीई / 2001-2002/8340 दिनांक :22.01.2001

आदेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के खंड 14(3)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दक्षिण क्षेत्रीय समिति **श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय मारुति कॉलेज ऑफ फिजिकल एडुकेशन, श्री रामकृष्ण विद्यालय पी.ओ. कोयंबत्तूर - 641020, तमिलनाडु को द्विवर्षीय एम.पी.एड** पाठ्यक्रम जिसमें अधिकतम 25 उम्मीदवार होंगे, के लिए शैक्षिक सत्र 2001-2002 से मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते संस्था द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएं :

1. पहले से नियुक्त शिक्षकों में जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन सभी से अपेक्षित है कि वे शैक्षिक सत्र 2001-2002 के आरंभ होने से पहले मानकों में निर्धारण के अनुसार योग्यता प्राप्त कर लें।
2. शिक्षक और शिक्षार्थी का अनुपात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप रखा जाए।
3. स्टाफ रूम और कार्यालय कक्ष के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप पर्याप्त स्थान का प्रावधान किया जाए।
4. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण संबंधी अन्य अधिसंरचनात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप हो।
5. अनुमोदित पाठ्यक्रम में तत्संबंधी नियमों के अनुरूप केवल अर्हता प्राप्त आवेदकों को संगत विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार दाखिला दिया जाएगा।
6. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत शुल्क संबंधी नियमों के प्रभावी होने तक छात्रों से शिक्षा शुल्क संगत विश्वविद्यालय / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लिए जाएंगे।
7. व्यावहारिक कार्य / गतिविधियों सहित पाठ्यक्रम निष्पादन की व्यवस्था पाठ्यक्रम हेतु मानदंडों और मानकों तथा मान्यता प्रदान करने वाले संगत विश्वविद्यालय /परीक्षा संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए।
8. शिक्षण अभ्यास समेत शिक्षण दिवसों की संख्या पाठ्यक्रम के वास्ते राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों में निर्धारित संख्या से कम नहीं होना चाहिए।
9. यदि संस्था सहायता प्राप्त नहीं है तो उसके द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप स्थायी निधि और सुरक्षित कोष की व्यवस्था रखी जाए।
10. **संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन मानदंडों का पालन करती रहेगी तथा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रेषित करेगी। कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य ब्यौरों के साथ-साथ उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन की स्थिति का उल्लेख करेगी।**

यदि **श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय मारुति कॉलेज ऑफ फिजिकल एडुकेशन, श्री रामकृष्ण विद्यालय पी.ओ. कोयंबत्तूर - 641020, तमिलनाडु** राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए या जारी किए गए नियमों, विनियमों और आदेशों अथवा उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने में असफल रहेगा तो क्षेत्रीय समिति द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के खंड 17 {1} के प्रावधानों के अधीन मान्यता वापिस ली जा सकती है।

आदेशानुसार,

एम वासुदेव

{ एम. वासुदेव }

क्षेत्रीय निदेशक

रक्षा मंत्रालय

छावनी परिषद चकराता

नई दिल्ली। 3 अप्रैल, 2002

का०नि०आ० 9/3/बी०/II/ चूंकि छावनी परिषद चकराता ने निम्न विनिर्दिष्ट अनुसूची के अनुसार पुनरीक्षित दरों पर चुंगी कर लागू करने का प्रस्ताव किया है;

अतएव, छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2) की धारा 61, धारा 255 के साथ पठित, की अपेक्षानुसार प्रस्तावित पुनरीक्षित दरों पर आपत्तियां एवं सुझाव आमन्त्रित करते हुए एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई थी ;

अतएव प्राप्त आपत्तियों एव सुझावों पर उक्त परिषद द्वारा दिनांक 20 अगस्त 2001 की बैठक मे विधिवत विचार कर लिया गया है ;

अतएव उक्त परिषद ने चुंगी कर की दरों को पूनरीक्षित करने का निर्णय लिया है ।

अब, इसलिए, छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2) की धारा 60 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एव गर्वनर-जनरल-इन काउंसिल, संयुक्त प्रान्तो के ले० गर्वनर की अधिसूचना भाग-3, अनुभाग ए- म्यूनिसिपल दिनाक 31 जनवरी 1916, पेज संख्या 41 से 46, अधिसूचना संख्या 189/xl-24 ई० के अन्तर्गत प्रकाशित, का अधिक्रमण करते हुए छावनी परिषद चकराता केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से चकराता छावनी की सीमाओ के अन्तर्गत उपभोग, प्रयोग अथवा बिक्री हेतु लाये जाने वा-ले सामान/सामग्री एवं पशुओ पर नीचे दी गयी अनुसूची में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट करों पर चुंगी कर लगाने का प्रावधान करती है :-

(1) अनूसची मे निम्न प्रकार चुंगी कर वसूल किया जायेगा

(अ) भार द्वारा

वस्तुओ के समग्र भार पर जिसमें पैकिंग, ड्रम आदि भी शामिल है

या

(ब) भेजे हुए माल के मूल्य पर

(2) जब कोई सामान विशेष रूप से अनूसूची में विनिर्दिष्ट न हो एवं एक से अधिक मदो के अर्न्तगत आता हो, उन मदो मे अधिकतम मद की दर पर चुंगी कर वसूल किया जायेगा ।

(3) जब कोई सामग्री दो या उससे अधिक वस्तुओं पर भिन्न-भिन्न दरों पर लाई गयी हो तो सामग्री के ऐसे भाग को अलग सामान माना जायेगा।

(4) अनुचित रूप से वसूल किये गये चुंगी कर की वापसी हेतु आवेदन पर अधिशासी अधिकारी द्वारा तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदन एक सप्ताह के भीतर न किया गया हो ।

(5) प्रतिशत की दर पर किसी भी सामान पर चुगी कर की वसूली आयातक द्वारा भुगतान की गई राशि जिसमे किराये के भुगतान की राशि भी शामिल है, पर चकराता छावनी के अन्दर लाते समय की जायेगी । इस मूल्य में सीमा शुल्क यदि कोई हो, भी शामिल है। यदि धनराशि 6 पैसे या अधिक या 10 पैसे तक आती हो तो पूरे 10 पैसे वसूल किये जायेंगें ।

(6) 100 किलोग्राम/लीटर के किसी भाग पर चुगी का निर्धारण करने के लिए निम्न मापदण्ड अपनाये जायेगे :-

5 किलोग्राम/लीटर की गणना 100 किलोग्राम/लीटर का 1/20 होगी।

5 किलोग्राम/लीटर से अधिक और 10 किलोग्राम/लीटर की गणना 100 किलोग्राम/लीटर का 1/10 होगी ।

10 किलोग्राम/लीटर से अधिक तथा 20 किलोग्राम/लीटर तक की गणना 100 किलोग्राम/लीटर का 1/5 होगी ।

20 किलोग्राम/लीटर से अधिक तथा 25 किलोग्राम/लीटर तक की गणना 100 किलोग्राम/लीटर का 1/4 होगी ।

25 किलोग्राम/लीटर से अधिक तथा 40 किलोग्राम/लीटर तक की गणना 100 किलोग्राम/लीटर का 2/5 होगी ।

50 किलोग्राम/लीटर से अधिक तथा 60 किलोग्राम/लीटर तक की गणना 100 किलोग्राम/लीटर का 3/5 होगी

60 किलोग्राम/लीटर से अधिक तथा 75 किलोग्राम/लीटर तक की गणना 100 किलोग्राम/लीटर का 3/4 होगी

75 किलोग्राम/लीटर से अधिक तथा 100 किलोग्राम/लीटर तक की गणना एक कुन्तल/100 किलोग्राम/लीटर होगी ।

(7) किसी भी प्रकार की चुगी नहीं ली जायेगी :-

(अ) निम्न सामान पर -

(1) किसी भी सेना के आफिसर-इन-कमांड या वायू सेना इकाई द्वारा अपने व्यक्तियों एवं अनुयायियों के लिए आयातित उपकरण एव कपडे ।

(2) यदि छावनी सीमा के अन्दर लाया जाने वाला भण्डार किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ लाया गया हो कि यह सामान सरकारी सम्पत्ति है और किसी भी विभागीय या सरकारी ठेकेदार या पूर्तिकर्ता से सम्बन्धित नहीं है। न ही यह सामान उपरोक्त ठेकेदार या पूर्तिकर्ता की ओर से आयात किया गया है एवं कार्यालय उपयोग हेतु वाछित है और इसका या इसके किसी भाग का विक्रय हेतु आयात नहीं किया गया है ।

टिप्पणी (1) ठेकेदार को उपयोग हेतु भुगतान पर जारी किया गया भण्डार चुंगी कर की वसूली के उद्देश्य से "विक्रय" माना जायेगा ।

(2) पूर्तिकर्ताओं, सहकारी संघों आदि से भुगतान पर क्रय किया गया/पूर्ति किया गया भण्डार चुंगी कर की वसूली के उद्देश्य से सरकारी सम्पत्ति नहीं माना जायेगा चाहे ठेकेदारों/पूर्तिकर्ताओं की दरे गोदाम की हों ।

(3) सरकार द्वारा आयातित हथियार एवं विस्फोटक ।

(4) पुलिस विभाग द्वारा आपराधिक मामलों से सम्बन्धित आयातित सामान बशर्ते कि सामान के साथ एक प्रमाण पत्र उपनिरीक्षक से निम्न पद के पुलिस अधिकारी का ना हो ।

(5) सरकार, हवाई सुरक्षा उपायों हेतु आयातित सामान जहा पर आयात के समय सम्बन्धित विभाग के राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण पत्र हो ।

(6) सरकार एव स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालयीन उपयोग हेतु मुद्रित फार्म यदि सामान के साथ सम्बन्धित विभाग के किसी जिम्मेदार अधिकारी का प्रमाण पत्र हो।

(7) राज्यो के सामान्य निर्वाचन एवं केन्द्रीय व्यवस्था एवं स्थानीय निकायो के चुनाव से सम्बन्धित मुद्रित फार्म व अन्य सामान यदि सामान के साथ सभी सम्बन्धित विभागो के राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण पत्र हो कि ये फार्म एवं अन्य सामग्री सरकारी सम्पत्ति है ।

(8) भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई बच्चों के तपेदिक टीकाकरण हेतु सयुक्त उद्यमो द्वारा जारी आपूर्ति एवं सेवायें यदि आयात के समय सयुक्त उद्यमो के जिम्मेदार अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र हो कि यह सामान सम्बन्धित उद्योग की सम्पत्ति है ।

(9) सरकारी सेवक जो कि सरकारी कार्य हेतु यात्रा पर हो, के साथ लाया जाने वाला सरकारी सामान यदि यह प्रमाण चुंगी स्टाफ की सन्तुष्टि के अनुरूप हो ।

(10) विज्ञापन कार्य हेतु किसी भी केन्द्र या राज्य सरकार के विभाग का सामान जैसे परिशिष्ट, फिल्में, विज्ञापन साहित्य एवं अन्य उपकरण (उपयोग में) या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के विभागो अथवा किसी स्थानीय निकाय जैसे विश्वविद्यालय, रैडक्रास सोसायटी, छावनी परिषद, नगरपालिका, जिला परिषद का सामान इस शर्त के साथ कि सम्बन्धित विभाग या सस्था या एजेंसी के जिम्मेदार अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये ।

(11) सिक्के ।

(ब) विविध सामग्री ।

(1) स्टाम्प स्टाम्प पेपर तथा याचिका पत्रजात ।

(2) गोबर के उपलो का सिर का बोझा घास और घनी झाडी ।

(3) सादा नमक ।

(4) लिखित परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकायें ।

(5) भारत सरकार के पदासीन राजदूत, उच्चायुक्त, उप-उच्चायुक्त एवं अन्य राजनयिक पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का सामान ।

(6) सभी प्रकार के चश्मे ।

(7) धोबी द्वारा धुलाई किये गये कपडे छावनी सीमा पर पुनः वापस लाने पर ।

(8) नैशनल कैडिट कोर के उपयोग हेतु भण्डार जिसमें हथियार, गोला बारूद, वर्दियां, वर्दी हेतु कपडे यदि सामान के साथ किसी एन०सी०सी० के जिम्मेदार अधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र हो कि यह समान सम्बन्धित कोर का है ।

(9) वह सामान जिसमें चुंगी कर की राशि 10 पैसे से कम हो ।

(10) जो सामान चुंगी बाय-लाज के अन्तर्गत चुंगी कर से मुक्त है ।

(11) सभी प्रकार के परिवहन व वाहन जिसमें मोटर कार, साईकिल, तिपहिया साईकिल भी शामिल है ।

(12) चकराता छावनी के निवासियों के पशु जो चुगान के लिए बैरियर से बाहर जाते हैं और लौट कर वापस आते हैं ।

(13) डाकघर के माध्यम से आयातित सामान, उस सामान को छोडकर जो रेलवे ऐजेन्सी से आता है लेकिन जिसकी रसीद डाक से भेजी जाती है ।

(14) मुद्रित वस्तुयें एवं कलैण्डर ।

अनुसूची

क्र०सं०	सामग्री का विवरण	प्रति	दर रू० पै०
	श्रेणी एक - मनुष्यों एवं जानवरों के खाद्य एवं पेय पदार्थ की सामग्री ।		
1.	सभी खाद्य पदार्थ जिसमें गेहू, अनाज, मैदा, चावल व धान, जौ, मंडुआ, ज्वार, बाजरा,आटा और सभी प्रकार की दालें शामिल है ।	कुन्तल	5.00
2.	सूजी मैदा और रावा, खील, भुना चना मूरमरे, च्यूड़े ।	"	5.00
3.	मिश्री सहित शुद्ध दानेदार चीनी जो कि डिब्बे में बन्द की गयी हो ।	"	10.00
4.	चीनी जो ऊपर नहीं दर्शायी गयी हो ; जिसमें गुड, शक्कर व देशी खांड भी शामिल है ।	"	5.00
5.	खांड, शीरा, गन्ने का रस ।	"	5.00
6.	साबुदाना ।	"	15.00
7.	गन्ना।	"	5.00
8.	वनस्पति तेल/वनस्पति घी (सरसों का तेल और अन्य तेल जो घी के स्थापर पर प्रयोग किये जाते हैं)	"	20.00
9.	चुजे, बत्तख, मुर्गी, मुर्गे, कलहंस, पेरू पक्षी, कबूतर आदि ।	सैकड़ा	50.00
10.	ताजी मछली, लड़ने वाला मुर्गा, सुअर का मांस, मुर्गी, सभी प्रकार का मांस ।	कुन्तल	50.00

11. पान के पत्ते ।	प्रति डोली	3.00
12. आलू हरी अदरक, अरबी, टमाटर,कचालू हलवा पेठा, प्याज, सिंघाड़ा और अन्य ताजी सब्जियां जो कही नही आयी हों ।	प्रतिशत	2.00
13. ताजे फल (सेव, खुमानी, चिल्लू, कच्चा आम, अमरूद, केला, संतरा, मौसमी आदि (उनके अतिरिक्त जो कहीं अन्यत्र दर्शायी गयी हों)	"	2.00
14. सभी प्रकार के सूखे मेवे और सूखी सब्जियां (जो अन्यत्र न दर्शायी गयी हों) जिसमें मशरूम (खुम्ब, डिगरी और गुच्छी शामिल है) किशमिस, काजू, बादाम, चिलगोजा और सभी प्रकार के छिलके वाले फल व उनके छिलके उन्हें छोडकर जो अनूसूची मे अन्यत्र दर्शाये गये हों।	"	3.00
15. शहद, अचार, चटनी, जौं (देशी नहीं) अरारोट, अरारोट का आटा (देशी नही) सभी प्रकार के सिरके, नीबू व अन्य रस, डिब्बा बन्द सामान, सरक्षित मछली, रोटी (डबल रोटी, बिस्कुट, देशी एवं अन्य) पनीर, मावा,खोवा, मक्खन, घी और क्रीम (ताजी और डिब्बा बन्द) .. सभी प्रकार के संरक्षित फल जिनमें जैम, जैली, डिब्बा बन्द दूध, दूध पावडर (डिब्बा बन्द बोतलें व अन्य) शामिल है, चटनी, सूखी मिठाइयां, सभी प्रकार की मिस्सी, किराना एवं मिठाइया, कचरी, नमकीन, इलायचीदाना, मूगफलीदाना, बड़ी, सेविया, रेवड़ी, पतासा, चीनी या गुड से मिलकर बने हुए अनाज, देशी अचार और देशी मुरब्बा (डिब्बा बन्द व अन्य) तैयार किये हुए खाद्य एवं पेय पदार्थ जो सूची में अन्यत्र न दर्शाये गये हो ।	"	3.00
16. हर प्रकार की चाय जिसमें चाय का चूरा भी शामिल है, चाय पत्ती, चाय के डठल और कौफी और कोको ।	"	3.00
17. मुगफली, अखरोट ।	"	2.00

18. चिकनाई एवं चर्बी ।	कुन्तल	20.00
19.अण्डे ।	सैकड़ा	3.00
20. खल, बिनोला, तेल के बीज और दानेदार पशु चारा ।	कुन्तल	3.00
21. भूसा, चोकर, चारा जिसमें हरा चारा भी शामिल है (सिर के बोझे को छोड़कर)	"	3.00
श्रेणी दो - तम्बाकू, मद्यसार सम्बन्धी तरल और अन्य मादक पदार्थ ।		
22. तैयार किया हुआ तम्बाकू जिसमें तम्बाकू के रेशे भी शामिल हैं ।	"	5.00
23. सिगार एवं सिगरेट ।	प्रतिशत	5.00
24, जरदा, सुघनी, सुगन्धित तम्बाकू, पान मसाला आदि	"	5.00
25. सभी प्रकार की स्वदेशी एवं विदेशी मदिरा जिसमें सभी प्रकार के मादक शामिल हैं जो अनुसूची में अन्यत्र शामिल न किये गये हों ।	"	5.00
26. सभी प्रकार की बीड़ी ।	"	5.00
श्रेणी तीन - पशु बिक्री या उपभोग हेतु ।		
27. भेड़, बकरी, सुअर तथा अन्य चौपाये जो अन्यत्र न दर्शाये गये हों ।	प्रति एक	10.00
श्रेणी चार- वाणिज्यिक भारी रसायन, दवाइयां, औषधियों, सुगन्धित द्रव्य ।		
28. भारी वाणिज्यिक रसायन जैसे सल्फर, परिशोधित सोडा, कास्टिक सोडा, पोटास, कपूर की गोलयां, अम्ल, [redacted] खार, पोटाशियम एवं सोडियम कार्बोनेट	प्रतिशत	3.00

अमोनिया बाई काबौनेट, कैल्शियम, जिंक, मैग्निशियम क्लोराइड और सोडा सिलीकेट, कीटाणुनाशक जैसे फिनाइल, क्रीसोल्क्रीसोल, क्लोरीन द्रव्य, सोडा पावडर आदि।

29. कच्चा शीरा, कच्चा सल्फर, सल्फर धातु तथा अन्य कच्चे रसायन जो अन्यत्र कही नही दर्शाये गये हो। प्रतिशत 3.00

30. सभी प्रकार के रसायन, अंग्रेजी व होम्योपैथी दवाइया और औषधिया जिनमे सार भी शामिल है। अर्क एव अन्य तैयार औषधिया जो अन्यत्र न दर्शायी गयी हो । " 3.00

स्पष्टीकरण - रसोई गैस सहित सभी प्रकार की गैसे जो कि रसायन है उनमे इस मद के अन्तर्गत चुगी ली जायेगी । खाली गैस सिलेन्डर जो वापस भेजे जाते है, उनकी कीमत निर्धारण मे नहीं जोडी जायेगी ।

31. यूनानी और आयुर्वेदिक दवाइया और औषधियां जो अन्यत्र नहीं दर्शायी गयी हैं जिनमे हर्मल धूप, अगरबत्ती, लोबान और सभी की जडी बूटिया, जडे, पत्तिया, फल एव बीज जो सुगन्धी के रूप मे प्रयोग किये जाते है, शामिल है । प्रतिशत 3.00

32. अज्वायन, सूखी अदरक, लहसुन, हींग, काली एव सफेद मिर्च सौफ, अनारदाना, इमली, हल्दी आदि। उन्हे छोडकर जो अनूसूची मे अन्यत्र दर्शाये गये हो । " 3.00

33. लीसे सहित सभी प्रकार के गोद । " 3.00

श्रेणी पांच -कपडा व कपडे से बनी वेषभूषायें ।

34. रजाई व छातों सहित सभी प्रकार के कपडे और कपडों से बना सामान, कपास रूई एव शल्यक रूई, कच्ची ऊन तथा जानवरो के बाल, सूती एवं ऊनी धागे चाहे कते हुए हो या अन्य, बुनाई की ऊन रेशमी धागा और मरसराइज्ड सूती धागे, रेशम ओर बनावटी रेशम का सामान, मखमल और उससे निर्मित सामान, नियार सहित सूती और लेनन से निर्मित सामान । " 3.00

35. परादें आदि, बजाज का सामान, फर सहित हौजरी, जूतो के तसमे, टोपिया, दरिया, कम्बल और निर्मित कपडे । " 3.00

36. खुली मुज, जूट,कोयर, पाथा, डिब और अन्य रेशे व उनसे बना सामान जिसमें सूत का कचरा बोरिया, टाट, सन का कपड़ा व उनसे बना सामान भी शामिल है ।	प्रतिशत	3.00
37. कैनवास तम्बू, तिरपाल, जिल्दकारी कपडा, ड्रैसिंग का कपड़ा, तांगा व गाडियो का कपड़ा ।	"	3.00
38. रददी और पुराना लेनन, सूती व ऊनी कम्बल, तिरपाल, ग्राउन्ड शीट, दरी, तम्बू, कनात, तिरपाल के थैले से बने सामान ।	"	3.00
39. जूते, जीन, काठी का सामान तथा इसी प्रकार के निरस्त सैनिक सामान तथा चमडे के टुकडे ।	"	3.00
40. सोने वा चांदी की तारे, तारें व धागे, गोटा, किनारी, लामिया सिलमा सितारा (सुच्चा व नकली)	"	3.00
श्रेणी छः - सामान्य प्रचलित व्यापारिक माल का सामान, शौचालय, सुगन्धित द्रव्य, प्रकाश तथा धुलाई।		
41. सामान्य प्रचलित व्यापारिक सामान ।	"	3.00
42. शौचालय व सुगन्धित द्रव्य का सामान ।	"	3.00
43. प्रकाश व उष्णता का सामान (विद्युत सामान को छोडकर) और जिसमे लैम्प, स्टोव, गैस चुल्हा, मोमबत्ती, टार्च व टार्च सैल शामिल है ।	"	3.00
44. माचिस ।	"	2.00
45. मिटटी, रीठा, और किस्था, साबुन की टिकिया।	"	2.00
46. अन्य धुलाई एव स्नान वाले साबुन (जिनमें विम व लक्स प-लैवश शामिल हैं) फिटकरी, शोरा, परिशोधित पोटास अपसोम साल्ट, सोडियम बायोकार्बोनेट एवं अन्य धुलाई में प्रयोग किये जाने वाले तत्व, फर्श बनाने का सामान व बर्तन ।	"	2.00

47. सभी प्रकार के साबुन, जलाऊ लकड़ी व लकड़ी का कायेला, (सिर के बोझ वाली लकड़ी को छोड़कर)	कुन्तल	1.00

श्रेणी सात - वैज्ञानिक यन्त्र, ज्वैलरी, संगीत और मनोविनोद के यन्त्र ।

48. सभी प्रकार के यन्त्र, फोटोग्राफी मे प्रयोग होने वाले यन्त्र व उपकरण ।(सिनेमा फिल्मो को छोड़कर)	प्रतिशत	3.00
49. सिनेमा फिल्म जिसमें वी०सी०आर०, वी०सी०पी० कैसेट शामिल हैं ।	"	3.00
50. सभी प्रकार के वैज्ञानिक, गणीतीय चश्में, शल्य एवं दन्त चिकित्सा यन्त्र तथा टैलीफोन टैलिग्राफिक, टैलीविजन के उपकरण जिसमें टी०वी०, वी०सी०आर०, वी०सी०पी० के कल पुर्जे भी शामिल हैं ।	"	3.00
51. सभी प्रकार के सोने चांदी के बहुमुल्य रत्न, नकली आभूषण तथा अन्य आभूषण ।	"	3.00
52. घडियां, घडियों के शीशे, घड़ी की चेन और उनके कल पुर्जे जिनमें दीवार घड़ी और उनके कल पुर्जे भी शामिल हैं ।	"	3.00
53. सिलाई मशीन, बुनाई मशीन व उनके कल पुर्जे आदि	"	3.00
54. सभी प्रकार के संगीत यन्त्र जिसमें रेडियो सैट व उनके कल पुर्जे, ट्रांजिस्टर व उसके कल पुर्जे, रेडियो व ट्रांजिस्टर की बैटरियां शामिल हैं ।	"	3.00

श्रेणी आठ - विद्युत का सामान ।

55. सभी प्रकार का विद्युत का सामान जो अनूसूची में अन्यत्र न दर्शाया गया हो जैसे रैफ्रीजरेटर, बिजली का पंखा, कॉफी प्लाट, हीटर और इस्त्री एवं उनके कल पुर्जे, तार, प्लग, बल्ब, स्वीच,मीटर,होल्डर, शू सैड, कैबिल आइसोलेटेड, मिटटी और चीनी मिटटी का सामान,इन्सोलेटर, एल्टरनेटर,रोटरी, कन्वर्टर,	"	3.00

कन्ट्रोल गियर व उनके कल-पुर्जे		
56. विद्युत कापिंग व काजिंग जिसमे ब्लाक और गुटके भी शामिल हैं ।	प्रतिशत	3.00
श्रेणी नौ - खेल क्रीडा और खिलौने ।		
57. आन्तरिक और बाहरी खेलो और क्रीडाओ मे प्रयोग होने वाले सामान, सभी प्रकार के खिलौने।		3.00
श्रेणी दस- लेखन सामग्री व कागज ।		
58. सभी प्रकार की लेखन सामग्री जैसे स्याही,पैन फाउन्टैन पैन, रबर, बोतल वाला गोंद, पिन, टैग, तस्मे, पेपर पच, क्लिप, फाइल बोर्ड, फाइल कवर, निब, पैंसिल का सिक्का, पैंसिल, नोट पेपर, लिफाफे, रबड व स्टील की मोहरे, मोहरो का स्टैण्ड, स्याही की दवात, सोखता, स्लेट तख्ती, कापी बुक, नोट बुक, डायरी, रजिस्टर, बही, फार्म उन्हे छोडकर जो कर मुक्त है, टाइपराइटर, डुप्लीकेटिंग मशीन एव उससे सम्बन्धित कल पुर्जे ।	"	3.00
59. सभी प्रकार के कोरे कागज ।	प्रतिशत	3.00
60. रद्दी कागज, गत्ता व उससे बना सामान ।	"	3.00
श्रेणी ग्यारह -चमड़ा, रबड़,कैनवास व उससे बना सामान।		
61 कच्चा चमडा, खाले, मास, प्राकृतिक हड्डिया तथा प्राकृतिक उदर ।	"	3.00
62 अलंकृत चमडा तथा निर्मित चमडा ।	"	3.00
63. [illegible] बूट, जूते, चमडे व उससे बने सामान, फर, [illegible] कैनवास व जानवरो की खाल जो कि [illegible] और कोई के लिए उपयुक्त हो ।	"	3.00

64. रबड़ से बने सभी प्रकार के सामान जिसमें गाड़ियों में प्रयोग होने वाले टायर व ट्यूब शामिल हैं ।	प्रतिशत	3.00
65. पुराने और अनुपयोगी रबड के सामान और टुकडे ।	"	3.00
66. रबड सोल्यूशन ।	"	3.00

श्रेणी बारह- धातुओं और धातुओं से बने सामान

67. धातुओं और धातुओं से बने सामान जिसमें लोहा लोहे की चादरे, धातु चढाई गयी लोहे की चादरें, खाली पाइप जिसमें जी०आई० पाइप भी शामिल हैं, रेलवे के शहतीर, गोल लोहा, एंगिल आयरन तथा टी आयरन ।	"	3.00
68. लोहे के टुकडे, लोहे का चूरा, धातु का मल, कच्चा लोहा जो अन्यत्र न दर्शाया गया हो ।	"	3.00
69. चादरे, अन्य धातुओं की छड़ें जैसे पीतल, तांबा, कासा, जस्ता, शीशा,टिन तथा जर्मन सिल्वर।	"	3.00
70. लोहे के अतिरिक्त अन्य धातुओं के टुकडे जिनमें टूटे हुए बर्तन भी शामिल हैं ।	"	3.00
71. तार एव तार के रस्से ।	"	3.00
72. लोहे या धातु चढाये गये लोहे से निर्मित सामान जैसे पाइप,बर्तन और डिब्बे, नहाने के टब, बाल्टियां बक्शे, सूटकेश आदि ।	"	3.00
73. केवल धातु से बने सामान व बर्तन या मिश्रित धातु से बने सामान जिसमें मुरादाबादी व अल्यूमिनियम व जर्मन माल भी शामिल है ।	"	3.00

श्रेणी तेरह - मशीनरी ।

74. सभी प्रकार की मशीनरी जिसमें कृषि और अन्य प्रकार की मशीनरी शामिल है और उनके कल-पुर्जे जो अन्यत्र शामिल न हों ।	प्रतिशत	3.00
75. औजार और अन्य सभी प्रकार के सहायक जैसे हथोडा, रेती, स्क्रु, पाना, आरा, लोहे के नट, पाइप रेगमाल, रिव्ट, वाशर, प्लास, रिंच, कीले आदि ।	"	3.00

श्रेणी चौदह- खनिज एवं चिकनाई युक्त तेल ।

76. यन्त्रो मे प्रयुक्त होने वाला चिकनाइ युक्त तेल ।	कुन्तल	5.00
77. डीजल तेल ।	"	5.00
78. कच्चा तेल, ग्रीस तथा ईधंन तेल ।	"	5.00
79. अन्य सभी खनिज तेल जो ऊपर न दर्शाये गये हों।	"	5.00

श्रेणी पन्द्रह- भवन बिल्डिंग फिटिंग एवं फर्नीचर के निमाण में प्रयुक्त होने वाले सामान ।

80. धूप में सूखी हुई ईटें।	प्रतिशत	2.00
81. जलाकर सूखी हुई ईटें ।	"	2.00
82. पकी हुई मिटटी, पक्की इटें, गेरू, चूना, पन्डो अर्थ, मुल्तानी या गाचनी मिटटी, चाक, सीमेन्ट का पत्थर पेरिस का प्लास्टर व उससे बना सामान, पत्थर जो अलग से अनुसूची मे न दर्शाया गया हो, सीमेन्ट टायल, सफेद चूना तथा चमकीली मिटटी का सामान हौस पाइप, स्टोरवेयर पाइप तथा पत्थर से बने सामान जो अन्यत्र अनूसूची में न हों,ताजे तथा खारे पानी के सैल्स, चीनी मिटटी, कुम्हार की मिटटी कुरूम पत्थर	"	3.00

जिसमे खुरदरे पत्थर भी शामिल हैं, कुरूप पत्थर के पहिये, पाउडर और सभी प्रकार के न जलने वाली धातुओं की चादरे और पैकिंग।		
83. छतों की चादरें ।	प्रतिशत	3.00
84. सीमेन्ट, हिरमची और रोगराज ।	"	3.00
85. खारिस मिटटी, चाक मिटटी, कासी केरी, ककर, बजरी,अर्थन पीनिरास, नदी का रेत, लाल केरी और खनिज, सफेद और लाल बालू और खुरदरा पत्थर जिसमे कि खुरदरा मिल का पत्थर भी शामिल है ।	"	3.00
86. सभी प्रकार के न चमकाये हुए मिटटी के बर्तन ।	"	3.00
87. दीवारों व फर्श की चमकीली चादरे ।	"	3.00
88. संगमरमर तथा उससे बना सामान, संगमरमर चिप्स तथा सगमरमर का चूरा ।	"	3.00
89. सैनेटरी फिटिंग का सामान चाहे वे पत्थर के बने हों पोरसियालेन धातु, ईटें आदि ।	"	3.00
(ब) लकड़ी का सामान और उपकरण ।		
90. लकडी के सलीपर, डाट, लकडी के फटटे, इमारती लकडी जिसमें बांस, लाठिया, शहतीरे सिरकियां और रेलवे के अनुपयोगी सलीपर शामिल हैं ।	"	3.00
91. सरकन्डे ।	"	3.00
92. प्लाइवुड, सीटें, खिडकी के शीशे, दरवाजे व खिडकियो के चिक तथा लकडी का अन्य सामान जो कहीं नहीं दर्शाया गया हो ।	"	3.00

93. उच्च श्रेणी का फर्नीचर जैसे टेबल, कुर्सियां, साइड रैक, टेबल रैक, शू रैक, किताबों का सैल्फ, सोफ सैट, चाय पीने की छोटी चौकी, अलमारी, हैट रैक, पलंग, जालीदार आलमारी, लकड़ी की ट्रे, लकड़ी का बक्सा, दराज, झूला, ड्रैसिंग टेबिल कपड़े टांगने की खूटी, तस्वीरों का फ्रेम और फ्रेम की लकड़ी आदि ।	प्रतिशत	3.00
94. साधारण फर्नीचर जैसे चारपाई, तख्त पोश, मथानी, बैन्च, स्याम पटट, स्टूल, रसोई का लकड़ी का सामान व उपकरण, मैटिंग आदि ।	प्रतिशत	3.00
95. सभी प्रकार का फर्नीचर जो कि पूरा केन का बना हो और ऐसे सभी सामान जैसे पाथा, रस्सिया, मुज मैटिंग आदि ।	प्रतिशत	3.00
96. कुर्सियों की केन, पैकिंग में प्रयोग होने वाली सामग्री, टोकरिया।		3.00
97. वारनिश, रोगन, तारपीन, सरेश, पालिश, सूखा रंग, रंगाई में प्रयोग होने वाली अन्य सामग्री जो अन्यत्र न दर्शायी गयी हो ।	"	3.00
98. स्प्रिट।	"	3.00
श्रेणी सोलह- विविध ।		
99. डाई, रंग जिसमें प्राकृतिक नील भी शामिल है, मजीठ, माजू, ब्रासो, पालिश और लाख ।	"	3.00
100. खाली बोतलें, सभी प्रकार के जार ।	"	3.00
101. चाकू-छूरी आदि यदि अन्यत्र न दर्शाये गये हों।	"	3.00
102. बर्तन और काच केबर्तन ।	"	3.00

103. देशी कांच की चूड़ियां, नक्काशी किये हुए बर्तन छोटे बच्चों की दूध की बोतले ।	प्रतिशत	3.00
104. चिथड़े ।		3.00
105. तारकोल (यदि छूट न दी गई हो)		3.00
106. आग्नेय अस्त्र एवं हथियार ।		3.00
107. बारूद, बन्दूक का पाउडर, विस्फोटक पाउडर, पटाखे ।		3.00
108. सरकस के उपकरण ।	"	रू० 500/- थोक रकम
109. अन्य सामान जो अनुसूची मे अन्यत्र न दर्शाये गये हो ।	"	3.00
110. ट्रांजिट पास पर सामग्री ।	"	देय चुगी का 10 प्रतिशत

फाईल सख्या - 9/3/बी०/II/

छावनी अधिशासी अधिकारी
बकराला
(डा० एस० एच० खान)

Telegrams
"BANKCHALAN"
MUMBAI

TEL No. 2189131 - 39
Post Box No. 6089

Reserve Bank of India
Central Office
Department of Banking Operations & Development
World Trade Centre-1, Cuffe Parade, Colaba
Mumbai 400 005.

DBOD.No.BC. 94 /12.01.001/2001-02

April 29, 2002
Vaishakha 09,1924 (Saka)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934)(the Act) and in supersession of its Notification DBOD No.BC.33/12.01.001/2001-02 dated 22 October 2001, the Reserve Bank of India hereby specifies that the average Cash Reserve Ratio (CRR) required to be maintained by Scheduled Commercial Banks shall, be at 5.0 per cent effective from the fortnight beginning June15, 2002.

However, the effective CRR maintained by Scheduled Commercial Banks on total demand and time liabilities shall not be less than 3.0 per cent, as stipulated under the Act, ibid.

S L Parmar

(S.L.Parmar)
Executive Director

DEPARTMENT OF GOVERNMENT AND BANK ACCOUNTS
CENTRAL DEBT DIVISION
MUMBAI

In pursuance of Rule 18 of the Rule made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act,1944 and published in the Gazette of 20th April 1946 (as amended under the Notification No. F(8)/70-B/52 dated the 29th April,1954 and the Notification in extra ordinary Gazette No.67 dated 21st February 1990) the following list for the month ended March 2002 is hereby advertised of securities lost etc. In respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just. All persons other than the respective claimants named below who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai.

The list has been divided into two parts List "A" being securities now advertised for the first time and list "B" the list of securities previously advertised.

List "A "

Byculla (Mumbai) Circle

10% Relief Bonds 1995

No. of Security	Value in Rs. /Grams.	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
(GPH) BC 4775	Rs.4,00,000/-	Kunjlata Rohatgi & Kanchan Nath Rohatgi	2.11.1996	Kunjlata Rohatgi & Kanchan Nath Rohatgi	06.25.53 dated 21.11.2001

List B

No. of Security	Value in Rs. /Grams.	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
Nil					

(A.G. Pathak)
p. Chief General Manager
17-4-2002

NOTICE

STATE BANK OF INDIA,
CENTRAL OFFICE,
MUMBAI - 400 021.
MAY 07, 2002

Notice is hereby given that the Register of Shareholders of the State Bank of India, will be closed for transfer of shares for payment of dividend for 2001-2002, if any, from Tuesday, the 16th July, 2002 to Wednesday, the 31st July, 2002, both days inclusive.

(JANKI BALLABH)
CHAIRMAN

ORIENTAL BANK OF COMMERCE
PERSONNEL DEPARTMENT
HEAD OFFICE,

NEW DELHI - Dated 18th April, 2002

No. 3939 - In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of Oriental Bank of Commerce in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Oriental Bank of Commerce (Employees') Pension Regulations, 1995, namely :-

1. (1) These regulations may be called the Oriental Bank of Commerce (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2002.

(2) Unless otherwise expressly provided in these regulations, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Oriental Bank of Commerce (Employees') Pension Regulations, 1995 -

(a) in Regulation 2,

(i) for sub-regulation (n), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(n) 'employee' means any person employed in the service of the Bank, whether as a workman on full time work on permanent basis or on part-time work on permanent basis on scale wages or as an officer and who opts and is governed by these regulations, but does not include a person employed either on contract basis or daily wage basis or on consolidated wages;";

(ii) in sub-regulation (o), for clause (c), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(c) son or unmarried daughter or widowed/divorced daughter, who has not attained the age of twenty-five years, including such son or daughter adopted legally."

"(d) parents who were wholly dependent on the employee when he/she was alive, provided the deceased employee had left behind neither a widow/widower nor a child."

(iii) for sub-regulation (s), the following sub-regulation shall be substituted namely:-

"(s) "Pay" inciudes,-

(a) in relation to a workman who had either retired or died on or after the 1st day of January, 1986 but before the 1st day of November, 1992; and in relation to an officer who had either retired or died on or after the 1st day of January, 1986 but before the 1st day of July, 1993, -

i) the basic pay including stagnation increments, if any, and

ii) all allowances counted for the purposes of making contribution to the Provident Fund and for the payment of dearness allowance

(b) in relation to a workman who retired or died while in service on or after the 1st day of November, 1992; and in relation to an officer who retired or died while in service on or after the 1st day of July, 1993, -

i) the basic pay including stagnation increments, if any; and

ii) all allowances counted for the purpose of making contribution to the Provident Fund and for the payment of dearness allowance; and

iii) increment component of Fixed Personal Allowance;"

(c) in relation to an employee who retired or died while in service on or after the 1st day of April, 1998 –

(i) the basic pay including stagnation increments, if any; and

(ii) all other components of pay counted for the purpose of making contributions to the Provident Fund and for the payment of dearness allowance; and

(iii) increment component of Fixed Personal Allowance; and

(iv) dearness allowance thereon on the above calculated upto Index number 1616 points in the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960 = 100.

Explanation:

For the purpose of this clause basic pay, other components of pay and Fixed Personal Allowance would mean the basic pay, other components of pay and Fixed Personal Allowance drawn by the employee in terms of the scales of pay as applicable and the rates at which the other components of pay were payable prior to 1.11.1997 (in the case of workmen) and prior to 1.4.1998 (in the case of officers);

(b) in Regulation 3,

(i) in sub-regulation (1), in clause (c), after the words '.....aforesaid amount to the Bank' the words 'or till the 1st day of April, 1995 whichever is earlier' shall be added;

(ii) in sub-regulation (7), in clause (b), after the words '.... aforesaid amount to the bank' the words 'or till the 1st day of April, 1995, whichever is earlier' shall be added;

(iii) after sub-regulation (9), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(10) Not withstanding anything contained in sub-regulations (2), (5), (6) and (8), in cases where an employee had retired/died after retirement on or after the 1st day of November, 1993 but on or before the 1st day of April, 1995 or where an employee had died while in service of the Bank on or after the 1st day of November, 1993 but on or before the 1st day of April, 1995 such an employee or the family of the deceased employee, as the case may be, shall refund within the period specified in aforesaid sub-regulations the entire amount of the Bank's contribution to the Provident Fund including interest accrued thereon with a further simple interest at the rate of six per cent. per annum on the said amount from the date of settlement of the Provident Fund account till the date of refund of the aforesaid amount to the Bank or till the 1st day of April, 1995, whichever is earlier.";

(c) for Regulation 12, the following regulation shall be substituted, namely :-

"12. Investment of the Fund. - All moneys contributed to the Fund or received or accruing after that date by way of interest or otherwise to the Fund, may be deposited in a Post Office Savings Bank Account in India or in a current account or in a savings account with any scheduled bank or utilised in making payment of pensionary benefits in accordance with Pension Regulations and to the extent such moneys as are not so deposited or utilised shall be invested in the manner specified in sub-rule (2) of rule 67 of Income Tax Rules, 1962."

(d) in regulation 18, the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided that provisions of this regulation shall not apply for determining the minimum service required to make an employee eligible for pension.";

(e) in Regulation 27, for sub-regulation (2), the following sub-regulations shall be substituted, namely.-

"(2) For the purpose of calculating the amount of pension in respect of a part time employee who was/is initially recruited on a lower scale wage and later fitted on higher scale wages including full scale wages, the length of qualifying service shall be determined in accordance with Appendix IV

(3) In respect of part time employees who continue to be in the same scale wages since their recruitment, for the purpose of calculating the amount of pension, the actual service put in shall be taken as qualifying service In such cases the actual pay drawn on scale wages at the time of retirement shall be reckoned for the purpose of average emoluments.

"**Note**.

The actual service/qualifying service shall be calculated from the date of recruitment or 1.9.1978, whichever is later",

(f) in Regulation 32, the word 'and' shall be inserted at the end of clause (a),

(g) in Regulation 33, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely :-

"(1) An employee compulsorily retired from service as a penalty on or after Ist day of November, 1993 in terms of Oriental Bank of Commerce Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations 1982 or awards/settlement may be granted by the authority higher than the authority competent to impose such penalty, pension at a rate not less than two-thirds and not more than full pension admissible to him on the date of his compulsory retirement if otherwise he was entitled to such pension on superannuation on that date

(h) in Regulation 34, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(2) The family of a deceased employee governed by the provisions contained in sub-regulation (7) of regulation 3 shall be eligible for pension or family pension as the case may be, with effect from 1st day of November, 1993."

(i) in Regulation 35, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely :-

"(1) Basic Pension and additional pension, wherever applicable, shall be updated as per the formulae given in Appendix I.";

(j) for Regulation 36, the following regulation shall be substituted, namely :-

"36. **Minimum Pension** – The amount of minimum pension shall be --

(a) rupees three hundred and seventy five per month in respect of an employee other than a part-time employee where the employee had retired before 1st day of November, 1992 (in case of workmen) or before 1st day of July, 1993 (in case of officers) and proportionate amount thereof in relation to the rate of scale of wages in the case of a part-time employee who had retired before the 1st day of November, 1992;

(b) rupees seven hundred and twenty per month in respect of an employee other than a part-time employee, where the employee retired on or after the 1st day of November, 1992 (in case of workmen) or on or after the 1st day of July, 1993 (in the case of officers) and proportionate amount thereof in relation to the rate of scale of wages in the case of a part-time employee who retired on or after the 1st day of November , 1992.

(c) rupees one thousand and fifteen per month in respect of an employee other than a part-time employee where the employee retired on or after the 1st day of April, 1998 and rupees three hundred and thirty nine per month in respect of a part-time employee drawing 1/3 scale wages, rupees five hundred and eight per month in respect of a part-time employee drawing 1/2 scale wages and rupees seven hundred and sixty two per month in respect of a part-time employee drawing 3/4 scale wages where the part-time employee retired on or after the 1st day of April, 1998.";

(k) in Regulation 39, -

(i) in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided that in respect of employees who were in the service of the bank on or after the 1st day of January, 1986 and had died while in service on or before the 31st day of October, 1987 or had retired on or before 31st day of October 1987 but died later, the family of the deceased shall be entitled to family pension, the amount of which shall be determined in accordance with Appendix V."

(ii) in sub-regulation (3), in clause (a), in sub-clause (ii), the words, bracket, letter 'or clause (b)' shall be deleted;

(iii) in sub-regulation (3), in clause (a), after sub-clause (ii), the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided that in no case the amount of family pension determined under this clause shall exceed the pension authorised on retirement from the Bank If the pension authorised to the employee on his retirement is less than the amount of family pension at the ordinary rates, then, the family shall be allowed family pension at the ordinary rates

Explanation : For the purpose of this sub-clause, "pension authorised on retirement" includes part of the pension which the retired employee might have commuted before death."

(l) in Regulation 40,

(i) in sub-regulation (1), for clauses (b) and (c), the following clauses shall be substituted, namely

(b) in the case of a son or daughter (including widowed/divorced) until he/she attains the age of twenty-five years or upto the date of his/her marriage/remarriage, whichever is earlier:

Provided the family pension payable to sons/daughters (including widowed/divorced) shall be discontinued/not admissible when the eligible son/daughter starts earning a sum in excess of Rs 2550/- per month from employment in Government/private sector/self-employment etc

Provided further that if the son or daughter of an employee is suffering from any disorder or disability of mind or is physically crippled or disabled so as to render him or her unable to earn a living even after attaining the age of twenty-five years, the family pension shall be payable to such son or daughter for life subject to the following conditions, namely :-

(i) If such son or daughter is one among two or more children of the employee, the family pension shall be initially payable to the minor children in the order set out in clause (e) of sub-regulation (1) until the last minor child attains the age of twenty-five years and thereafter the family pension shall be resumed in favour of the son or daughter suffering from disorder or disability of mind or who is physically crippled or disabled and shall be payable to him or her for life;

(ii) If there are more than one such children suffering from disorder or disability of mind or who are physically crippled or disabled, the family pension shall be paid in the order of their birth and the younger of them will get the family pension only after the elder next above him or her ceases to be eligible :

Provided that where the family pension is payable to such twin children it shall be paid in the manner set out in clause (f) of sub-regulation (1);

(iii) the family pension shall be paid to such son or daughter through the guardian as if he or she were a minor except in the case of a physically crippled son or daughter who has attained the age of majority;

(iv) before allowing the family pension for life to any such son or daughter, the Competent Authority shall satisfy that the handicap is of such a nature as to prevent him or her from earning his or her livelihood and the same shall be evidenced by a certificate obtained from a medical officer approved by the Bank, setting out, as far as possible, the exact mental or physical condition of the child ;

(v) The person receiving the family pension as guardian of such son or daughter or such son or daughter not receiving the family pension through a guardian shall produce every three years a certificate from a medical officer approved by the Bank to the effect that he or she continues to suffer from disorder or disability of mind or continues to be physically crippled or disabled.

Explanation- The grant of family pension to disabled children beyond the age limit specified in this regulation is subject to the following conditions, namely –

(i) a daughter shall become ineligible for family pension under this sub-regulation from the date she gets married;

(ii) the family pension payable to such son or daughter shall be stopped if he or she starts earning his or her livelihood. In such cases, it shall be the duty of the guardian or son or daughter to furnish a certificate to the Bank every month that –

(A) he or she has not started earning his or her livelihood,

(B) in case of daughter that she has not yet married;"

"(c) in the case of parents the family pension payable shall be discontinued/not admissible if the income of one of the parents or the aggregate income of both the parents from employment in Government/private sector/self-employment etc. exceeds Rs.2550/- per month."

(ii) for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(4) In case both wife and husband are employees of the Bank and are governed by the provisions of this regulation and one of them dies while in service or after retirement, the family pension in respect of the deceased shall be payable to the surviving husband or wife and in the event of death of the husband or wife, the surviving child or children shall be granted the two family pensions in respect of the deceased parents subject to the limits specified below, namely -

(a) if the surviving child or children is or are eligible to draw two family pensions at the rates mentioned in sub-clause (i) of clause (a) and sub-clause (i) of clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 39, the amount of both pensions shall be limited to –

(i) two thousand five hundred rupees only per mensem in respect of employees who retired or died while in service prior to the 1st day of November, 1992 (in the case of workmen) or prior to 1st day of July 1993 (in the case of officers);

(ii) four thousand eight hundred rupees per mensem only in respect of employees who retired or died on or after the 1st day of November 1992 (in the case of workmen) or on or after 1st day of July, 1993 (in the case of officers); and

(iii) six thousand seven hundred and fifty six rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of April, 1998.

(b) if one of the family pension ceases to be payable at the rates mentioned in sub-clause (i) of clause (a) or sub-clause (i) of clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 39 and in lieu thereof the family pension at the rate mentioned in sub-regulation (1) of regulation 39 becomes payable, the amount of both the pensions shall also be limited to -

(i) two thousand five hundred rupees only per mensem in respect of employees who retired or died while in service prior to the 1st day of November, 1992 (in the case of workmen) or prior to 1st day of July 1993 (in the case of officers);

(ii) four thousand eight hundred rupees per mensem only in respect of employees who retired or died on or after the 1st day of November 1992 (in the case of workmen) or on or after 1st day of July, 1993 (in the case of officers); and

(iii) six thousand seven hundred and fifty six rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of April, 1998.

(c) if both the family pensions are payable at the rate mentioned in sub- regulation (1) of regulation 39 amount of the two pensions shall be limited to –

(i) one thousand two hundred and fifty rupees per mensem in the case of employees who retired or died while in service prior to the 1st day of November, 1992 (in the case of workmen) or 1st day of July 1993 (in the case of officers);

(ii) two thousand four hundred rupees per mensem in respect of employees who retired or died on or after the 1st day of November, 1992 (in the case of workmen) or on or after 1st day of July, 1993 (in the case of officers); and

(iii) three thousand three hundred and seventy eight in respect of employees (both officers and workmen) who retired or died on or after 1st day of April, 1998.";

(iii) in sub-regulation (5), for the proviso to clause (c), the following proviso shall be substituted namely:-

"Provided that on the share or shares of family pension payable to such a child or children or to widow or widows ceasing to be payable, such share or shares, shall not lapse, but shall be payable to the other widow or widows and/or to the other child or children otherwise eligible, in equal shares, or if there is only one widow or child, in full, to such widow or child."

(iv) in sub-regulation (5), after clause (c), the following clause shall be inserted namely:-

"(ca) Where the deceased employee or pensioner is survived by a widow but has left behind eligible child or children from a divorced wife or wives such eligible child or children shall be entitled to the share of family pension which the mother would have received at the time of the death of the employee or pensioner had she not been so divorced:

Provided that on the share or shares of family pension payable to such a child or children or to a widow ceasing to be payable, such share or shares, shall not lapse, but shall be payable to the other widow or widows and/or to the other child or children otherwise eligible, in equal shares, or if there is only one widow or child, in full, to such widow or child."

(m) In regulation 41, -

(a) in sub-regulation (4), for the Notes, the following shall be substituted, namely :-

"**Note.** –

The Table above indicates the commuted value of pension expressed as number of years' purchase with reference to the age of the pensioner as on his next birthday. The commuted value in the case of an employee retiring at the age of fifty eight years is 10.46 years' purchase and, therefore, if he commutes rupees one hundred from his pension within one year of retirement, the lump sum amount payable to him works out to Rs.100 x 10 46 x 12 = Rs.12,552." ;

(b) after the Note as inserted above, the following sub-regulations shall be inserted namely:-

(5) An employee who had commuted the admissible portion of pension is entitled to have the commuted portion of the pension restored after the expiry of a period of fifteen years from the date of commutation.

(6) An applicant who is authorized a superannuation pension, voluntary retirement pension, premature retirement pension, compulsory retirement pension, invalid pension or compassionate allowance shall be eligible to commute a fraction of his pension under these regulations.

(7) In the case of a pensioner eligible for superannuation pension or pension on voluntary retirement or premature retirement pension, no medical examination shall be necessary, if the application for commutation is made within one year from the date of retirement. However, if such a pensioner applies for commutation of pension after one year from the date of his retirement, the same will be permitted subject to medical examination:

Provided that in the case of an applicant who is in receipt of a provisional pension as in Regulation 46 and for whom pension in whole or in part on the finalisation of the departmental or judicial proceedings has been authorised, the period of one year referred to in this sub-regulation shall reckon from the date of issue of the orders consequent upon the finalisation of the departmental or judicial proceedings.

(8) An applicant who –

(i) retires on invalid pension under regulation 30 of these regulations; or

(ii) is in receipt of compassionate allowance under regulation 31 of these regulations; or

(iii) is compulsorily retired by the bank and is eligible for compulsory retirement pension under regulation 33

shall be eligible to commute a fraction of his pension subject to the limit specified in sub-regulation (1) after he has been declared fit by a medical officer approved by the Bank.

(9) The commutation of pension shall become absolute in the case of an employee-

(a) retiring on superannuation or voluntary retirement who submits an application for commutation of pension before the date of retirement, on the date following the date of retirement :

Provided that the employee governed by sub-regulation (3) of regulation 29 shall not apply for commutation of a part of the pension before the expiry of the notice of three months and the commutation of pension shall become absolute only on the expiry of the period of notice referred to in sub-regulation (3) of regulation 29;

(b) retiring on superannuation or on voluntary retirement or on premature retirement, if he applies for commutation of pension after the date of retirement but before the completion of one year from the date of retirement, on the date the application for commutation is received by the Competent Authority;

(c) retiring on superannnuation or on voluntary retirement or on premature retirement, if he applies for commutation of pension after one year from the date of retirement, on the date of the medical certificate given by a medical officer approved by the Bank;

(d) who has retired prior to the 1st day of November, 1993 and who opts to be governed by these regulations, on the 1st day of November, 1993, where the application for commutation is made within the period specified by clause (b) of sub-regulation (2) of regulation 3;

(e) who was in the service of the Bank on or after the 1st day of November, 1993 but who retired prior to the publication of these regulations on the day immediately following the date of his retirement, where the application is made within the period specified by clause (b) of sub-regulation (2) of regulation 3;

(f) who retired on or after the 1st day November, 1993 but died prior to the notified date, on the day immediately following the date of his retirement, where the application for commutation is made by the family of the deceased within the period specified by clause (a) of sub-regulation (5) of regulation 3;

(g) in respect of whom invalid pension under regulation 30 or compassionate allowance under regulation 31 or compulsory retirement pension under regulation 33 is admissible, commutation shall become absolute on the date of the medical certificate given by a medical officer approved by the Bank."

(n) for Regulation 48, the following regulation shall be substituted,

"48. Recovery of Pecuniary loss caused to the Bank –

(1) The Competent Authority may withhold or withdraw a pension or a part thereof, whether permanently or for a specified period, and order recovery from pension of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Bank if in any departmental or judicial proceedings the pensioner is found guilty of grave misconduct or negligence or criminal breach of trust or forgery or acts done fraudulently during the period of his service:

Provided that the Board shall be consulted before any final orders are passed.

Provided further that departmental proceedings , if instituted while the employee was in service, shall , after the retirement of the employee, be deemed to be proceedings under these regulations and shall be continued and concluded by the authority by which they were commenced in the same manner as if the employee had continued in service.

(2) No departmental proceedings, if not instituted while the employee was in service, shall be instituted in respect of an event which took place more than four years before such institution:

Provided that the disciplinary proceedings so instituted shall be in accordance with the procedure applicable to disciplinary proceedings in relation to the employee during the period of his service.

(3) Where the Competent Authority orders recovery of pecuniary loss from the pension, the recovery shall not ordinarily be made at a rate exceeding one-third of the pension admissible on the date of retirement of the employee :

Provided that where a part of pension is withtheld or withdrawn, the amount of pension drawn by a pensioner shall not be less than the minimum pension payable under these regulations."

(o) for Appendix-I the following appendix shall be substituted, namely :-.

Appendix - I

(See Regulation 35)

1. The formula for updating basic pension and additional pension in respect of employees who retired during the period 1.1.1986 to 31.10.1987 shall be as under :-

(1)	A. (a) 50 per cent of first Rs.1000 of the average emoluments reckonable for pension.	Rs._____
	(b) 45 per cent. of next Rs.500	Rs._____
	(c) 40 per cent. of the average emoluments reckonable for pension exceeding Rs.1500	Rs._____
	Total of (a+b+c)	Rs._____ (A)

B. 50 per cent. of the average monthly emoluments for the last 10 months in service prior to retirement — Rs._____ (B)

C. Dearness Relief at index number 600 in the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100, on basic pension calculated at (A) above, as per Table given below. — Rs._____ (C)

D. Total basic pension = (B)+(C) x $\frac{\text{Number of years of qualifying service (Maximum 33 years)}}{33}$ — Rs._____ (D)

E. Basic pension as on 1.11.1993 (Rounded off to the next higher rupee) — Rs._____ (E)

(2) Special allowances to the extent of the amount ranking for making contributions to the Provident Fund in terms of the Bipartite Settlement dated 10th April, 1989 or Officers' Service Regulations, as the case may be, corresponding to the special allowances drawn at the time of retirement shall be reckoned for the purpose of additional pension.

TABLE

Rates of dearness relief worked out at index number 600 in the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100 for all classes of employees who retired during the period 1.1.1986 to 31.10.1987 :

(a)	Employees in subordinate staff cadre	80.40 per cent of pension calculated at A above
(b)	Employees in clerical staff cadre drawing pension upto Rs.756/- per month.	67 per cent of pension calculated at A above

(c) Employees in clerical staff cadre drawing pension of Rs.757/- per month and above will be eligible for dearness relief as under :-

Amount of basic pension drawn per month Rs.	The amount of dearness relief admissible Rs.
757 - 796	508.00
797 - 804	534.00
805 - 824	540.00
825 - 844	553.00
845 - 864	567.00
865 - 884	580.00
885 - 904	593.00
905 - 924	607 00
925 - 944	620.00
945 - 964	634.00
965 - 984	647.00
985 - 1004	660.00
1005 - 1024	674.00
1025 - 1044	687.00
1045 - 1064	701.00
1065 - 1084	714.00
1085 & above	727.00

(d) Employees in officer cadre shall be eligible for dearness relief as under:

(i)	For those drawing basic pension upto Rs.765/- per month	66 per cent of the amount of pension calculated at A above subject to a maximum of Rs.500
(ii)	For those drawing basic pension from Rs.766/ to Rs.1165/- per month,	Rs.500
(iii)	For those drawing basic Pension of Rs.1166/ per month or above;	42.90 per cent of amount of pension calculated as at A above subject to a maximum of Rs.715

2. The formula for updating basic pension in respect of workmen who have retired on or after the 1st day of November, 1992 but before the 1st day of September, 1993 and in respect of officers who have retired on or after the 1st day of July, 1993 but before the 1st day of May, 1994 shall be as under :-

(1)	Total of pay drawn as per the old scales for the month/s during the last 10 months of qualifying service.	Rs.
(2)	Total of dearness allowance actually drawn or dearness allowance at 1148 points, whichever is less, for each month of pay calculated at (1) above	Rs

(3)	Total of pay drawn as per (1) above plus total of dearness allowance drawn as per (2) above	Rs.
(4)	Total of pay drawn as per revised scales of pay for the month/s during the last 10 months of qualifying service including the month in which the employee retired	Rs.
(5)	Total of columns (3) and (4)	Rs.
(6)	Average emoluments for the purpose of pension i.e. $\frac{\text{Total as per (5) above}}{10}$	Rs.
(7)	Updated basic pension 50% of (6) above x $\frac{\text{Number of years of qualifying service (Max. 33 years)}}{33}$	Rs.
(8)	Basic Pension (Rounded off to next higher rupee)	Rs.

3. In respect of workmen who have retired on or after the 1st day of November, 1992 but before the 1st day of November, 1994 and in respect of officers who have retired on or after the 1st day of July, 1993 but before the 1st day of November, 1994 the amount of special allowances in terms of Bipartite Settlement dated 14th February, 1995 or the Officers' Service Regulations, as he case may be, corresponding to the special allowances actually drawn at the time of retirement shall be reckoned for the purpose of computation of additional pension. w.e.f. 1st November, 1994.

Provided that for the period from 1st day of November, 1992 or from the date of retirement, whichever is later, till the 31st day of October, 1994 the amount ranking for provident fund at pre-revised rates shall be reckoned for the purpose of computation of additional pension.

4. In respect of employees who have retired on or after the 1st day of November, 1994 and have drawn special allowance both at the pre-revised and revised rates during the last 10 months of service before retirement, the amount of special allowance in terms of the Bipartite Settlement dated 14th February, 1995 or the Officers' Service Regulations, as the case may be, corresponding to the pre-revised special allowance actually drawn at the time of retirement shall be reckoned for the purpose of computation of additional pension.

Note

The amount of revised special allowance drawn on or after the 1st day of November, 1994 shall be reckoned for computation of basic pension.

5. In respect of subordinate staff who have retired on or after the 1st day of November, 1992 and have drawn pre-revised special allowance as also those who have retired on or after the 1st day of November, 1994 and have drawn special allowance both at the pre-revised and revised rates during the last ten months of service before retirement, the amount of special allowance actually drawn at the pre-revised rates shall be reckoned for the purpose of computation of basic pension and shall draw dearness relief at the rates for every rise or fall of 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960 = 100.

(p) for Appendix II the following appendix shall be substituted namely:-

Appendix II

(See regulation 37)

Dearness relief on basic pension shall be as under :-

(1) In the case of employees who were in the workmen cadre and who retired on or after 1st day of January, 1986, but before the 1st day of November, 1992; and in the case of employees who were in the officers' cadre and who retired on or after 1st day of January, 1986, but before the 1st day of July, 1993, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960 = 100. Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below:-

Scale of basic pension per month		The rate of dearness relief as a percentage of basic pension
	(1)	(2)
(i)	Upto Rs.1250	0.67 per cent
(ii)	Rs.1251 to Rs.2000	0.67 per cent of Rs.1250 plus 0.55 per cent of basic pension in excess of Rs.1250.
(iii)	Rs.2001 to Rs.2130	0.67 per cent. of Rs.1250 plus 0.55 per cent of the difference between Rs.2000 and Rs.1250 plus 0.33 per cent of basic pension of Rs.2000.

iv)	above Rs.2130	0.67 per cent. of Rs.1250 plus 0.55 per cent. of the difference between Rs.2000 and Rs.1250 plus 0.33 per cent. of the difference between Rs.2130 and Rs.2000 plus 0.17 percent of basic pension in excess of Rs.2130.

(2) In the case of employees who are in workmen cadre and who retire on or after 1st day of November, 1992; and in the case of employees who are in the officers' cadre and who retire on or after 1st day of July, 1993, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 1148 points in the quarterly average of All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960 = 100. Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below :-

Scale of basic pension per month		The rate of dearness relief as a percentage of basic pension
	(1)	(2)
(i)	Upto Rs.2400	0.35 per cent
(ii)	Rs.2401 to Rs.3850	0.35 per cent of Rs.2400 plus 0.29 per cent of basic pension in excess of Rs.2400.
(iii)	Rs.3851 to Rs.4100	0.35 per cent of Rs.2400 plus 0.29 per cent of the difference between Rs 3850 and Rs.2400 plus 0.17 per cent of basic pension in excess of Rs.3850.

(iv)	above Rs.4100	0.35 per cent of Rs.2400 plus 0.29 per cent of the difference between Rs.3850 and Rs.2400 plus 0.17 per cent of the difference between Rs.4100 and Rs.3850 plus 0.09 per cent of basic pension in excess of Rs.4100.

(3) In the case of employees who retire on or after the 1st day of April, 1998, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 1616 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below :-

Scale of basic pension per month		The rate of dearness relief as a percentage of basic pension
(i)	Upto Rs.3380	0.25 per cent
(ii)	Rs.3381 to Rs.5420	0.25 per cent of Rs.3380 plus 0.21 per cent basic pension in excess of RS.3380
(iii)	Rs.5421 to Rs.5770	0.25 per cent of Rs.3380 plus 0.21 per cent of the difference between Rs.5420 Rs.3380 plus 0.12 per cent of basic pension in excess of Rs.5420

(iv)	Above Rs.5770	0.25 per cent of Rs.3380 plus 0.21 per cent of the difference between Rs.5420 & Rs.3380 plus 0.12 per cent of the difference between Rs.5770 & Rs.5420 plus 0.06 percent of basic pension in excess of Rs.5770.

(4) Dearness relief shall be payable for the half year commencing from the 1st day of February and ending with 31st day of July on the quarterly average of the index figures published for the months of October, November and December of the previous year and for the half year commencing from the 1st day of August and ending with the 31st day of January on the quarterly average of the index figures published for the months of April, May and June of the same year.

(5) In the case of family pension, invalid pension and compassionate allowance, dearness relief shall be payable in accordance with the rates mentioned above.

(6) Dearness relief will be allowed on full basic pension even after commutation.

(7) Dearness relief is not payable on additional pension.

(8) Pensioner whose basic pension is less than minimum pension but the aggregate of basic pension and additional pension is more than the minimum pension shall draw dearness relief as applicable to minimum pension.

(q) for Appendix III, the following appendix shall be substituted namely :-

Appendix III

(See Regulation 39)

The ordinary rates of family pension shall be as under :-

(a) In respect of employees other than part-time employees, where the employee was in the workmen cadre and retired before 1.11.1992 or where the employee was in the officers' cadre and retired before 1.7.1993

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly Family pension (2)
Upto Rs.1500	30 per cent of the 'Pay' shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.375 per month.
Rs.1501 to Rs.3000	20 per cent of the 'Pay' shall be the basic family pension plus 20 percent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.450 per month.

Above Rs.3000	15 percent of the 'Pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.600 per month and not more than Rs.1250 per month.

(b) In respect of employees other than part-time employees, where the employee was in the workmen cadre and retired on or after 1.11.1992 or where the employee was in the officers' cadre and retired on or after 1.7.1993.

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly Family Pension (2)
Upto Rs.2870	30 per cent of the 'Pay' shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.720 per month.
Rs.2871 to Rs.5740	20 per cent of the 'Pay shall be the basic family pension plus 20 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.860 per month.

Above Rs.5740	15 per cent of the 'Pay' shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.1150 per month and a maximum of Rs.2400 per month.

(c) In respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after 1.4.1998 :-

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly Family Pension (2)
Upto Rs.4040	30 per cent of the 'Pay' shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.1015 per month.
Rs.4040 to Rs.8080	20 per cent of the 'Pay' shall be the basic family pension plus 20 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.1212 per month.

Above Rs.8080	15 per cent of the 'Pay' shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.1616 per month and a more than Rs.3378 per month.

Notes :

(1) Dearness relief is not payable on additional family pension.

(2) Scale of pay for the purpose of calculation of family pension as above shall be the aggregate of 'Pay' as defined in sub-clause (s) of regulation 2 and "allowances" as defined in the explanation to sub-regulation (3) of regulation 35.

(3) In the case of a part-time employee, the minimum amount of family pension and maximum amount of family pension shall be in proportion to the rate of scale wages drawn by the employee.

(4) In case the aggregate of basic family pension and additional family pension falls short of minimum pension the pensioner may be given minimum family pension and dearness relief may be paid on such minimum family pension. However, no additional family pension shall be payable over and above the minimum family pension.

(r) for Appendix IV the following Appendix shall be substituted, namely:-

Appendix - IV

(See regulation 27)

Actual service on scale wages rendered on permanent part-time basis in one week	Length of corresponding qualifying service for each year of service rendered on permanent part-time basis for calculating the amount of pension
(1)	(2)
six hours or more but upto 13 hours;	one third of a year
more than 13 hours upto 19 hours;	one half of a year
more than 19 hours but upto 29 hours;	three fourth of a year
more than 29 hours;	one year

(s) after Appendix IV, the following Appendix shall be inserted, namely:-

Appendix V

(See Regulation 39)

The formula for computing basic family pension and additional family pension in respect of employees who were in the service of the Bank on or after the 1st day of January, 1986 and had died while in service on or before the 31st day of October, 1987 or had retired on or before the 31st day of October, 1987 but died shall be as under :-

(1) Basic Family Pension

(A) Pay drawn by the deceased employee at the time of death/retirement — Rs.

(B) Basic family pension at the ordinary rate as per Table given below — Rs.

(C) Dearness Relief at index 600 in the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960 = 100 as per Table I given in Appendix - I on basic family pension calculated at (B) above. — Rs.

(D) Updated basic family pension i.e.(B) + (C) — Rs.

(E) Updated basic family pension as per (D) above (rounded off to next higher rupee). — Rs.

(F) Basic family pension at one and half times or twice the updated basic family pension as the case may be of (D) above (rounded off to next higher rupee)

(2) Additional Family Pension

Special allowance to the extent of the amount ranking for making contributions to the Provident Fund in terms of the Bipartite Settlement dated 10.4.1989/Officers' Service Regulations corresponding to the special allowance drawn before retirement/death shall be reckoned for the purpose of additional family pension.

Note :-

(1) Dearness relief is not payable on additional family pension.

(2) In case the aggregate of updated basic family pension and updated additional family pension falls short of Rs.375, the pensioner may be paid Rs.375/- with dearness relief thereon in which case no updated additional family pension shall be payable.

Table

Pay Range	Amount of Family Pension
Below Rs.664/-	30 per cent of 'pay' shall be the basic family pension plus 30 per cent of the allowances which counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension with a minimum of Rs.100/- and maximum of Rs.166/-.
Rs.664/- and above but below Rs.1992/-	15 per cent of 'pay' shall be the basic family pension plus 15 per cent of the allowances which counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension with a minimum of Rs.166/- and maximum of Rs.266/-.

Rs.1992/- and above	12 per cent of 'pay' shall be the basic family pension plus 12 per cent of the allowances which counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension with a minimum of Rs.266/- and maximum of Rs.415/-.

(T.M. BHASIN)
DY. GENERAL MANAGER (PER.)

Foot Note:

The Principal Regulations were notified in the Gazette of India (Extraordinary) on 29.09.1995 and subsequent amendments to the above Oriental Bank of Commerce (Employees') Pension Regulations, 1995 were published in the Gazette as per details given below :-

Sl.No.	Notification No.	Dated
1.	3923	17.04.1999
2.	3937	26.01.2002

❖❖❖❖❖❖❖

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi : Dated : 20.3.2002

No.U-16/53/PTMR/Karntaka/99-Med.II:- In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI(General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorise the following Doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by Regional Dy.Medical Commissioner(SZ), Bangalore for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

Name of the Doctor	Period	Name of Centre
Dr. M. Vijay	From date of joining	Mysore

S Singh

(DR.(MRS.)S. SINGH)
MEDICAL COMMISSIONER.

New Delhi : Dated: 27-3-02

No. U-16/53/1/99-Med.II(Guj.):- In pursuance of the resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25.4.51 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI(General) regulation ,1950 and such powers having further delegated to me vide Director General's Order no. 1024(G) dated 23.5.83, I hereby authorise Dr.(Mrs.) K.S. Rajam, PTMR, Baroda Centre as Medical Authority for the period of one year at a monthly remunearation in accordance with the norms w.e.f. the date she resumes charges or till a full time Medical Referee, join whichever is earlier, and areas to be allocated by Regional Dy.Medical Commissioner(NWZ) for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

(DR.(MRS.)S. SINGH)
MEDICAL COMMISSIONER.

NEW DELHI dated the

17.4.2002

No. N-15/13/6/2/2001-P&D : In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance(General)Regulations,1950, the Director General has fixed the 1st April,2002 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance(Medical Benefit) Rules, 19 57, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely

"Kumbalam Revenue Village in Kanayannur Taluk in Ernakulam District."

(R.C.SHARMA)
JOINT DIRECTOR(P&D)

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(HEAD OFFICE)
HUDCO VISHALA, 14, BHIKAJI CAMA PLACE, NEW DELHI-66.

2/1952/DLI/Exem./89/Pt.1/907

S.O..... Whereas M/s. Sounararaja Mills Ltd., Medungadu, Karaikal having code No. TN/PC/66 has been granted extension under Section 17(2A) of the EPF & MP Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the employer renewed the master policy upto 1.12.2000 and reverted back to implementing statutory E.D.L.I. Scheme.

In view of the above, I C.P.F.C. cancel the above siad exemption w.e.f. 30.11.2000.

(TRILOK CHAND)
Regional Provident Fund Commissioner

2/1959/DLI/Exem./89/Pt.1/909

S.O.....Whereas M/s. J& H Digisys Pvt. Ltd., 14,Kamraj Avenue Ist Street, Adyar, Chennai-600020, having code No. TN/26784 has been granted exemption under Section 17(2A) of the EPF & MP Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the employer renewed the master policy upto 30.10.2001 and reverted back to implementing statutory E.D.L.I. Scheme.

In view of the above, Central Provident Fund Commissioner cancel the above said exemption w.e.f. 30.9.2000.

(TRILOK CHAND)
Regional Provident Fund Commissioner.

2/1959/DLI/Exem./89/Pt./1/911

S.O.....whereas M/s. Royapettah Benefit Fund Nidhi Ltd., Gokhale Bhawan, No.8, West Cott Road, Royapettah, Chennai-600014 Code No. TN/23842 has been granted extension/exemption under Section 17(2A) of the EPF & MP Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the employer renewed the mater policy upto 23.6.2000 and reverted back to implementing statutory E.D.L.I. Scheme.

In view of the above, Central Provident Fund Commissioner cancel the above siad exemption w.e.f. 31.3.2000.

(TRILOK CHAND)
Regional Provident Fund Commissioner.

2/1959/DLI/Exem./89/Pt./1/913

S.O.....Whereas M/s. Indigo Technologies (I) Pvt. Ltd., Chennai, Code No. TN/36392 has been granted exemption under Section 17(2A) of the EPF & MP Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the employer renewed the master policy upto 1.8.99 and reverted back to implementing statutory E.D.L.I. Scheme.

In view of the above, C.P.F.C. cancel the above said exemption w.e.f. 1.7.99.

(TRILOK CHAND)
Regional Provident Fund Commissioner

National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)
Southern Regional Committee

F.KL/HIN/SRO/NCTE/2000-2001/ 6990 Date: 12/07/01

ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14(3)(a) of the National Council For Teacher Education (NCTE) Act, 1993, the Southern Regional Committee grants recognition to **Dakshin Bharath Hindi Prachar Sabha B.Ed., College, Nileshwaram, Kasargod-671 314, Kerala** for **B.Ed.,** course of One year duration from the academic session **2001-2002** with an annual intake of **60**, subject to fulfilling the following conditions:

1. All such teachers already appointed who do not fulfil the NCTE norms shall acquire the qualifications as per the norms before the completion of the academic year 2001-2002.

2. The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per the NCTE norms.

3. The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the affiliating University / State Government as the case may be.

4. Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the affiliating University / State Government as the case may be till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.

5. Curriculum transaction, including practical work / activities, should be organised as per the norms and standards for the course and the requirements of the affiliating University / examining body as the case may be.

6. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.

7. The institution, if unaided, shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms.

8. **The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The performance appraisal report should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated above.**

If **Dakshin Bharath Hindi Prachar Sabha B.Ed., College, Nileshwaram, Kasargod-671 314, Kerala** contravenes the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfill the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By order

12/7/01

(M.Vasudev)
Regional Director

F.PON/B.Ed./New/04/SRO/NCTE/2001-2002/ 7048 Date: 18/7/01

ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14(3)(a) of the National Council For Teacher Education (NCTE) Act, 1993, the Southern Regional Committee grants recognition to **Immaculate College of Education for Women, Pakkamudayanpet, Pondicherry-605008** for **B.Ed. Course** of One year duration from the academic session **2001-2002** with an intake of **120** (including 60 additional intake from 2001-2002) subject to fulfilling the following conditions:

1. All such teachers already appointed who do not fulfill the NCTE norms shall acquire the qualifications as per the norms before the completion of the academic year 2001-2002.

2. The institution shall ensure teaching staff and other supporting staff possessing the qualifications as laid down in NCTE norms and in the salary structure prescribed by the UGC/ Central Government /State Government as the case may be.

3. Teacher Pupil ratio is to be maintained as per NCTE norms

4. The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per NCTE norms.

5. Admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the affiliating University / State Government.

6. Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the affiliating University / State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.

7. Curriculum transaction, including practical work / activities, should be organised as per the norms and standards for the course and the requirements of the affiliating University / examining body.

8. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.

9. The institution, if unaided, shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms.

10. **The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The performance appraisal report should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated above.**

If **Immaculate College of Education for Women, Pakkamudayanpet, Pondicherry-605008** contravenes the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfill the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By order

17/7/02

(M.Vasudev)
Regional Director

F PON/New/ELE/04/SRO/NCTE/2001-2002/ 7049 Date: 19/1/01

ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14(3)(a) of the National Council For Teacher Education (NCTE) Act, 1993, the Southern Regional Committee grants recognition to **Immaculate Teacher Training Institute, Pellaicheruvasal, Karaikal, Nerugaru-609 630, Karaikal District, Pondicherry** for **Elementary course** of two years duration from the academic session **2001-2002** with an annual intake of **100** (including 50 additional intake from 2001-2002) subject to fulfilling the following conditions:

1. All such teachers already who do not fulfill the NCTE norms shall acquire the qualifications as per the norms before the completion of the academic year 2001-2002.

2. The institution shall ensure teaching staff and other supporting staff possessing the qualifications as laid down in NCTE norms and in the salary structure prescribed by the State/Central Government as the case may be.

3. Teacher pupil ratio is to be maintained as per NCTE norms.

4. The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per NCTE norms.

5. The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the State Government as the case may be.

6. Tuition fee and fees will be charged from the students as per the norms of the State Government as the case may be till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.

7. Curriculum transaction, including practical work/activities should be organised as per the norms and standards for the course and the requirements of the examining body as the case may be.

8. Teaching days including practice teaching should not be less than [illegible] NCTE norms for the course.

9. The institution, if unaided shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms.

10. The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The performance appraisal report should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated above.

If **Immaculate Teacher Training Institute, Pillatheruvasal, Nedungadu-609603, Karaikal District, Pondicherry** contravenes the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfill the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By order

17/7/01

(M.Vasudev)
Regional Director

F.TN/SEC/SRO/NCTE/2001-2002/ 7235 Date: 26/5/01

ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14(3)(a) of the National Council For Teacher Education (NCTE) Act, 1993, the Southern Regional Committee grants recognition to **Dr. Sivanthi Aditanar M.P.Ed College of Education, Tiruchendur, - 628 215, VOC District, Tamilnadu** for **M.P.Ed Course** of **two years** duration from the academic session **2001-2002** with an intake of **40** subject to fulfilling the following conditions:

1. All such teachers already appointed who do not fulfil the NCTE norms shall acquire the qualifications as per the norms before the completion of the academic year 2001-2002.

2. Teacher-pupil ratio is to be maintained as per para 2.1 of NCTE norms.

3. Lab Assistant should be appointed as per NCTE norms.

4. The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per NCTE norms.

5. Admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the affiliating University / State Government.

6. Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the affiliating University / State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.

7. Curriculum transaction, including practical work / activities, should be organised as per the norms and standards for the course and the requirements of the affiliating University / examining body.

8. *Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.

9. The institution, if unaided, shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms.

10. **The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The performance appraisal report should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated above.**

If **Dr. Sivanthi Aditanar M.P.Ed College of Education, Tiruchendur - 628 215, VOC District, Tamilnadu** contravenes the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfill the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By order

23/7/01

(M.Vasudev)
Regional Director

F.KR/ELE/43/SRO/NCTE/2000-2001/9970 Date: 7-9-2001

ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14(3)(a) of the National Council For Teacher Education (NCTE) Act, 1993, the Southern Regional Committee grants recognition to **Suvarna Teacher Training Institute, P.B.No.4, Oorgaum-563210, K.G.F., Kolar District, Karnataka** for **Elementary course** of two years duration from the academic session **2001-2002** with an annual intake of **60**, subject to fulfilling the following conditions:

1. All such teachers already appointed who do not fulfil the NCTE norms shall acquire the qualifications as per the norms before commencement of academic session 2002-2003.
2. The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per the NCTE norms.
3. The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the State Government.
4. Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.
5. Curriculum transaction, including practical work / activities, should be organised as per the norms and standards for the course and the requirements of the examining body.
6. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.
7. The institution shall maintain endowment and reserve funds as per NCTE norms.

8. The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The performance appraisal report should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated above.

If **Suvarna Teacher Training Institute, P.B.No.4, Oorgaum-563210, K.G.F., Kolar District, Karnataka** contravenes the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfill the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By order

07/9/07

(M.Vasudev)
Regional Director

F.KR/ELE/119/SRO/NCTE/2000-2001/ 7777 Date: 7-9-2001

ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14(3)(a) of the National Council For Teacher Education (NCTE) Act, 1993, the Southern Regional Committee grants recognition to **Government Teacher Training Institute, Malavalli-571430, Mandya District, Karnataka** for **Elementary course** of two years duration from the academic session **2001-2002** with an annual intake of **41**, subject to fulfilling the following conditions:

1. All such teachers already appointed who do not fulfil the NCTE norms shall acquire the qualifications as per the norms before commencement of academic session 2002-2003.

2. The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per the NCTE norms.

3. The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the State Government.

4. Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.

5. Curriculum transaction, including practical work / activities, should be organised as per the norms and standards for the course and the requirements of the examining body.

6. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.

7. The institution shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms.

8. **The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The performance appraisal report should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated above.**

If **Government Teacher Training Institute, Malavalli-571430, Mandya District, Karnataka** contravenes the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfill the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By order

(M.Vasudev)
Regional Director

F.KR/E.E/38/SRO/NCTE/2000-2001/ 7777 2 Date: 7 - 9 - 2001

ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14(3)(a) of the National Council For Teacher Education (NCTE) Act, 1993, the Southern Regional Committee grants recognition to **Shreyas Teacher Training Institute, Srinivasapura-563135, Kolar District, Karnataka** for **Elementary course** of two years duration from the academic session **2001-2002** with an annual intake of **90**, subject to fulfilling the following conditions:

1. All such teachers already appointed who do not fulfil the NCTE norms shall acquire the qualifications as per the norms before commencement of academic session 2002-2003.

2. The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per the NCTE norms.

3. The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the State Government.

4 Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.

5. Curriculum transaction, including practical work / activities, should be organised as per the norms and standards for the course and the requirements of the examining body.

6. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.

7 The institution shall maintain endowment and reserve funds as per NCTE norms.

8. The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The performance appraisal report should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated above.

If **Shreyas Teacher Training Institute, Srinivisapura-563135, Kolar District, Karnataka** contravenes the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfill the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By order

(M.Vasudev)
Regional Director

F.KR/CPED/42/SRO/NCTE/2000-2001/ ७७७५ Date: ५-९-२००१

ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14(3)(a) of the National Council For Teacher Education (NCTE) Act, 1993, the Southern Regional Committee grants recognition to **S.V.V.Sangha's College of Physical Education, Dhawalagi-586116, Bijapur District, Karnataka** for **C.P.Ed. course** of one year duration from the academic session **2001-2002** with an annual intake of **40**, subject to fulfilling the following conditions:

1. **The recognition accorded is subject to the condition that the certificate given by the State of Karnataka will be valid for employment within Karnataka only and that the duration and admission criteria are those that exist in the State of Karnataka prior to the promulgation of the NCTE Act. The institution is permitted to conduct the course of one year duration upto 2005 only. Thereafter the course has to be switched over to two years as per NCTE norms.**

2. The institution should maintain the minimum core staff of five qualified teachers and Principal as per NCTE norms.

3. All such teachers already appointed who do not fulfil the NCTE norms shall acquire the qualifications as per the norms before commencement of academic session 2002-2003.

4. The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per the NCTE norms.

5. The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the State Government.

6. Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.

7. Curriculum transaction, including practical work / activities, should be organised as per the norms and standards for the course and the requirements of the examining body.

8. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.

9. The institution, if unaided, shall maintain endowment and reserve fund as per norms.

10. The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the State Government as stated above and NCTE norms wherever applicable and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The performance appraisal report should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated above.

If **S.V.V.Sangha's College of Physical Education, Dhawalagi-586116, Bijapur District, Karnataka** contravenes the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfill the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By order

07/9/01

(M.Vasudev)
Regional Director

F.KR/ELE/59/SRO/NCTE/2000-2001/ 7797 Date: 10/9/01

ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14(3)(a) of the National Council For Teacher Education (NCTE) Act, 1993, the Southern Regional Committee grants recognition to **Marathi Teacher Training Institute, Vaccine Institute Road, Near 2nd Railway Gate, Tilakwadi, Belgaum-590006, Karnataka** for **Elementary course** of two years duration from the academic session **2001-2002** with an annual intake of **60**, subject to fulfilling the following conditions:

1. All such teachers already appointed who do not fulfil the NCTE norms shall acquire the qualifications as per the norms before commencement of academic session 2002-2003.

2. The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per the NCTE norms.

3. The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the State Government.

4. Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.

5. Curriculum transaction, including practical work / activities, should be organised as per the norms and standards for the course and the requirements of the examining body.

6. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.

7. The institution shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms.

8. **The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The performance appraisal report should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated above.**

If **Marathi Teacher Training Institute, Vaccine Institute Road, Near 2nd Railway Gate, Tilakwadi, Belgaum-590006, Karnataka** contravenes the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfill the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By order

(M.Vasudev)
Regional Director

F.AP/New/D.Ed/07/SRO/NCTE/2000-2001/ 7843 Date: 13/9/01

ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14(3)(a) of the National Council For Teacher Education (NCTE) Act, 1993, the Southern Regional Committee grants recognition to **Maulana Azad National Urdu Unviersity, Plot No.67-68, Brindavan Colony, Tolichowki, Hyderabad-500 008, Andhra Pradesh** for **Elementary (D.Ed.) Course** of Two year duration from the academic session **2001-2002** with an annual intake of **75**, subject to fulfilling the following conditions:

1. The compliance regarding staff as per the NCTE norms should be made before December 2001.

2. The compliance regarding building as per the NCTE norms should be made before December 2001.

3. The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per the NCTE norms.

4. The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the affiliating University / State Government.

5. Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the affiliating University / State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.

6. Curriculum transaction, including practical work / activities, should be organised as per the norms and standards for the course and the requirements of the affiliating University / examining body.

7. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.

8. The institution, if unaided, shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms.

9. **The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The performance appraisal report should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated above.**

If **Maulana Azad National Urdu Unviersity, Plot No.67-68, Brindavan, Colony, Tolichowki, Hyderabad-500 008, Andhra Pradesh** contravenes the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfill the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By order

(M. VASUDEV)
Regional Director

F.AP/B.Ed/New/08/SRO/NCTE/2001-2002/7814-4 Date: 13/09/2001

ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14(3)(a) of the National Council For Teacher Education (NCTE) Act, 1993, the Southern Regional Committee grants recognition to **Dept. of Distance Education, Sri.Padmavathi Mahila Visvavidyalayam, Tirupathi-517502, Andhra Pradesh** for **B.Ed(Distance Education) Course** of One year duration from the academic session **2001-2002** with an annual intake of **500**, subject to fulfilling the following conditions:

1. Two more qualified Professors to be appointed as per NCTE norms.

2. Teacher pupil ratio is to be maintained as per para 2.1 of NCTE norms.

3. All teachers already appointed who do not fulfil the qualification requirement as per NCTE norms should acquire the qualification as per the norms within a period of two years.

4. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course from the academic session 2001-2002 onwards.

5. The institution shall function with **10** faculty members at the nodal Centre in addition to other supporting staff possessing the qualifications as laid down in the NCTE norms and in the salary structure prescribed by the UGC/Central Government/State Government as the case may be.

6. The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per the NCTE norms.

7. The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the affiliating University / State Government.

8. Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the affiliating University / State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.

9. Curriculum transaction, including practical work / activities, should be organised as per the norms and standards for the course and the requirements of the affiliating University / examining body.

10. The institution, if unaided, shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms.

11. **The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The performance appraisal report should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated above.**

12. **The University should prepare its own self instructional material before the commencement of the academic session.**

If **Department of Distance Education, Sri.Padmavathi Mahila Visva-vidyalayam, Tirupathi-517502, Andhra Pradesh** contravenes any of the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfill the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By order,

13/9/01

(M. Vasudev)
Regional Director

F.SRO/NCTE/2001-2002/ Language/ ७१४२० Date : 17-09-2001

ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14(3)(a) of the National Council For Teacher Education(NCTE) Act, 1993, the Southern Regional Committee grants recognition to **Hindi Sikshak Prashikshan Mahavidyalaya, Seethampeta Road, Palakonda-532 440, Srikakulam Dt., Andhra Pradesh** to **Hindi Pandit course** of **One year** duration from the academic session **2001-2002** with an annual intake of **60** students, subject to fulfilling the following conditions :

1. The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per the State Govt. norms.
2. The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the State Government/Examining body.
3. Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.
4. Curriculum transaction, including practical work / activities, should be organised as per the norms and standards for the course and the requirements of the affiliating examining body.
5. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the State Govt. norms for the Language Teacher Training Course.
6. The institution, if unaided, shall maintain endowment and reserve fund as per State Govt. norms.
7. **The institution shall continue to fulfill the norms laid down under the regulations by the State Govt./Examining body and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report. The performance appraisal report should inter alia give the extent of the compliance of the conditions indicated above and should be submitted by 31st December 2001.**

The recognition now accorded is subject to review after the NCTE formulates and prescribes its own norms applicable to the Language Teacher Training Course.

By order,

17/9/02

(M. Vasudev)
Regional Director.

The recognition now accorded is subject to review after the NCTE formulates and prescribes its own norms applicable to the Language Teacher Training Course.

By order,

(M. Vasudev)
Regional Director.

The recognition now accorded is subject to review after the NCTE formulates and prescribes its own norms applicable to the Language Teacher Training Course.

By order,

(M. Vasudev)
Regional Director.

F.AP/TP/SRO/NCTE/2001-2002/ 7889 Date: 18/9/01

ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14(3)(a) of the National Council For Teacher Education (NCTE) Act, 1993, the Southern Regional Committee grants recognition to **S. V. Telugu Pandit's Training College, Suryapet-508 213, Nalgonda Dt., Andhra Pradesh** for **Telugu Pandit Course** of **One year duration** from the academic session **2001-2002** with an annual intake of **50** students, subject to fulfilling the following conditions:

1. The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per the State Govt. norms.

2. The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the State Government/Examining body.

3. Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.

4. Curriculum transaction, including practical work / activities, should be organised as per the norms and standards for the course and the requirements of the affiliating examining body.

5. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the State Govt. norms for the Language Teacher Training Course.

6. The institution, if unaided, shall maintain endowment and reserve fund as per State Govt. norms.

7. **The institution shall continue to fulfill the norms laid down under the regulations by the State Govt./Examining body and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report. The performance appraisal report should inter alia give the extent of the compliance of the conditions indicated above and should be submitted by 31st December 2001.**

The recognition now accorded is subject to review after the NCTE formulates and prescribes its own norms applicable to the Language Teacher Training Course.

By order,

18/5/02

(M.Vasudev)
Regional Director

F.KL/PP/17/SRO/NCTE/2000-2001/ 8042 Date: 27/9/2001

ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14(3)(a) of the National Council For Teacher Education (NCTE) Act, 1993, the Southern Regional Committee grants recognition to **Hais Pre-primary Teacher Training Institute, Alayamon, Kollam - 691320, Kerala** for **Pre-primary course** of one year duration from the academic session **2001-2002** with an annual intake of **30**, subject to fulfilling the following conditions:

1. **The recognition accorded is subject to the condition that the certificate given by the State of Kerala will be valid for employment within Kerala only and that the duration and admission criteria are those laid down by the State of Kerala prior to the promulgation of the NCTE Act. The institution is permitted to conduct the course of one year duration upto 2005 only. Thereafter the course has to be switched over to two year as per NCTE norms.**

2. Reserve fund should be deposited as per para 5.1 of NCTE norms.

3. All such teachers already appointed who do not fulfil the NCTE norms shall acquire the qualifications as per the norms before commencement of the academic session 2002-2003

4. The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per the NCTE norms.

5. The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the State Government.

6. Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.

7 Curriculum transaction, including practical work / activities, should be organised as per the norms and standards for the course and the requirements of the examining body

8. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course

9 The institution, if unaided, shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms

10. **The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The performance appraisal report should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated above.**

If **Hala Pre-primary Teacher Training Institute, Alayamon, Kollam – 691320, Kerala** contravenes the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfill the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By order

27/9/01

(M.Vasudev)
Regional Director

F.KL/PP/New/SRO/NCTE/2000-2001/ 8338 Date: 22/10/01

ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14(3)(a) of the National Council For Teacher Education (NCTE) Act. 1993, the Southern Regional Committee grants recognition to **C.H. Muhammed Koya Memorial Pre-Primary Teacher Training Institute, 4th Floor, Municipal Building, Kuruppam Road Junction, Round South, Trissur – 680001, Kerala,** for **Pre-primary course** of one year duration from the academic session **2001-2002** with an annual intake of **30,** subject to fulfilling the following conditions:

1. The recognition accorded is subject to the condition that the certificate given by the State of Kerala will be valid for employment within Kerala only and that the duration and admission criteria are those that exist in the State of Kerala prior to the promulgation of the NCTE Act. The institution is permitted to conduct the course of one year duration upto 2005 only. Thereafter the course has to be switched over to two years as per NCTE norms.

2. All such teachers already appointed who do not fulfil the NCTE norms shall acquire the qualifications as per the norms before commencement of the academic session 2002-2003.

3. The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per the NCTE norms

4. The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the affiliating University / State Government as the case may be.

5. Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the affiliating University / State Government as the case may be till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.

6. Curriculum transaction including practical work / activities, should be organised as per the norms and standards for the course and the requirements of the affiliating University examining body as the case may be.

7. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.

8 The institution if unaided shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms.

9 The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The performance appraisal report should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated above.

If **C.H. Muhammed Koya Memorial Pre-Primary Teacher Training Institute, 4th Floor, Municipal Building, Kuruppam Road Junction, Round South, Trissur – 680001, Kerala**, contravenes the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfill the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By order

(M.Vasudev)
Regional Director

F.TN/SEC/SRO/NCTE/2001-2002/ 8340 Date: 22/10/01

ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14(3)(a) of the National Council For Teacher Education (NCTE) Act, 1993, the Southern Regional Committee grants recognition to **Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya Maruthi College of Physical Education, Sri Ramakrishna Vidyalaya Post, Coimbatore – 641 020, Tamilnadu** for **M.P.Ed Course** of two year duration from the academic session **2001-2002** with an intake of **25** subject to fulfilling the following conditions:

1. All such teachers already appointed who do not fulfil the NCTE norms shall acquire the qualifications as per the norms before the completion of academic year 2001-2002.

2. Teacher pupil ratio is to be maintained as per NCTE norms.

3. Adequate accommodation for staff room and office room should be provided as per NCTE norms.

4. The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per NCTE norms.

5. Admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the affiliating University / State Government.

6. Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the affiliating University / State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.

7. Curriculum transaction, including practical work / activities, should be organised as per the norms and standards for the course and the requirements of the affiliating University / examining body.

8. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.

9. The institution, if unaided, shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms.

10. The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The performance appraisal report should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated above.

If **Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya Maruthi College of Physical Education, Sri Ramakrishna Vidyalaya Post, Coimbatore - 641 020, Tamilnadu** contravenes the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfill the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By order

22/5/02

(M.Vasudev)
Regional Director

MINISTRY OF DEFENCE

CANTONMENT BOARD CHAKRATA

New Delhi, the 13. April 2002.

S.R.O. 9/3/B/II/ - WHEREAS the Cantonment Board, Chakrata has proposed to levy revised rates of octroi tax at the rates specified in the schedule below ;

AND WHEREAS a public notice inviting objections and suggestions to the proposed revision of rates was published, as required by section 61, read with the section 255 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924);

AND WHEREAS the objections and suggestions received have been duly considered by the said Board in its meeting held on 20th August, 2001;

AND WHEREAS the said Board have decided to revise the rates of octroi tax;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 60 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) and in supersession of the notifications of the Governor-General-in-Council, the Lieutenant-Governor of the United provinces, Part III, Section A –Municipal dated 31st January 1916 on page Nos. 41 to 46 under notification No. 189/XI-24E, the Cantonment Board Chakrata, with the previous sanction of the Central Government, hereby imposes octroi tax on all goods/commodities and animals brought within the limits of Chakrata Cantt. for consumption, use or sale therein at the rates specified against each of them in the Schedule hereto annexed ;

(1) The Octroi Tax shall be charged as specified in the Schedule, as under :-

(a) By weight – On gross weight of goods including packing, drums and other articles used in packing;

Or

(b) On the cost of consignment.

(2) When an articles, not specifically mentioned in the Schedule falls under more than one item mentioned therein, the Octroi tax shall be charged in respect of the item which carries the highest rate of tax among such items.

(3) When a consignment or goods consists of two or more articles chargeable at different rates, such portion of consignment shall be treated as a separate consignment.

(4) Applications for refund of Octroi Tax improperly levied shall not be entertained by the Executive Officer unless presented within one week of the date of the levy in question.

(5) Octroi Tax on ad-valorem basis on any article shall be payable on the all inclusive price paid by the importer for the article including freight paid by them and ascertained at the time of entry into the Chakrata Cantonment. This price shall include excise duty, if any.

If the amount leviable come to 6 paise or above upto 10 paise full ten paise shall be charged.

(6) For the purpose of computing Octroi tax payable on fraction of a hundred Kilograms/liters, the following criteria shall be adopted :-

Upto 5 Kilograms/liters shall be reckoned as 1/20 of 100 Kilograms/liters.

Over 5 Kilograms/liters and upto 10 Kilograms/liters shall be reckoned as 1/10 of 100 Kilograms/liters.

Over 10 Kilograms/liters and upto 20 Kilograms/liters shall be reckoned as 1/5 of 100 Kilograms/liters.

Over 20 Kilograms/liters and upto 25 Kilograms/liters shall be reckoned as ¼ of 100 Kilograms/liters.

Over 25 Kilograms/liters and upto 40 Kilograms/liters shall be reckoned as 2/5 of the 100 Kilograms/liters.

Over 40 Kilograms/liters and upto 50 Kilograms/liters shall be reckoned as ½ of 100 Kilograms/liters.

Over 50 Kilograms/liters and upto 60 Kilograms/liters shall be reckoned as 3/5 of 100 Kilograms/liters.

Over 60 Kilograms/liters and upto 75 Kilograms/liters shall be reckoned as ¾ of 100 Kilograms/liters.

Over 75 Kilograms/liters and upto 100 Kilograms/liters shall be reckoned as one quintal/or one hundred Kilograms/liters.

(7) No Octroi shall be leived on :-

(a) Following articles belonging to the Government.

(i) Equipment and clothing imported by any Officer-in-Command of troops or air force units for the use of their mess and followers.

(ii) The stores, if accompanied, at the time they are brought into the Cantonment limits, by a certificate signed by a competent officer to the effect that they are Government property and do not belong to any departmental or Government contractor or supplier nor are they being imported on behalf of such contractor or supplier and required for office use and the same or any part thereof are not imported for the purpose of being sold.

NOTE –(i) Stores issued on payment to contractors for use shall also constitute "sale" for the purpose of levy of Octroi tax.

(ii) Stores, purchased from/supplied by the contractors, supplier, Sahkari Sanghs etc. on payment, shall not treated as Government property for the purpose of levy of Octroi tax notwithstanding the rates of the supplier/contractor are ex-godown.

(iii) Arms and ammunition imported by Government.

(iv) Articles imported by the Police Department in connection with criminal cases provide that the articles are accompanied by a certificate signed by a police officer not below the rank of a Sub-Inspector.

(v) Articles imported for the purpose of the Government, Air Raid precautions measures, where at the time of import these are accompanied by a certificate to that effect from a Gazetted Officer of the concerned department.

(vi) Printed forms used in the offices of Government and Local authorities if each consignment is accompanied by a certificate from a responsible officer of the concerned department.

(vii) Printed forms and other materials connected with the general elections to the State and Central legislatures and election to local authorities if at the time of import, these are accompanied by certificates signed by a Gazetted Officer of the Department concerned to the effect that the forms and materials are the property of Government.

(viii) Supplies and services of the Joint Enterprises started by the Government of India, for the vaccination of the children against tuberculosis etc. if at the time of import consignments are accompanied by a certificate from a responsible officer of the Joint Enterprise that consignments in question are the property of the said Enterprises.

(ix) Government property accompanying Government servants on tour in connection with their official duties if it is certified to the satisfaction of the customs staff on duty.

(x) Exhibits, films, publicity literature or other equipment (in use) imported for propoganda work for institutional purposes belonging to any department of the Central or State Govt. or to any semi-official concern like University, Red Cross Society, Cantonment Board, Municipality, District Board, subject to the production of a certificate from a responsible official of the

department or institution or agency concerned.

(xi) Coin.

(b) **MISCELLANEOUS ARTICLES.**

(i) stamps, stamp paper and petition paper.

(ii) Head load of cowdung fuel and grass and brush wood.

(iii) Common salt.

(iv) Written examination answer books.

(v) Goods belonging to Ambassadors, High Commissioners, Deputy High Commissioners and other persons holding diplomatic ranks with the Government of India.

(vi) Charkahas of all description.

(vii) Clothes re-imported by Dhobies into the Cantonment after washing.

(viii) Stores consisting of arms, ammunition , uniform or cloth for uniforms, intended for use by the National Cadet Corps, if each consignment of such stores is certified by a responsible officer of the N.C.C. that the stores are belonging to the said core.

(ix) Goods on which Octroi amounts to less than ten paise.

(x) Goods exempted under Octroi Bye-laws.

(xi) Carriages and vehicles of all sorts, including motor cars, bicycles and tricycles.

(xii) Cattle belonging to residents of the Cantonment, going beyond the barrier for grazing purposes and returning within those limits.

(xiii) Goods imported through the post office, except goods which come by the railway agency, the railway receipt being sent by post.

(xiv) Printed books and calendors.

SCHEDULE

Sl. No.	Description of articles.	Per	Rate. Rs.	Ps.
	Class –I Articles of food and drink for Men and animals.			
1.	All grains including wheat, grain, maida, rice and paddy, barley, mandwa, jawar, bajra, flour and dal of all sorts.	Quintal	5.00	
2.	Suji, maida and rawa, kheel, chana bhuna, murmura, chiwra.	"	5.00	
3.	Refined sugar i.e. white of crystal sugar in tins, cane gunny bags, bottles, boxes including sugar cubes.	"	10.00	
4.	Sugar not otherwise specified including gur, shakkar, desi khand.	"	5.00	
5.	Molasses, shira, sugarcane juice.	"	5.00	
6.	Sago.	"	15.00	
7.	Sugarcane.	"		
8.	Vegetable oils/vanaspati ghee (mustered oil and all other oils used as substitute of ghee)		20.00	
9.	Fowls, ducks, hens, cocks, Geese turkey, pigions etc.	Hundred	50.00	

10. Fresh fish, game birds, bacon, hens, meat of all sorts.	Quintal	50.00
11. Betal leaves	Per Doli.	3.00
12. Pototoes, green ginger, arbi, tomatoes, kachalu, Halwa petha, onion, singhara and other fresh vegetables not specified elsewhere.	Cent-advalorem.	2.00
13. Fresh fruits (apples, Khumani, chiloo, mango, unripe, Amrood, Banana, Orange, Mosmi etc.) other than those specified Elsewhere.	"	2.00
14. All kinds of dried fruits and dried vegetables (not specified elsewhere) including mushroom (Khumb, dhingries and gluchies) kishmish, kaju, badam, chilgoja and all kinds of nuts and their kernels except those specified elsewhere in the schedule.	"	3.00
15. Honey, pickle, chutnies, barley (not country) arrowroot, oatmeal flour (not country), all kinds of vinegar, lime and other juices, tinned provisions, fish preserved, bread (double roti, biscuits,) country or otherwise, cheese, khowa, butter, Ghee and cream (fresh or tinned), preserved fruits of every kind including jams and jellies, tinned milk, milk powder (canned, bottled or otherwise), sauseges. Confectionary including missi of all kinds, groceries and sweetmeats, kachuri , namkeens, ilachidana of sugar, groundnut dana, barri, sowains, reoris, potashas, sugar or gur coated grains, desi achar and desi murabba (tinned or otherwise), preparation of good and drink as are not otherwise scheduled	"	3.00
16. Tea of all kinds including tea dust, tea leaves, tea stalks and coffee and coco.	Cent-Advalorem.	3.00
17. Groundnut, walnuts.	"	2.00
18. Grease and fat (churbi)	Quintal.	20.00

19. Eggs.	Hundred	3.00
20. Oil cakes, cotton seed, oil seds and fodder seeds.	Quontal.	3.00
21. Bhusa, bran (Chokar), fodder including green fodder (except on head load).	"	3.00
Class II- Tobacco, alcoholic liquires and other intoxicants.		
22. Tobacco manufactured including tobacco rope.	"	5.00
23. Sigar and cigarettes.	Cent-advalorem.	5.00
24. Zarda, snuff, cented tobacco, pan mashala etc.	"	5.00
25. All kinds of foreign and country liquor including all kinds of intoxicants not specified elsewhere in the schedule.	"	5.00
26. Biri of all kinds.	"	5.00
Class III- Animals for sale or consumption.		
27. Sheep, goats, pigs, kids and other quadrupeds not specified elsewhere.	Head	10.00
Class IV-Commercial heavy chemicals, Medicines, drugs, spices and incenses.		
28. Heavy commercial chemical like sulpher, refined soda, castic soda, potash, Nepthalene balls, acids, bleaching powder, fertilizer, carbonate, including potassium and sodium carbonate, bicarbonate of ammonia, calcium zink, magnesium chloride and soda silicate, disinfectants like phenyle, cresolisol, liquid chlorine, soda ash or washing soda (dhobi soda) etc.	Cent-advalorem.	3.00
29. Crude saltpetro, crude sulphur, sulphur ores and others ores of chemicals not specified elsewhere.	"	3.00

30. All kinds of medicine and drugs including essences, tinctures and other medicinal preparations not otherwise specified. Clarification – All kinds of gas including Cooking gas which are chemicals may be taxed under above items, the cost of cylinders which are returnable should be excluded from assessment.	Cent advalorem.	3.00
31. Unani and Ayurvedic medicines and drugs not otherwise specified including harmal, dhup, agarbati, loban and similar herbs, roots, leaves, flowers and seeds used as incense.	"	3.00
32. All kinds of spices including ajwayan, ginger dried, garlic, asafoetida, pepper black and white, aniseeds, anardana, imli, haldi etc. except those specified elsewhere in the schedule.	"	3.00
33. All kinds of gums including resin etc.	"	3.00
<u>Class V-Textiles and manufactured articles of Dress.</u>		
34. All kinds of cloth and articles made of cloth including rajai and umbrellas, kapas (raw cotton), ginned cotton and surgical cotton, raw wool and animals hair, cotton and woollen yearn or thread whether twised or otherwise, knitting wool, silk yarn or thread and chamki mercerized cotton yarn, silk and artificial silk piece goods, valvets and woollen piece goods, cotton and linen piece goods, including Newar.	"	3.00
35. Harberdashery, drapery, hosiery including furs, boot laces, hats, carpets, blankets and readymade clothes.	"	3.00
36. Munj loose, jute, coir, patha, dib and other fibers and articles made thereof including cotton waste, gunny bags, tats, hessian cloth and articles made thereof.	"	3.00
37. Canvas tents, tarpaulins, book binding, cloth, tracing cloth, tonga and motor head cloth.	"	3.00

38. Condemned and old cloth made of linen, cotton or wool, blankets, tarpaulins, ground sheets, durries, tents, choldaries, canvas bags.	Cent advalorem.	3.00
39. Boots, saddlery and similar condemned military equipment not in good condition and leather scrap.	"	3.00
40. Gold and silver lace, wire and thread, gota, kinari lamia silma sitara (imitation or real).	"	3.00
Class VI- Articles of General Merchandise, Toilets, perfumery and lighting and washing.		
41. Articles of general merchandies.	"	3.00
42. Articles of toilets and perfumery.	"	3.00
43. Articles of lighting and heating (except electric goods) and accessories including lamps, stoves, gaschullas, candle and tourch and tourch cells.	"	3.00
44. Matches.	"	2.00
45. Sajji, soap nut, retha and kishtha and soap stone.	"	2.00
46. Other washing and bathing soap (including Vim and Lux flakes), alum, saltpeter, refined Potash, esom salt, sodium bicarbonate and other salme substance used in washing clothes, floors and utencils.	"	2.00
47. All kinds of coke, charcoal and wood for fuel (except firewood on head load).	Quintal	1.00
Class VII-Scientific Apparatus, Jewellery And instruments of music and amusements.		
48. All kinds of apparatus, instruments and equipment used in photography except in cinematography except in cinematographic films.	Cent-advalorem.	3.00

49. Cinematographic films including VCR, VCP cassettes.	Cent-advalorem	3.00
50. All kinds of scientific, mathematical, optical, surgical and dentisty instruments and equipment including telephone, telegraphic and televisional apparatus and goods including TV,VCR,VCP and spare parts thereof.	"	3.00
51. Jewellery of all kinds of gold, silver, precious stones, imitation jewellery, misc.	"	3.00
52. Watches, watch glasses, watch chains and spare parts thereof including clocks and their parts.	"	3.00
53. Stitching machine, knitting machine etc. and spare parts thereof.	"	3.00
54. All musical instruments including radio sets and their spare parts, transistors and their spare parts and radio and transistors batteries.	"	3.00
Class VIII- Electric goods.		
55. All kinds of electric goods not specified elsewhere in the schedule such as refrigerater, electric fan, coffee plant, heater and iron including their spare parts, wire, plug, bulb, switch, motor holder, shoe, shed, cable both isolated or otherwise, earthern and porcelain, insulater, alternators, rotary, converters control gears and their parts.	"	3.00
56. Electric casing and capping including blocks and gutties.	"	3.00
Class IX- Sports, Games and Toys.		
57. Articles used for sports and games both out-door and in-door and toys of all kinds.	"	3.00

Class X- Stationary and paper.

58. All kinds of stationery such as ink, pen, fountain pen, rubber eraser, bottled gum, pin, tags, laces, paper punch, clip, file, Board, file cover, nib, lead for pencil, pencil, note paper, envelops, rubber or steel stamp, stamp stand, ink pot, blotting paper, slate, takhti, copy book, note book, diary, register, Bahis, forms except those exempted, typewriters, duplicating machines, assessories and other spare parts thereof.	Cent-advalorem.	3.00
59, All kinds of blank paper.	"	3.00
60. Waste paper, paste mill board and articles made thereof.	"	3.00

Class XI-Leather, rubber, canvas and Articles made thereof.

61. Raw hides, skins, fleshings, natural bones and [illegible]	"	3.00
62. Dressed hides and manufactured leather.	"	3.00
63. Saddlery, boots, shoes, leather clothes and other articles made of leather, fur, rubber, cork, canvas and skins of animals fit for use as mats of rugs.	"	3.00
64. All kinds of articles made of rubber including tyres and tubes used in vehicles.	"	3.00
65. Old and unserviceable rubber goods and screp.	"	3.00
66. Rubber solution.	"	3.00

Class XII-Metals and articles made of metal.

67. Metals and articles made of metals including iron, iron sheets, galvanished iron sheets, bars, pipes including G.I. Pipes, girders rails, round iron angles and toes.	"	3.00
68. Iron scrap, iron slag, iron dust and matalic ores not otherwise specified.	"	3.00

69. Sheets, bars of all other metal like brass, copper, bronze, zink, lead, tin and german silver.	Cent-advlorem.	3.00
70. Scrap of all metals other than iron including broken utencils.	"	3.00
71. Wire and wire ropes.	"	3.00
72. Articles made of iron or galvanished iron, hose pipes, pots and pans, bath rubs, buckets, trunks, suit cases etc..	"	3.00
73. Articles and utencils made of metal exclusively or of alloys including Moradabadi and aluminium wares, German silver wares.	"	3.00
Class XIII- Machinery.		
74. All kinds of machinery including agricultural other kinds of machinery not specified elsewhere and the spare parts.	"	3.00
75. Tools and other accessories of all kinds like hammer, sand files, screws, phana, saw, iron nuts, pipes, sand paper, rivets, washers, plass, wrench, nails etc.	"	3.00
Class XIV – Minerals and Lubricanting oils.		
76. Lubrcanting oils.	Quintal	5.00
77. Diesel oil.	"	5.00
78. Crude oil, grees and fuel oil.	"	5.00
79. All other minerals oils not specified above.	"	5.00
Class XV- Articles used for construction Building fitting and furniture.		
(a) Masonary work and equipment.		
80. Sun dried bricks.	Cent-advalorem.	2.00

81. Burnt dried bricks.	Cent- advalorem.	2.00
82. Fire clay, fire bricks, geri, lime, pando earth, multanai mitti or gachni mitti, chalk, ground stone for cement, plaster of paris and articles made thereof, stones not otherwise separately scheduled, cement files, white lime, italit and glazed earthen wares, lume pipe, storeware pipes and articles made of stone not otherwise scheduled, fresh or salt water shells, china clay, modeling clay and pumice stone including crutibles, emery wheels, emery, powder and all kinds of asbest sheets and packing.	"	3.00
83. Slates for roofing.	"	3.00
84. Cement, Hurmachi and ramraj.	"	3.00
85. Kharis mitti, cocke, cinder (Kalikeri) Limenodule (Kankar), Bajri, earthen Piniras, river sand, burnt earth (Lal keri) and Minerals, white and red sand, and rought Stone including rough mill stone.	"	3.00
86. All kinds of unglazed country earthen ware.	"	3.00
87. Blazed tiles for walls and floors.	"	3.00
88. Marble and articles made thereof, marble chips and marble dust.	"	3.00
89. Sanitary fittings whether made of stoneware, porcelain, metal, bricks etc.	"	3.00
(b) Wooden material and equipment.		
90. Wooden sleeper, logs, wooden, planks, timber including bamboo, lathies, Tallies, sirkies and condemned railway sleepers.	"	3.00
91. Sarkanda.	"	3.00

92. Plywood, sheets, window pans, glass sheets of all kinds, chicks of doors and windows and other manufactured articles of wood not otherwise specified.	Cent-advalorem.	3.00
93. Superior furniture like table, chair, side rack, table rack, shoes rack, book self, sofa sets, tea poy, Almirah, wooden tray, wooden box, drawer, Cradle, dressing table, curtain hanger, coat Hanger, picture frames and frame wood etc.	"	3.00
94. Ordinary furniture like charpai, takhatposh, desk, bench, blak Board, stool, wooden articles of kitchen equipment, matting.	"	3.00
95. All kinds of furniture made whooly of cane or other such material like pathas, ropes, munj, matting etc.	"	3.00
96. Cane for seating chairs, khas belting wooden packing cases, baskets.	"	3.00
97. Varnishes, paints, turpentine, glue polish, dry colour, other material used in distempering and except those specified elsewhere.	"	3.00
98. Methylated spirits.	"	3.00
Class XVI - Miscellaneous.		
99. Dyes, colours, including natural indigo, majith, maju, biriasic, polish and sealing wax.	"	3.00
100. Empty bottles, jars of all kinds.	"	3.00
101. Cutlery except otherwise scheduled	"	3.00
102. Crockery and glassware.	"	3.00
103. Desi glass bangles, enamelware and feeding bottles for infants.	"	3.00
104. Rag.	"	3.00
105. Coal tar (not otherwise exempted)	"	3.00

106. Fire arms and arms, fireworks.	Cent-advalorem.	3.00
107. Ammunition, gun powder, blasting powder, fireworks.	"	3.00
108. Circus equipments.	"	500.00 (in lump sum)
109. Other articles which are not specified elsewhere in the schedule.	"	3.00
110. Commodities on transit pass.	"	10% of the octroi leviabale.

File No. 9/3/B/II/

CANTONMENT EXECUTIVE OFFICER
CHAKRATA
(DR. S.H. KHAN)

2529

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित,
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI,